



सत्यमेव जयते

भारत में चाय के विकास में टी बोर्ड भारत की भूमिका
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



संघ सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
2023 की संख्या 8
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

**भारत में चाय के विकास में टी बोर्ड भारत की भूमिका
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**



**संघ सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
2023 की संख्या 8
(निष्पादन लेखापरीक्षा)**

.....को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सार	v
I	प्रस्तावना	3
II	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्य और कार्यप्रणाली	17
III	विनियामक गतिविधियाँ	23
IV	विकासात्मक गतिविधियाँ	57
V	अनुसंधान गतिविधियाँ	119
VI	बाजार संवर्धन गतिविधियाँ	135
VII	वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण	149
	अनुलग्नक	157
	संक्षिप्ताक्षरों की सूची	205

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 2014 तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 (अगस्त 2020 में संशोधित) के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा में 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में टी बोर्ड भारत द्वारा अपने नियामक, विकासात्मक, अनुसंधान, बाजार संवर्धन और वित्तीय प्रबंधन पहलुओं के प्रति की गई गतिविधियों के प्रभाव की जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड द्वारा किए गए प्रयास, नियामक कार्यों के निष्पादन, भारत में चाय के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, चाय अनुसंधान गतिविधियों का समर्थन करने, घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय चाय को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रभावी वित्तीय प्रबंधन की दिशा में पर्याप्त और प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा, प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में, टी बोर्ड भारत के प्रबंधन एवं भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

कार्यकारी सार

टी बोर्ड भारत

टी बोर्ड भारत की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। भारत में बोर्ड को चाय उद्योग के समग्र विकास का कार्य सौंपा गया है और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। टी बोर्ड को भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और बोर्ड को उपलब्ध सभी निधियों को केंद्रीय बजट के माध्यम से दिया जाता है जिसका उपयोग चाय अधिनियम की धारा 10 की परिकल्पना के अनुसार किया जाता है। यह आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन से एक अल्प राशि भी उत्पन्न करता है।

लेखापरीक्षा विषय की संक्षिप्त जानकारी

निष्पादन लेखापरीक्षा नवंबर 2021 और अप्रैल 2022 के दौरान की गई थी जिसमें वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि को शामिल किया गया था। यह लेखापरीक्षा भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए टी बोर्ड भारत द्वारा अपने नियामक, विकासात्मक, अनुसंधान, बाजार संवर्धन और वित्तीय प्रबंधन पहलुओं से संबंधित गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि बोर्ड द्वारा किए गए प्रयास विभिन्न नियामक और विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से भारत में चाय के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने, चाय अनुसंधान के समर्थन और घरेलू तथा विदेशी बाजारों में भारतीय चाय को बढ़ावा देने की दिशा में पर्याप्त और प्रभावी थे।

इससे पहले, वर्ष 2008 से 2010 के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा "भारत में चाय विकास में टी बोर्ड की भूमिका" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी, जिसे वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 10 द्वारा मुद्रित किया गया था। इस रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई थी। समिति ने अपनी 65वीं रिपोर्ट (फरवरी 2013) में अपनी सिफारिशों और अपनी 100वीं रिपोर्ट (फरवरी 2014) में लोक लेखा समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को सामने रखा। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 10 में की गई सिफारिशों और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर टी बोर्ड भारत द्वारा की गई कार्रवाई की भी जांच की गई।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें

विनियामक गतिविधियाँ

छोटे चाय उत्पादकों ने वर्ष 2020-21 में कुल चाय उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। हालांकि, छोटे चाय उत्पादकों की पहचान और पंजीकरण के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित रणनीति के अभाव में मार्च 2021 तक 38 प्रतिशत छोटे चाय उत्पादक टी बोर्ड से पंजीकृत नहीं थे और टी बोर्ड की विनियामक गतिविधियों और विकासात्मक सहायता के दायरे से दूर थे। इसी तरह, 1,573 बड़े चाय उत्पादकों में से 119 उत्पादक, मार्च 2021 तक टी बोर्ड से पंजीकृत नहीं थे। इस प्रकार, यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड को सभी छोटे चाय उत्पादकों की पहचान के लिए सुपरिभाषित कार्यनीति बनानी चाहिए, एक डेटाबेस बनाए रखना चाहिए और उन्हें विकासात्मक सहायता और नियामक नियंत्रण प्रदान करने के लिए अपने दायरे में लाना चाहिए।

(पैरा 3.2.1 और 3.2.2)

चाय नियम, 1954 में परिकल्पित आवश्यक अनुपालन के बिना छोटे चाय उत्पादकों को रोपण की अनुमति प्रदान की गई थी। 200 मामलों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि चाय बागान के लिए भूमि की उपयुक्तता की पुष्टि करने वाली मृदा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी और साथ ही, उक्त मामलों में छोटे चाय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत विवरणों की पुष्टि करने के लिए टी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। 196 मामलों में, रोपण क्षेत्र को दर्शाने वाले सर्वेक्षण मानचित्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(पैरा 3.2.3)

हालांकि बोर्ड द्वारा, रोपण की अनुमति प्रदान करने के लिए शुल्क उद्ग्रहण की मंजूरी दी गई थी (जून 2017), लेकिन इसके संग्रह न होने से ₹41.36 लाख के राजस्व की हानि हुई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रावधानों के कार्यान्वयन में विलंब के कारण, टी बोर्ड ने लाइसेंस शुल्क पर इसे संग्रह नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹32.39 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 3.2.4 और 3.3.3)

इसके अलावा, हालांकि चाय अधिनियम, 1953 ने चाय की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए टी बोर्ड को अधिकृत किया, लेकिन वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कारखानों का पर्याप्त निरीक्षण नहीं किया गया। निरीक्षण की कमी 78.62 प्रतिशत और 91.95 प्रतिशत के बीच थी, जो टी बोर्ड की ओर से खराब निगरानी को दर्शाता है।

(पैरा 3.4.1)

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड को विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार विभिन्न निरीक्षण गतिविधियों की निगरानी के लिए एक व्यापक आंतरिक प्रक्रिया/ मैनुअल तैयार करना चाहिए। इसके अलावा, चाय कारखानों/ बागानों का समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण गतिविधियों की वास्तविक समयबद्ध निगरानी की प्रणाली शुरू की जाए सकती है।

टी बोर्ड ने अपने अधिकारियों को विनिर्माण इकाइयों से चाय के नमूने संग्रह करने और परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के खंड 12 के अनुरूप, छह महीने में एक बार, गुणवत्ता आश्वासन के लिए, नमूनों का परीक्षण किया जाना है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नमूना संग्रह में 84 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक की कमी थी जो खराब निगरानी को दर्शाता है। इस प्रकार, यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार में उत्पादित और बेची जाने वाली चाय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो। इसके अलावा, श्रमबल की कमी को देखते हुए, टी बोर्ड कारखानों के निरीक्षण और चाय के नमूनों के संग्रह के लिए बाहरी एजेंसियों को शामिल करने की व्यवहार्यता का भी पता लगाए।

(पैरा 3.4.2)

चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश, 1959, के अनुसार, सभी चाय कारखानों को अपने उत्पादन का न्यूनतम दो प्रतिशत चाय अपशिष्ट घोषित करना चाहिए। हालांकि, 72 प्रतिशत से 78 प्रतिशत चाय निर्माण इकाइयों ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान दो प्रतिशत से कम चाय अपशिष्ट उत्पन्न किया। इसके अलावा, ऐसे उदाहरण थे जहां कारखानों ने कोई चाय अपशिष्ट उत्पन्न नहीं किया।

(पैरा 3.4.4)

चाय विपणन नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 में प्रत्येक चाय उत्पादक जिले में हरी पत्ती मूल्य निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है। समिति को छोटे चाय उत्पादकों को देय औसत हरी पत्ती मूल्य की निगरानी करनी है। आदेश में प्रत्येक माह में एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता निर्धारित की गई है। हालांकि, असम के 18 चाय उत्पादक जिलों में से 10 में, वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी और शेष आठ जिलों में, एक वर्ष में आयोजित बैठकों की संख्या चार से कम थी। इसी तरह, पश्चिम बंगाल के पांच चाय उत्पादक जिलों में, वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एक वर्ष में आयोजित बैठकों की संख्या दो से भी कम थी। यह सिफारिश की जाती है कि छोटे चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और हरी पत्तियों के न्यूनतम बेंचमार्क मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, चाय विपणन नियंत्रण आदेश में निर्धारित हरी चाय पत्ती मूल्य निगरानी समिति की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

(पैरा 3.5)

चाय विपणन नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 में बताया गया है कि प्रत्येक पंजीकृत चाय निर्माता को भारत में ई-नीलामी के माध्यम से एक कैलेंडर वर्ष में निर्मित कुल चाय की 50 प्रतिशत से कम की बिक्री नहीं की जानी चाहिए। लेकिन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले किसी भी वर्ष में 50 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा प्राप्त नहीं की जा सकी। ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाने वाली चाय देश में उत्पादित कुल चाय का 42 प्रतिशत से 44 प्रतिशत के बीच थी। इस संबंध में, यह सिफारिश की जाती है कि ई-नीलामी के माध्यम से उत्पादित चाय की अधिदेशित 50 प्रतिशत बिक्री को पूरा नहीं करने के मद्देनजर, टी बोर्ड को ई-नीलामी के माध्यम से पंजीकृत चाय खरीदारों द्वारा चाय की खरीद के लिए न्यूनतम बेंचमार्क मात्रा निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए।

(पैरा 3.6.2)

विकासात्मक गतिविधियाँ

नीतियों के निर्माण और विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, टी बोर्ड के पास चाय उद्योग का प्रमाणिक डेटाबेस होना चाहिए जिसे नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाना चाहिए। तथापि, टी बोर्ड ने चाय उद्योग पर चाय बागानों के विस्तार, चाय के प्रतिस्थापन और पुनर्रोपण, चाय की झाड़ियों का जीवनकाल, जिला-वार उपज, श्रम उत्पादकता दर आदि के क्षेत्रों के बारे में डेटाबेस नहीं रखा था। इस संबंध में, यह सिफारिश

की जाती है कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए टी बोर्ड द्वारा चाय उत्पादकों और विशेष रूप से छोटे चाय उत्पादकों के लिए चाय बागानों का व्यापक डेटाबेस रखा जाए और नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।

(पैरा 4.3.3)

भारत में चाय की समग्र उत्पादकता वर्ष 2016-17 में 2,165 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2020-21 में 2,016 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई थी। बड़े चाय उत्पादकों की उत्पादकता, छोटे चाय उत्पादकों की तुलना में, बड़े चाय उत्पादकों की चाय की झाड़ियों के जीर्ण होने के कारण, बहुत कम थी। बड़े चाय उत्पादकों के कुल चाय खेती क्षेत्रों का 46 प्रतिशत क्षेत्र आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था क्योंकि चाय की झाड़ियां 40 वर्षों से अधिक पुरानी थीं और व्यावसायिक रूप से अनुत्पादक थीं।

(पैरा 4.3.1 और 4.3.4)

योजना के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक के पास आवेदन और सब्सिडी के संवितरण के समय ₹10,000 से अधिक का भविष्य निधि बकाया है, तो कोई सब्सिडी वितरित नहीं की जानी थी। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि टी बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं जैसे पौधारोपण बागान विकास योजना, गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना और पारंपरिक और हरी चाय उत्पादन योजना के अंतर्गत उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन किए बिना ₹12.87 करोड़ की सब्सिडी वितरित की।

(पैरा 4.4.2.1, 4.5.2 और 4.5.4)

इसके अलावा, ₹1.55 करोड़ की सरकारी निधि एक लाभार्थी के बैंक खाते में पड़ी थी जो योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित समय सीमा के भीतर एक नया कारखाना स्थापित नहीं कर सका था। तथापि, टी बोर्ड द्वारा कोई वसूली शुरू नहीं की गई थी। इसके अलावा, टी बोर्ड ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित सीमाओं से अधिक क्षेत्रों के लिए सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए, 23 चाय बागानों को ₹2.05 करोड़ की अधिक सब्सिडी वितरित की।

(पैरा 4.4.2.1 और 4.4.3.2)

उपर्युक्त संदर्भ में, यह सिफारिश की जाती है कि चाय बागानों/कारखानों को सब्सिडी के वितरण के दौरान टी बोर्ड द्वारा योजना के शर्तों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और अपात्र सब्सिडी की वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे अपात्र सब्सिडी वितरित के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

चाय अधिनियम 1953 के अनुसार श्रम कल्याण गतिविधियां टी बोर्ड के अनिवार्य कार्यों में से एक है। तथापि, सीमित आवंटन और मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत परिकल्पित वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप योजना का असंतोषजनक निष्पादन हुआ।

चाय अधिनियम, 1953 के अनुसार टी बोर्ड की श्रम कल्याण समिति द्वारा, टी बोर्ड को, विभिन्न श्रम कल्याण गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि मार्च 2021 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रम कल्याण समिति द्वारा केवल चार बैठकें की गई थीं। इस प्रकार, श्रम कल्याण समिति की कम बैठकों का श्रम कल्याण योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चाय अधिनियम में परिकल्पित कार्यों के निष्पादन और श्रम कल्याण गतिविधियों की निगरानी के लिए यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड, श्रम कल्याण समिति की बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता निर्धारित करे।

(पैरा 4.6.4)

योजना आयोग/नीति आयोग के निर्देशों में वर्ष 2016-17 के दौरान अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 4.5 प्रतिशत के रूप में निधि के अनिवार्य आवंटन का प्रावधान है, जिसे वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर 8.3 प्रतिशत कर दिया गया। तथापि, टी बोर्ड ने अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए केवल 3.29 प्रतिशत आवंटित किया है। इसके अलावा, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना स्कीम के लिए वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान, 4.3 प्रतिशत के अनिवार्य आवंटन के प्रति केवल 2.63 प्रतिशत था।

(पैरा 4.7 और 4.8)

टी बोर्ड के गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत गोलाघाट क्षेत्रीय कार्यालय ने अपेक्षित दस्तावेजों के उचित निरीक्षण/सत्यापन के बिना अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय

क्षेत्र उप-योजना स्कीमों के अंतर्गत सब्सिडी वितरित की, जो गंभीर प्रणालीगत खामियों को उजागर करता है और इसके परिणामस्वरूप सब्सिडी के कई अपात्र भुगतान हुए।

उपर्युक्त को ध्यान रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड को अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए निर्धारित बजटीय आवंटन निर्धारित करना चाहिए। बोर्ड अपात्र सब्सिडी भुगतान के मामलों की जांच करने के लिए भी कदम उठाए क्योंकि ये भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी का संकेत देते हैं और तदनुसार, जिम्मेदारी तय की जाए, और उचित कार्रवाई भी की जाए।

(पैरा 4.7.1 और 4.8.1)

अनुसंधान गतिविधियाँ

टी बोर्ड का अनुसंधान निदेशालय, देश में चाय अनुसंधान का समन्वय मुख्य रूप से तीन चाय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई), जिसमें दो निजी टीआरआई नामतः पूर्वोत्तर भारत के लिए चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) और दक्षिण भारत के लिए दक्षिण भारत का संयुक्त बागान संगठन - चाय अनुसंधान संस्थान (यूपीएसआई-टीआरएफ) और दार्जिलिंग चाय उद्योग के लिए टी बोर्ड के अंतर्गत काम करने वाले दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र (डीटीआर एंड डीसी) के माध्यम से करता है।

मार्च 2021 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान, टी बोर्ड ने दो निजी टीआरआई अर्थात् टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ को 83.46 प्रतिशत अनुसंधान संबंधी निधि (₹66.62 करोड़) वितरित की। निजी टीआरआई को दिए गए ₹66.62 करोड़ में से केवल ₹4.63 करोड़ (6.95 प्रतिशत) का उपयोग, अनुसंधान के लिए किया गया और शेष ₹61.99 करोड़ (93.05 प्रतिशत) का उपयोग प्रशासनिक व्यय के लिए किया गया।

इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान इन निजी टीआरआई की कोई लेखापरीक्षा नहीं की। इसके अलावा, हालांकि दो निजी टीआरआई के कुल व्यय का 80 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान से वित्त पोषित था, ये सरकारी लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर हैं। इस संबंध में, यह सिफारिश की जाती है कि चूंकि टी बोर्ड भारत द्वारा निजी चाय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान की पर्याप्त राशि वितरित की जाती है, इसलिए निजी चाय अनुसंधान संस्थानों को लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में लाने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

(पैरा 5.2)

11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान, टी बोर्ड द्वारा कई अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और टीआरआई को प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य, मुख्य रूप से, चाय उद्योग के दीर्घकालिक लाभ के लिए अनुसंधान के बुनियादी और अनुप्रयुक्त पहलुओं पर था। हालांकि, अनुसंधान परियोजनाएं वांछित और लक्षित परिणाम देने और चाय उद्योग के उपयोग के लिए किसी भी वितरण योग्य हस्तांतरण में विफल रहीं, जो अनुसंधान परियोजनाओं के निगरानी तंत्र में टी बोर्ड की विफलता का संकेत देती हैं।

इस संबंध में, यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड को निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा नियमित आधार पर किए गए अनुसंधान गतिविधियों के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए ताकि व्यय की गई निधि की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 5.3.1)

यद्यपि डीटीआरएंडडीसी की स्थापना दार्जिलिंग चाय के विकास और सुधार के लिए अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करने के लिए की गई थी, लेकिन पर्याप्त निधि का वितरण न होने और वैज्ञानिक श्रमबल में कमी के कारण, डीटीआरएंडडीसी दार्जिलिंग चाय उद्योग के लाभ के लिए अनुसंधान करने में अक्षम था। यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड को दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र को पर्याप्त निधि और वैज्ञानिक श्रमबल सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि दार्जिलिंग चाय उद्योग के लाभ के लिए इसके पुनरुद्धार और सुचारु कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके।

(पैरा 5.3.2)

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने, संसद में रखी अपनी 102वीं रिपोर्ट (अगस्त 2012) में जलवायु परिवर्तन के कारण, चाय उद्योग को मिल रही चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की और सिफारिश की कि वाणिज्य विभाग को जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न लंबे समय तक सूखे से निपटने के लिए अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। हालांकि, वाणिज्य विभाग ने कार्रवाई रिपोर्ट (अगस्त 2013) में बताया कि टी बोर्ड ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू की है, लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि टी बोर्ड ने 12वीं योजना और मध्यम अवधि की रूपरेखा अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन पर कोई अनुसंधान गतिविधि/परियोजना शुरू नहीं की। यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड को जलवायु परिवर्तन के कारण चाय उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का पालन करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए।

(पैरा 5.3.4)

बाजार संवर्धन गतिविधियाँ

योजना के दिशा-निर्देशों ने भारतीय चाय की विविधता और समृद्धि के प्रचार के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से विज्ञापन की वकालत की है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से चाय को बढ़ावा देने के लिए, टी बोर्ड की पहल पूरी तरह से असंगत थी और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार के लिए कोई बड़ी पहल नहीं की गई थी। यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बढ़ते प्रभाव के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय चाय के प्रचार के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए।

(पैरा 6.4.2)

टी बोर्ड ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), अमीनगांव, असम के माध्यम से निर्यात की जाने वाली चाय के लिए चाय निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की। हालांकि, सहायता के बावजूद, कोलकाता बंदरगाह से निर्यात की तुलना में आईसीडी अमीनगांव के माध्यम से चाय का निर्यात वर्ष 2016-17 में 14.37 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 7.97 प्रतिशत हो गया। निर्यात के संदर्भ में निर्यातकों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए किसी भी मानदंड के अभाव में, भारतीय चाय के निर्यात परिदृश्य की योजना के समग्र प्रभाव/वास्तविक सुधार का निर्धारण नहीं किया जा सका।

(पैरा 6.6.1)

वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

हालांकि सामान्य वित्तीय नियम, 2017 आंतरिक संसाधनों के अधिकतम उत्पादन और अंततः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की वकालत करता है, टी बोर्ड वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक संसाधनों से अपने कुल राजस्व का केवल 9.90 प्रतिशत उत्पन्न करने में सक्षम था, जिससे पता चला कि बोर्ड अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए ज्यादातर सरकारी अनुदान पर निर्भर था। इस संबंध में, यह सिफारिश की जाती है कि टी बोर्ड को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में परिकल्पित आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए और अधिक क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए।

(पैरा 7.1)

टी बोर्ड के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका नहीं थी और बोर्ड ने आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए कोई लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं की थी। आंतरिक लेखापरीक्षा का कवरेज भी अपर्याप्त था क्योंकि 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 12 और सभी 12 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की पिछले पांच वर्षों यानी वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के लिए कोई स्वीकृत पद नहीं था और अक्टूबर 2020 तक, कोई स्थायी कर्मचारी तैनात नहीं था। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग में नवंबर 2020 में एक स्थायी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया था और आंतरिक लेखापरीक्षा विंग का काम टी बोर्ड के अन्य वर्गों के कर्मचारियों को नामित करके प्रबंधित किया गया था।

(पैरा 7.3)

इससे पहले, "भारत में चाय के विकास में टी बोर्ड की भूमिका" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 10 द्वारा मुद्रित की गई थी। इस रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा भी चर्चा की गई थी, जिसने अपनी 65वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं और इस रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को 100वीं रिपोर्ट (15 वीं लोकसभा) में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने कहा कि कमियों को दूर करने के लिए उनकी पूर्व सिफारिशों/टिप्पणियों (1969-70 और 1987-88) के बावजूद सरकार बहुत जरूरी सुधारात्मक तंत्र स्थापित नहीं कर पाई है। लेखापरीक्षा ने पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों और लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर टी बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि काफी समय बीत जाने के बाद भी टी बोर्ड द्वारा सिफारिशों पर पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई की जानी शेष है।

(पैरा 7.4)

अध्याय-।

प्रस्तावना



अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 चाय के बारे में संक्षिप्त जानकारी

चाय दुनिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है। चाय का वानस्पतिक नाम *कैमेलिया साइनेंसिस* है। यह एक कठोर पौधा है जो समशीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय जलवायु तक औसत समुद्र तल से 6,000 फीट और उससे ऊपर उगता है, जहां मिट्टी अच्छी तरह से वितरित वर्षा और अच्छी जल निकासी के साथ थोड़ी अम्लीय होती है। चाय के पौधों को बीज और कटाई से प्रसारित किया जाता है और तीन वर्ष के भीतर, पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है। यदि अबाधित छोड़ दिया जाए तो एक चाय का पौधा 16 मीटर (52 फीट) तक बढ़ सकता है लेकिन खेती वाले पौधों को आम तौर पर तोड़ने में आसानी के लिए कमर की ऊंचाई तक काट दिया जाता है। इसके अलावा, छोटे पौधे में नए अंकुरण अधिक होते हैं जो नई और कोमल पत्तियां प्रदान करते हैं और चाय की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। एक पौधा, बढ़ने वाले मौसम¹ के दौरान हर 7 से 15 दिनों में एक नया फलश² उगता है।

चित्र 1.1 चाय की पत्ति



¹ पश्चिम बंगाल, असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में, पारंपरिक रूप से मार्च से दिसंबर तक चाय की कटाई की जाती है और बागानों/कारखानों को बनाए रखने के लिए सर्दियों के दौरान चाय की कटाई/तुड़ाई रोक दी जाती है। हालांकि, दक्षिण भारत में नीलगिरि के दक्षिणी क्षेत्रों में गर्मी के कारण, चाय के पौधों को वर्ष भर काटा जा सकता है।

² फलश वर्ष में विभिन्न मौसमों में चाय की पत्तियों की कटाई को संदर्भित करता है, जो विभिन्न प्रकार के फलश का कारण बनता है जैसे पहला फलश/मधुमास फलश, दूसरा फलश/वर्षा फलश और शरद ऋतु फलश।

पॉलीफेनोल्स / फ्लेवोनोइड्स जैसे जैवसक्रिय पदार्थों की उच्च सामग्री पेय को एंटीऑक्सिडेंट में समृद्ध बनाती है, जो इसकी प्रदाहक-रोधी गतिविधियों का कारण बनती है और एंजाइमों के विषहरण को नियंत्रित करती है। चाय में कैफीन और थियानीन भी होता है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मानसिक सतर्कता को बढ़ाती है।

चाय की सभी श्रेणियां चाय के पौधे की पत्तियों से आती हैं। हालांकि, पत्तियों को कैसे संसाधित किया जाता है, इसके आधार पर, चाय को मुख्य रूप से काली चाय (ऑर्थोडॉक्स चाय/सीटीसी³ चाय), हरी चाय, ओलॉंग चाय, सफेद चाय, पीली चाय और पु-एर्ह⁴ (किण्वित से पहले) चाय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

चित्र 1.2 चाय के विभिन्न प्रकार



³ सीटीसी चाय वास्तव में काली चाय को संसाधित करने की एक विधि को संदर्भित करती है। प्रक्रिया के लिए नामित, "दबाना, तोड़ना, घुमाना" (और कभी-कभी "काटना, तोड़ना, घुमाना" कहा जाता है) जिसमें काली चाय की पत्तियों को बेलनाकार रोलर्स की एक श्रृंखला के माध्यम से चलाया जाता है।

⁴ पु-एर्ह पारंपरिक रूप से चीन के युन्नान प्रांत में उत्पादित किण्वित चाय की एक किस्म है। पारंपरिक चीनी चाय उत्पादन शब्दावली के संदर्भ में, किण्वन सूक्ष्मजीव किण्वन को संदर्भित करता है, और आमतौर पर चाय की पत्तियों को पर्याप्त रूप से सूखने और घुमाने के बाद लागू किया जाता है।

भारत में उगाई जाने वाली चाय की अधिकांश किस्मों का नाम उन भौगोलिक क्षेत्रों के नाम पर रखा गया है जिनमें उनका उत्पादन किया जाता है जैसे कि दार्जिलिंग चाय, असम चाय, नीलगिरि चाय और कांगड़ा चाय। इन चायों को भौगोलिक संकेत⁵ (जीआई) द्वारा वैधानिक रूप से संरक्षित किया जाता है।

चाय बागान से हरी चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद, पत्तियों को चाय कारखाने में संसाधित किया जाता है। तुड़ाई का तात्पर्य विकास की दर के आधार पर विशिष्ट अंतराल पर चाय के पौधों से नई या कोमल चाय के अंकुरों को चुनना है जो मौसम, तापमान, ऊंचाई आदि के कारण भी भिन्न होता है। तुड़ाई तब होती है जब चाय की झाड़ी नए पत्तों के अंकुरों को बाहर धकेलती है। तुड़ाई के दौरान, तुड़ाई करने वाले पहले दो पत्ते और एक नई कली लेते हैं। चयनात्मक तुड़ाई न केवल उच्च और टिकाऊ पैदावार देती है, बल्कि टहनी की वृद्धि के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता वाली चाय⁶ का उत्पादन भी सुनिश्चित करती है। इसलिए, भारत में तुड़ाई ज्यादातर महिला चाय मजदूरों द्वारा अपने कोमल हाथों से मैनुअल रूप से की जाती है।

1.2 चाय प्रसंस्करण

चाय प्रसंस्करण वह विधि है जिसमें चाय के पौधों से ताजा "हरी चाय की पत्तियों" को "तैयार चाय" में बदल दिया जाता है। अपने सामान्य रूप में, चाय प्रसंस्करण में पत्तियों के ऑक्सीकरण के विभिन्न विधियाँ और कोटि, ऑक्सीकरण को रोकना, चाय बनाना और इसे सुखाना शामिल हैं। चाय की श्रेणियाँ उनके प्रसंस्करण से अलग होती हैं।

हरी चाय की पत्तियों से निर्मित चाय के उत्पादन की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रवाह चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है:

चित्र 1.3 चाय उत्पादन का प्रवाह चार्ट



⁵ एक भौगोलिक संकेत (जीआई) उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिनके पास एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और प्रक्रिया गुण या प्रतिष्ठा है जो उसके मूल के कारण हैं। जीआई के रूप में कार्य करने के लिए, एक संकेत को किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने वाले उत्पाद की पहचान करनी चाहिए।

⁶ 'तैयार चाय' चाय प्रसंस्करण का अंतिम उत्पाद है और पेय की तैयारी के लिए तैयार है।

सूखी चाय की पत्तियों का सहज स्वाद चाय की झाड़ी की खेती⁷ के प्रकार, तोड़ी गई चाय की पत्तियों की गुणवत्ता और उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन प्रसंस्करण के तरीके और गुणवत्ता से निर्धारित होता है। प्रसंस्करण के बाद, चाय को अन्य चाय के साथ मिश्रित किया जा सकता है, जिसे स्वादिष्ट मसालों के साथ मिलाया जा सकता है ताकि तैयार चाय का स्वाद बदल सके।

चित्र 1.4 चाय बनाने की प्रक्रिया



⁷ चाय की एक फसल चाय के पौधे की एक ऐसी खेती की किस्म है, जो कुछ विशेषताओं के लिए मनुष्यों द्वारा उगाई जाती है।

1.3 विश्व चाय परिदृश्य

चाय दुनिया भर के 36 से अधिक देशों में उगाई जाती है। 2020 में वैश्विक चाय उत्पादन 6,269 मिलियन किलोग्राम (मि. कि.ग्रा.) था, जिसकी तुलना में, उसी वर्ष वैश्विक खपत, लगभग 5,879 मिलियन किलोग्राम था। प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक देश चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका हैं और ये देश, दुनिया के कुल चाय उत्पादन और निर्यात का क्रमशः 81 प्रतिशत और 72 प्रदान करते हैं।

चाय की औसत प्रति व्यक्ति खपत एक देश से दूसरे देश में व्यापक रूप से भिन्न होती है। 2018-20 के दौरान, चाय की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत खपत तुर्की (3.20 किलोग्राम) में सबसे अधिक थी, इसके बाद लीबिया (2.64 किलोग्राम), आयरलैंड (2.10 किलोग्राम), मोरक्को (2.09 किलोग्राम), हांगकांग (1.65 किलोग्राम) और यूनाइटेड किंगडम (1.61 किलोग्राम) थे। उपरोक्त अवधि के दौरान भारत में चाय की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 830 ग्राम प्रति वर्ष थी। उपरोक्त देशों की तुलना में भारत में चाय की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत कम होने के बावजूद, भारत की जनसंख्या के आकार के कारण, भारत में चाय की खपत, वैश्विक चाय का 19.5 प्रतिशत है और भारत में चाय के कुल उत्पादन का लगभग 82 प्रतिशत देश के भीतर खपत होता है। यह विशिष्ट स्थिति अन्य चाय उत्पादक देशों, विशेष रूप से केन्या और श्रीलंका के विपरीत है, जिनकी शायद ही कोई मजबूत घरेलू मांग है और इसलिए वे अपने अधिकांश उत्पादन का निर्यात करते हैं।

1.4 भारतीय चाय परिदृश्य

1834 में वाणिज्यिक रोपण की शुरुआत के साथ, भारतीय चाय उद्योग लगभग 187 वर्ष पुराना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण महत्व है क्योंकि यह बड़ी विदेशी मुद्रा आय में योगदान देता है और दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उत्पन्न करनेवाला भी है, जो लगभग 1.2 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और चाय बागान श्रमिकों के 3 मिलियन से अधिक आश्रितों को सहारा देता है।

भारत में, चाय की खेती 15 राज्यों में की जाती है जिनमें से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। कुल उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 98 प्रतिशत है। अन्य राज्य जहां चाय पारंपरिक रूप से उगाई जाती है, वे त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक हैं। भारत के चाय मानचित्र में प्रवेश करने वाले

गैर-पारंपरिक राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। दार्जिलिंग, असम, सिक्किम, नीलगिरी और कांगड़ा घाटी के क्षेत्रों में उत्पादित चाय अपने नाजुक स्वाद, ताकत और चमक के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में चाय का उत्पादन तालिका 1.1 में देखा जा सकता है:

तालिका 1.1 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान चाय का राज्यवार कुल उत्पादन

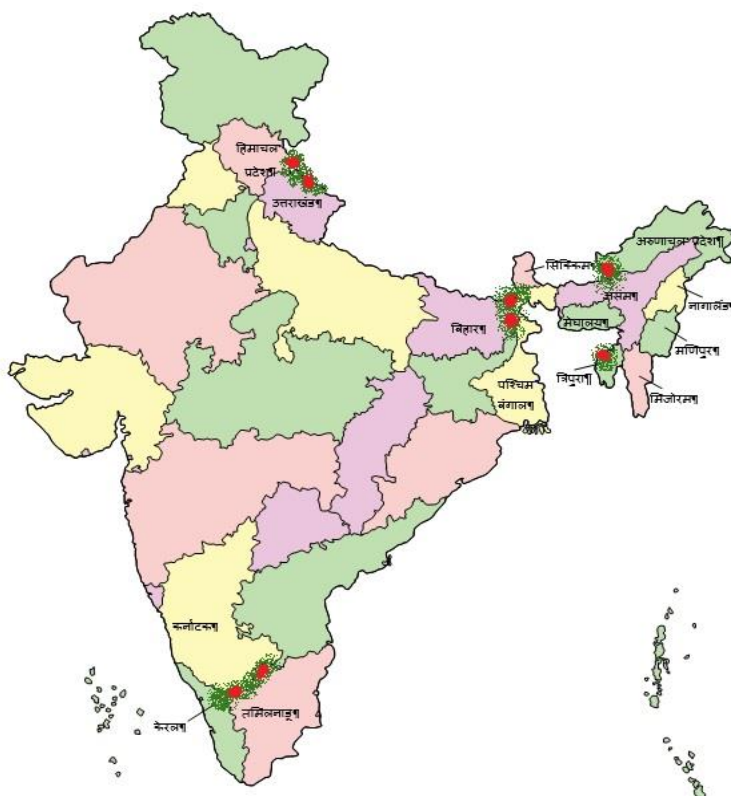
(मिलियन कि.ग्रा. में उत्पादन)

वर्ष	असम		पश्चिम बंगाल		तमिलनाडु		केरल		अन्य		कुल
	उत्पादन	%	उत्पादन	%	उत्पादन	%	उत्पादन	%	उत्पादन	%	
2016-17	657.24	52.56	357.39	28.58	143.67	11.49	58.61	4.69	33.58	2.69	1,250.49
2017-18	676.31	51.04	387.86	29.27	164.40	12.41	63.88	4.82	32.60	2.46	1,325.05
2018-19	701.35	51.95	394.22	29.20	160.15	11.86	60.76	4.50	33.56	2.49	1,350.04
2019-20	695.38	51.10	415.89	30.56	156.00	11.46	59.26	4.35	34.28	2.52	1,360.81
2020-21	626.23	48.81	396.05	30.87	160.04	12.47	66.85	5.21	33.86	2.64	1,283.03

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी)

भारत में चाय उगाने वाले क्षेत्रों को मानचित्र में देखा जा सकता है जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है।

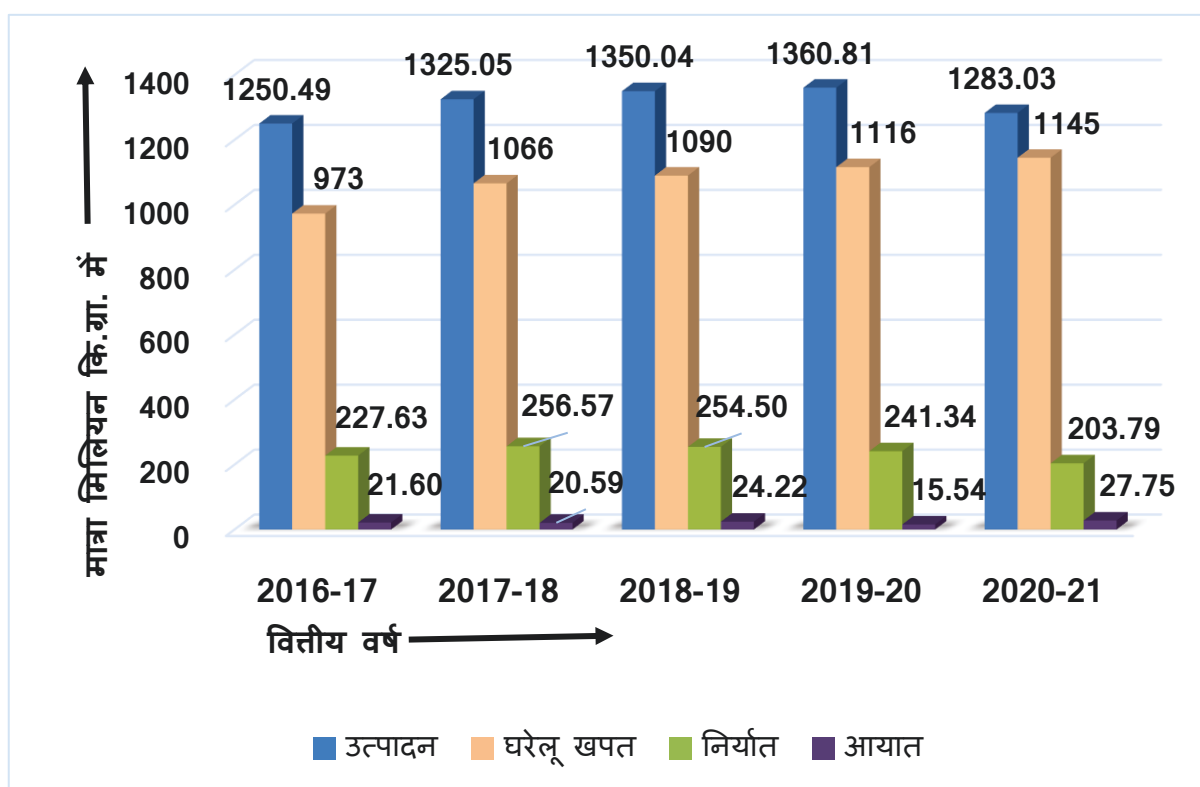
चित्र 1.5 भारत का चाय मानचित्र



1.5 भारत में चाय का उत्पादन

विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ, भारत उपभोक्ताओं के विभिन्न स्वादों और वरीयताओं के अनुकूल चाय का मिश्रण पैदा करता है। प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएं अलग-अलग हैं, जो उन्हें कई मायनों में एक दूसरे से अलग करती हैं। चाय के वर्ष-वार उत्पादन, निर्यात, आयात और घरेलू खपत को चित्र 1.6 में दर्शाया गया है:

चित्र 1.6: 2016-17 से 2020-21 के दौरान चाय का उत्पादन, घरेलू खपत, निर्यात और आयात



1.6 भारत में चाय उद्योग से जुड़े संगठन

चाय उद्योग का राष्ट्रीय कृषि आय और देश के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। 2021⁸ में भारतीय चाय उद्योग का कुल कारोबार लगभग ₹11,000 करोड़ था। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा, जो चाय पर कानून बनाते हैं, भारत में विभिन्न संगठन हैं जो चाय उद्योग के विकास और उत्पादन,

⁸ स्रोत: वेबसाइट www.statista.com के अनुसार, वर्ष 2021 के लिए भारतीय चाय उद्योग का राजस्व 15.14 बिलियन अमरीकी डालर या ₹11,280.81 करोड़ (31 दिसंबर 2021 को यूएसडी से आईएनआर की विनिमय दर ₹74.51 को देखते हुए) था।

बिक्री, खरीद, व्यापार, नीलामी, चाय के अनुसंधान आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

टी बोर्ड भारत के अलावा, चाय उद्योग में अन्य महत्वपूर्ण संगठन भारतीय चाय संघ, चाय उत्पादक संघ की सलाहकार समिति, चाय नीलामीकर्ता संघ, चाय व्यापारी संघ, चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) और दक्षिण भारत का संयुक्त बागान संगठन - चाय अनुसंधान संस्थान (यूपीएसआई-टीआरएफ) हैं।

1.7 टी बोर्ड भारत

टी बोर्ड भारत की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। बोर्ड को भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के साथ सौंपा गया है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीएंडआई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 31 सदस्य (अनुलग्नक-1) शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियुक्त किया गया है, जो चाय उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोर्ड का हर तीन वर्ष में पुनर्गठन किया जाता है।

बोर्ड का प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है। प्रधान कार्यालय के अलावा, टी बोर्ड के 34 कार्यालय हैं जिनमें दो आंचलिक कार्यालय (जेड ओ), एक असम के गुवाहाटी में और एक तमिलनाडु के कुन्नूर में है, 17 क्षेत्रीय कार्यालय (आर. ओ.), 12 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, दो अनुसंधान कार्यालय तथा एक विदेशी कार्यालय है, जो मास्को, रूस में स्थित हैं।

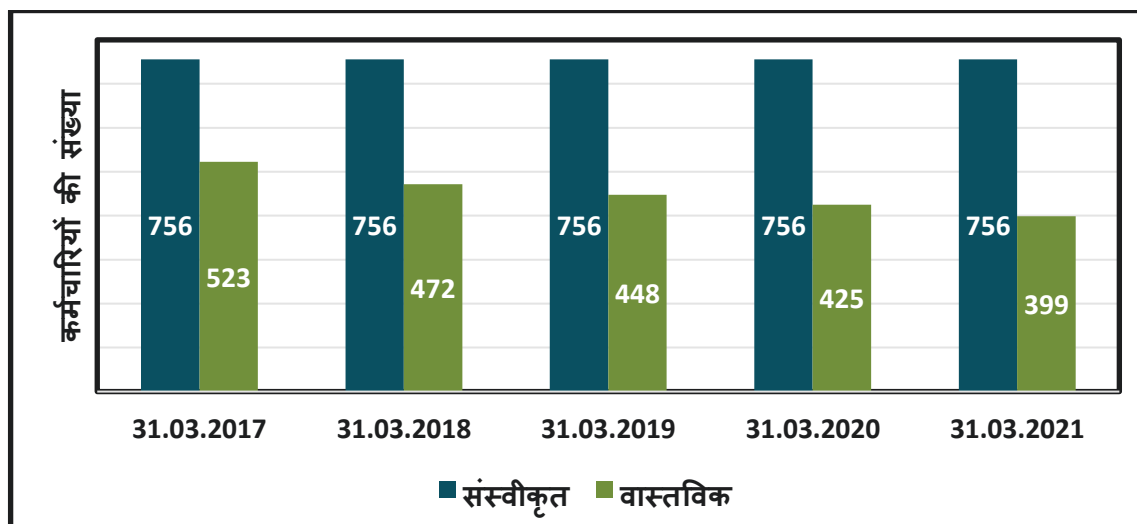
टी बोर्ड की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें एक उपाध्यक्ष, दो कार्यकारी निदेशक (जेड ओ, गुवाहाटी और जेड ओ, कुन्नूर), वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, निदेशक (चाय विकास), निदेशक (अनुसंधान), निदेशक (बाजार संवर्धन) और लाइसेंसिंग नियंत्रक कार्य उपाध्यक्ष⁹ के अधीन होते हैं।

⁹ टी बोर्ड का अध्यक्ष अक्टूबर 2016 तक कार्यकारी प्रमुख था और उसके बाद, भारत सरकार ने (25 अक्टूबर 2016) अधिसूचित किया कि अध्यक्ष गैर-कार्यकारी प्रमुख होगा और उपाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वर्तमान में, उपसभापति मई 2022 से अध्यक्ष का प्रभार संभाल रहे हैं।

1.8 टी बोर्ड भारत का श्रमबल

31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान टी बोर्ड भारत की वर्ष-वार श्रमबल की स्थिति निम्नलिखित चित्रात्मक प्रस्तुति में देखी जा सकती है।

चित्र 1.7: टी बोर्ड भारत में श्रमबल की स्थिति



उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान वास्तविक श्रमबल 756 की स्वीकृत संख्या के प्रति 523 से घटकर 399 हो गई, जो 69 प्रतिशत अधिभोग से घटकर 53 प्रतिशत अधिभोग हो गई है।

1.9 टी बोर्ड भारत की निधि के स्रोत

टी बोर्ड को भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। टी बोर्ड को उपलब्ध की गई सभी निधियां केंद्रीय बजट के माध्यम से भेजी जाती हैं जिनका उपयोग टी बोर्ड द्वारा चाय अधिनियम की धारा 10 में परिकल्पित के अनुसार किया जाता है। टी बोर्ड लाइसेंस शुल्क, ऋण और अग्रिम पर ब्याज और विविध प्राप्तियों के माध्यम से आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन में से एक नगण्य राशि भी उत्पन्न करता है।

चाय अधिनियम, 1953 में भारत सरकार द्वारा चाय उद्योग के नियंत्रण का प्रावधान है, जिसमें भारत में चाय की खेती और भारत से चाय के निर्यात का नियंत्रण और उस उद्देश्य के लिए एक टी बोर्ड की स्थापना करना और भारत में उत्पादित चाय पर शुल्क लगाना शामिल है।

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बोर्ड की विभिन्न विकासात्मक, संवर्धनात्मक, अनुसंधान और कल्याणकारी योजनाओं को XII पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) और मध्यम अवधि के ढांचे (2017-18 से 2019-20 तक और 2020-21 तक बढ़ाया गया) द्वारा निर्देशित किया गया था। मार्च 2021 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान, टी बोर्ड द्वारा प्राप्त निधि और उसके प्रति किए गए व्यय निम्नानुसार थे:

तालिका 1.2: संवितरित/व्यय की गई कुल निधियों की तुलना में प्राप्त कुल निधियां
(₹ लाख में)

वर्ष	प्राप्त कुल धनराशि	कुल खर्च
2016-17	15,041.00	15,031.30
2017-18	18,903.50	18,846.56
2018-19	16,020.00	15,958.66
2019-20	17,598.00	17,546.41
2020-21	20,919.00	20,866.74
कुल	88,481.50	88,249.67

(स्रोत: टी बोर्ड भारत)

2016-17 से 2020-21 के दौरान, टी बोर्ड को भारत सरकार से ₹88,481.50 लाख प्राप्त हुए, जिसमें से बोर्ड की विभिन्न विकासात्मक, संवर्धनात्मक, अनुसंधान और कल्याणकारी योजनाओं और अन्य प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ₹88,249.67 लाख का व्यय किया गया था।

1.10 टी बोर्ड भारत के कार्य

चाय अधिनियम, 1953 की धारा 10 में टी बोर्ड के कार्यों को परिभाषित किया गया है जिसमें संक्षेप में शामिल हैं:

- चाय के उत्पादन और खेती की सीमा को विनियमित करना;
- निर्माताओं, ब्रोकरों, चाय डीलरों और चाय मिश्रण के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का पंजीकरण और लाइसेंस;
- चाय की गुणवत्ता में सुधार;
- वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान का उपक्रम, सहायता या प्रोत्साहन और प्रदर्शन खेतों और विनिर्माण उपस्थानों के रखरखाव या रखरखाव में सहायता करना;

- चाय को प्रभावित करने वाले कीड़ों और अन्य कीटों एवं बीमारियों के नियंत्रण में सहायता करना;
- चाय की बिक्री और निर्यात को विनियमित करना;
- भारत और अन्य जगहों पर चाय की खपत बढ़ाना और उस उद्देश्य के लिए प्रचार करना;
- भारत और अन्य जगहों पर चाय के विपणन में सुधार;
- उत्पादकों, विनिर्माताओं, डीलरों जैसे अन्य व्यक्तियों से आंकड़े एकत्र करना जो चाय उद्योग से संबंधित किसी भी मामले पर निर्धारित किए जा सकते हैं; इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों या उनके कुछ हिस्सों या उनसे निकाले गए निष्कर्षों का प्रकाशन;
- बेहतर कार्य परिस्थितियों को सुरक्षित करना और श्रमिकों के लिए सुविधाओं और प्रोत्साहनों के प्रावधान और सुधार;

टी बोर्ड के उपर्युक्त कार्यों को मुख्य तौर पर (i) विनियामक, (ii) विकासात्मक, (iii) अनुसंधान और (iv) बाजार संवर्धन गतिविधियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(i) विनियामक गतिविधियाँ

टी बोर्ड की विनियामक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं - (क) चाय की खेती, चाय का उत्पादन, चाय की बिक्री और निर्यात, चाय अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए चाय उत्पादकों का पंजीकरण और चाय की खेती के लिए बड़े और छोटे उत्पादकों को अनुमति प्रदान करना।, (ख) बागान पंजीकरण, कारखाना पंजीकरण, गोदाम पंजीकरण, चाय निर्यात लाइसेंस आदि जैसे विभिन्न लाइसेंसों को जारी करना और उनका नवीकरण करना, जिसके लिए शुल्क लिया जाता है, और (ग) चाय नीलामी प्रणाली की निगरानी, निर्यात और आयात की गुणवत्ता आदि सहित चाय की ई-नीलामी का विनियमन, जो चाय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।

(ii) विकासात्मक गतिविधियाँ

टी बोर्ड की विकासात्मक गतिविधियों में उत्पादकता में वृद्धि, चाय की गुणवत्ता में सुधार और चाय उत्पादन की लागत को कम करने जैसी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुदान योजनाएं तैयार करना शामिल है। टी बोर्ड के विकासात्मक कार्यों में चाय उत्पादकों और विनिर्माताओं के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना और बेहतर कार्य दशाएं प्राप्त करना तथा कार्यगारों के लिए सुविधाओं और प्रोत्साहनों का प्रावधान/सुधार करना भी शामिल है।

(iii) अनुसंधान गतिविधियाँ

टी बोर्ड, चाय उत्पादन में वृद्धि करने और निरंतर आधार पर गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश में अनुसंधान और विकास गतिविधियों और चाय अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए निधियां प्रदान कर रहा है। टी बोर्ड के अनुसंधान निदेशालय को देश में चाय अनुसंधान का समन्वय और मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चाय अनुसंधान गतिविधियों के परिणामों का उपयोग उद्योग के लाभ के लिए किया जाता है। टी बोर्ड की अनुसंधान गतिविधियां मुख्य रूप से तीन चाय अनुसंधान संस्थानों नामतः पूर्वोत्तर भारत के लिए चाय अनुसंधान संघ (टीआरए), दक्षिण भारत के लिए यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया- चाय अनुसंधान फाउंडेशन (यूपीएसआई-टीआरएफ) और दार्जिलिंग चाय उद्योग के लिए दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (डीटीआर एंड डीसी)/गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यूसीएल) के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

(iv) बाजार संवर्धन गतिविधियाँ

टी बोर्ड भारत को विश्व स्तर पर गुणवत्तापूर्ण चाय का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बनाने और घरेलू बाजार में चाय की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से संवर्धनात्मक क्रियाकलाप करता है। वैश्विक बाजारों में भारतीय चाय की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और घरेलू खपत में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारतीय चाय की विभिन्न किस्मों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक प्रयास किए जाते हैं।

अध्याय-॥

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्य और कार्यप्रणाली



अध्याय-II

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्य और कार्यप्रणाली

2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र यह जांचना था कि क्या 2016-17 से 2020-21 के दौरान टी बोर्ड द्वारा की गई गतिविधियां भारतीय चाय के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने, अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों का समर्थन करने, बाजार विकास और निर्यात संवर्धन और विनियामक कार्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी थीं। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान टी बोर्ड द्वारा किए गए विनियामक, विकासात्मक, अनुसंधान और बाजार संवर्धन गतिविधियों और वित्तीय प्रबंधन पहलुओं की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान वर्ष 2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 10 द्वारा मुद्रित “भारत में चाय के विकास में टी बोर्ड की भूमिका” पर पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती कार्रवाइयों/कार्यान्वयन के साथ-साथ लोक लेखा समिति की 65वीं प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा की संख्या 100) में की गई सिफारिशों की भी समीक्षा की गई थी।

2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

- (i) टी बोर्ड ने अपनी विनियामक भूमिका प्रभावी ढंग से निभाई;
- (ii) टी बोर्ड द्वारा शुरू की गई विकासात्मक गतिविधियों ने चाय-उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ भारत में चाय के उत्पादन की लागत को कम करने में मदद की;
- (iii) टी बोर्ड द्वारा शुरू/वित्तपोषित अनुसंधान गतिविधियां भारतीय चाय की गुणवत्ता और मात्रा के विकास के लिए प्रभावी थीं;
- (iv) भारतीय चाय को बढ़ावा देने और विश्व के साथ-साथ घरेलू बाजार में इसकी स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी और पर्याप्त कदम उठाए गए।;
- (v) टी बोर्ड में एक प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था।

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

टी बोर्ड के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड, निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- चाय अधिनियम, 1953 और उसके तहत बनाए गए नियम, अन्य प्रासंगिक अधिनियम और आदेश।
- चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, चाय गोदाम (लाइसेंसिंग) आदेश और संयंत्र संरक्षण संहिता।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियम और अनुदेश।
- टी बोर्ड द्वारा नियुक्त विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियों की सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन।
- योजनाओं, परियोजनाओं और अन्य गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज और अभिलेख।
- टी बोर्ड द्वारा प्रकाशित टी सांख्यिकी और टी डाइजेस्ट और भारतीय चाय संघ, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया और चाय अनुसंधान संघ के आंकड़े।
- 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान कार्यान्वित XII पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित योजना दिशानिर्देश।
- मध्यम अवधि के ढांचे में उल्लिखित योजना दिशानिर्देश 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए लागू किए गए हैं और 2020-21 तक बढ़ाए गए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ एवं रुझान।

2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

नवंबर 2021 में टी बोर्ड के प्रबंधन के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान विनियामक गतिविधियों, चाय विकास, चाय अनुसंधान, चाय संवर्धन और टी बोर्ड के अन्य कार्यों से संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल थी। लेखापरीक्षा टीमों ने रिकॉर्ड की जांच और सूचना एकत्र करने के लिए कोलकाता में टी बोर्ड के प्रधान कार्यालय, गुवाहाटी और कुन्नूर में दो आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय (नमूना पद्धति के अंतर्गत चयनित), कुर्सियांग में दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र और सिलीगुड़ी में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का दौरा किया। अभिलेखों की जांच के आधार पर, प्रबंधन को प्रारंभिक अभ्युक्तियाँ जारी की गई थीं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, टी बोर्ड भारत के प्रबंधन और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जारी किया गया

था और प्रबंधन (जून/जुलाई 2022) और मंत्रालय (अक्टूबर 2022) के उत्तर को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। प्रबंधन (जुलाई 2022) और मंत्रालय (जनवरी 2023) द्वारा निकास सम्मेलनों में व्यक्त किए गए विचारों को भी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया था।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना चयन

आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों (संवितरण प्राधिकारी पदस्थापित) में अनुदान के संवितरण से संबंधित बड़ी संख्या में अभिलेखों/फाइलों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा ने पौधारोपण विकास योजना और मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत संवितरित अनुदान के दो-दो प्रतिशत तथा गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण योजना, अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत संवितरित अनुदान के पांच-पांच प्रतिशत की समीक्षा की। नमूना चयन का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

2.6 आभार

हम निष्पादन लेखापरीक्षा के सुचारु संचालन में टी बोर्ड के प्रबंधन और कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हैं।

2.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अगले अध्यायों में चर्चा की गई है।

अध्याय-III

विनियामक गतिविधियाँ



अध्याय-III

विनियामक गतिविधियाँ

3.1 विनियामक गतिविधियाँ

टी बोर्ड का एक प्राथमिक कार्य चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधानों और उसके तहत जारी आदेशों के अनुसार चाय की खेती और उसके व्यवसाय में विभिन्न हितधारकों की गतिविधियों को विनियमित करना है। टी बोर्ड की विनियामक गतिविधियों में चाय बागानों का पंजीकरण, चाय के बागान और उत्पादन के लिए परमिट जारी करना, कारखानों, गोदामों को लाइसेंस देना, चाय की नीलामी करना, नियमों, विनियमों का अनुपालन न करने के लिए हितधारकों पर जुर्माना लगाना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विनियामक कार्यों की प्रभावशीलता बोर्ड के अन्य कार्यों जैसे विकासात्मक गतिविधियों, बाजार संवर्धन गतिविधियों और अनुसंधान गतिविधियों के सुचारु निर्वहन में भी सहायता करती है।

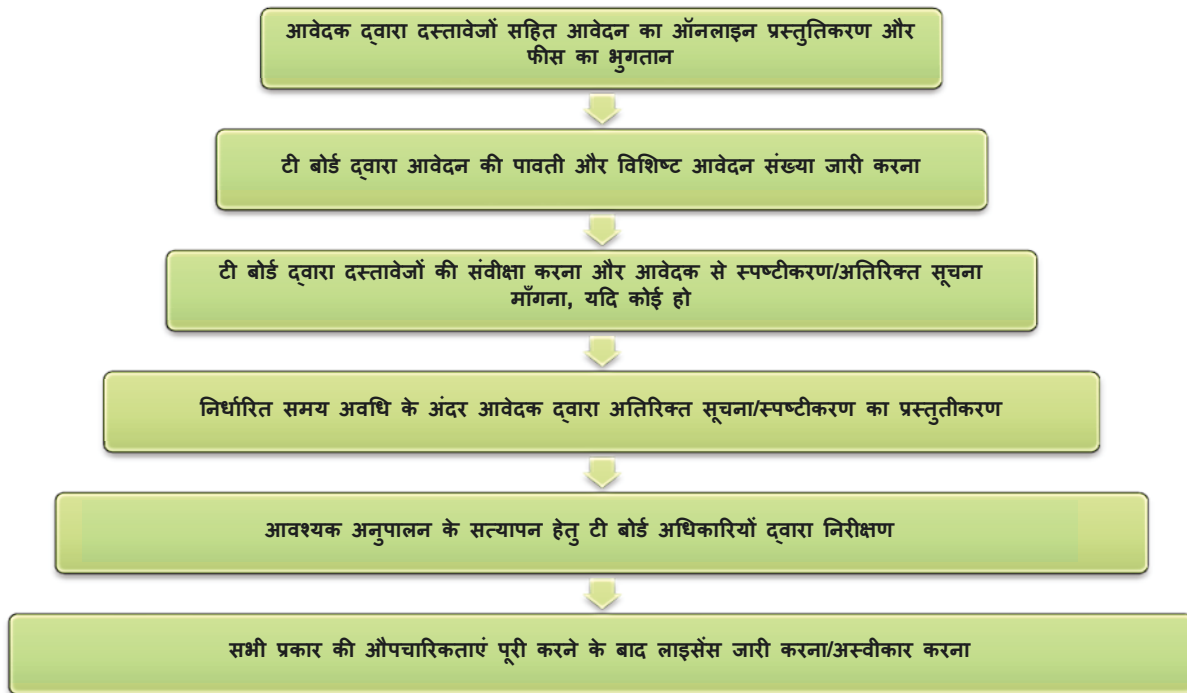
चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) के तहत सरकार ने (समय-समय पर संशोधित) निम्नलिखित आदेशों को अधिसूचित किया जो टी बोर्ड की विनियामक और लाइसेंसिंग गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं:

- चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003
- चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005
- चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959
- चाय गोदाम (लाइसेंसिंग) आदेश, 1989

टी बोर्ड की विनियामक गतिविधियाँ लाइसेंसिंग विभाग द्वारा की जाती हैं, जिसकी अध्यक्षता लाइसेंसिंग नियंत्रक द्वारा की जाती है। लाइसेंसिंग विभाग चाय उत्पादकों, निर्माताओं, निर्यातकों, दलालों, नीलामी आयोजकों को लाइसेंस जारी करता है और भारत में सभी चाय बागानों के स्वामित्व को दर्ज करने और विभिन्न नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन के अलावा चाय अपशिष्ट की आवाजाही की निगरानी करता है। टी बोर्ड में विकास अधिकारी और कारखाना सलाहकार अधिकारी भी होते हैं, जो लाइसेंस जारी करने से पहले आवश्यकताओं को सत्यापित करने के लिए चाय बागानों और कारखानों का निरीक्षण करते हैं।

अप्रैल 2018 से, टी बोर्ड ने लाइसेंसिंग की मैनुअल प्रक्रिया को बदलकर, आवेदनों की ट्रैकिंग और निपटान में पारदर्शिता लाने के लिए, सभी प्रकार के लाइसेंसिंग आवेदनों को जारी करने और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की।

चित्र 3.1: लाइसेंस/प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को दर्शाने वाला प्रवाह चार्ट



लेखापरीक्षा ने टी बोर्ड के विनियामक कार्यों की समीक्षा की और अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

3.2 टी बोर्ड द्वारा छोटे और बड़े उत्पादकों के पंजीकरण के लिए अपर्याप्त कवरेज

चाय अधिनियम की धारा 12(1) में यह निर्धारित किया गया है कि किसी को भी अधिनियम के लागू होने की तिथि को ऐसी किसी चाय नहीं लगाई गई भूमि पर चाय नहीं लगानी चाहिए, जब तक कि उसे टी बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से लिखित में अनुमति न दी गई हो। उपर्युक्त कार्य करने के लिए बोर्ड की लाइसेंसिंग शाखा को चाय की खेती के लिए बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों के पंजीकरण

10.12 हेक्टेयर तक की खेती वाली भूमि में चाय उगाने वाले उत्पादकों को छोटे चाय उत्पादक कहा जाता है।

जो उत्पादक 10.12 हेक्टेयर से अधिक खेती की भूमि में चाय उगाते हैं, उन्हें बड़े उत्पादक कहा जाता है।

की अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि छोटे चाय उत्पादकों और बड़े उत्पादकों के पंजीकरण के लिए कवरेज में अपर्याप्तताएं थीं, जिन पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

3.2.1 छोटे चाय उत्पादक

देश के 'तैयार चाय' के कुल उत्पादन में छोटे चाय उत्पादकों का योगदान पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है और यह 2016-17 में 44 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 50.29 प्रतिशत हो गया है। छोटे उत्पादकों के बढ़ते योगदान को ध्यान में रखते हुए और छोटे उत्पादकों के समग्र विकास के लिए अधिक ध्यान देने के लिए, बोर्ड द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा में निम्नलिखित मुद्दों का पता चला:

- i. टी बोर्ड ने वर्ष 2017-18 से छोटे चाय उत्पादकों को क्यूआर कोड के साथ आईडी कार्ड जारी करके उनकी पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की थी, ताकि वे पंजीकरण के दायरे में आएं।

छोटे चाय उत्पादकों को जारी किए गए क्यूआर कोड-आधारित कार्डों की स्थिति को दर्शाने वाला 31 मार्च 2021 तक का राज्य-वार डेटा तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: छोटे चाय उत्पादकों को जारी किए गए क्यूआर कोड-आधारित कार्डों की राज्य-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य ¹⁰	चिन्हित छोटे चाय उत्पादकों की संख्या	जारी किए गए क्यूआर कोड-आधारित कार्ड की संख्या	जारी किए गए क्यूआर कोड आधारित कार्ड का %
1	असम	1,18,754	76,024	64
2	मेघालय	777	240	31
3	त्रिपुरा	2,886	831	29
4	पश्चिम बंगाल	32,274	27,414	85
5	बिहार	2,534	1,647	65
6	हिमाचल प्रदेश	1,166	454	39

¹⁰ भारत के 15 चाय उत्पादक राज्यों में से, सिक्किम और कर्नाटक में टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोई भी छोटा चाय उत्पादक नहीं था

क्र. सं.	राज्य ¹⁰	चिन्हित छोटे चाय उत्पादकों की संख्या	जारी किए गए क्यूआर कोड-आधारित कार्ड की संख्या	जारी किए गए क्यूआर कोड आधारित कार्ड का %
7	उत्तराखंड	1,448	332	23
8	मिजोरम	644	-	-
9	अरुणाचल प्रदेश	3,526	-	-
10	नागालैंड	3,335	1,721	52
11	मणिपुर	484	-	-
12	तमिलनाडु	46,997	25,516	54
13	केरल	7,921	3621	46
	कुल	2,22,746	1,37,800	62

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में छोटे चाय उत्पादकों को जारी किए गए क्यूआर कोड-आधारित कार्डों की स्थिति के राज्यवार आंकड़ों की संवीक्षा की गई और पाया गया कि:

- 2,22,746 पहचाने गए छोटे उत्पादकों में से केवल 1,37,800 को क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र जारी किए गए थे, जो कुल पहचाने गए छोटे चाय उत्पादकों का 62 प्रतिशत है।
- मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों में किसी भी छोटे चाय उत्पादक को क्यूआर कोड आधारित कार्ड जारी नहीं किए गए हैं।
- मेघालय, त्रिपुरा और उत्तराखंड में पंजीकृत न होने वाले छोटे चाय उत्पादकों का प्रतिशत क्रमशः 69 प्रतिशत, 71 प्रतिशत और 77 प्रतिशत था।

इस प्रकार, 84,946 छोटे चाय उत्पादक¹¹ जो कुल छोटे चाय उत्पादकों का लगभग 38 प्रतिशत हैं, चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत टी बोर्ड की अपेक्षित अनुमति के बिना, 31 मार्च 2021 तक चाय की खेती जारी रखे हुए थे। क्यूआर कोड आधारित कार्ड जारी न होने के कारण भूमि विवरण की अनुपलब्धता, वन भूमि में चाय की खेती और अपूर्ण आवेदन/आवेदन शुल्क प्राप्त न होना आदि थे। लेखापरीक्षा में वर्ष 2016-17 से

¹¹ 2,22,746 - 1,37,800

2020-21 के अवधि के दौरान छोटे चाय उत्पादकों के पंजीकरण के प्रचलन का विश्लेषण किया (अनुलग्नक-III) जिसमें यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान चिन्हित छोटे चाय उत्पादकों की संख्या 1,53,318 से बढ़कर 2,22,746 हो गई जबकि उसी अवधि के दौरान पंजीकृत छोटे चाय उत्पादकों की संख्या 1,07,631 से बढ़कर 1,37,800 हो गई।

- ii. टी बोर्ड ने वर्ष 2011-12 से बेसलाइन सर्वेक्षण करना शुरू किया, जिसमें मुख्य रूप से आवश्यकता आधारित विकास योजनाएं तैयार करने, भारत में चाय बागानों की चाय निर्देशिका तैयार करने और प्रकाशित करने, चाय उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र के संबंध में चाय के आंकड़ों के अद्यतन, बागानों की आयु प्रोफाइल के लिए भारत में स्थित चाय बागानों (संगठित क्षेत्र) के स्वामित्व, बागान और मानव संसाधन प्रोफाइल, मानव संसाधन, आदि आंकड़ों के संग्रहण के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण शुरू किया गया था। टी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों ने आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए चाय बागानों को एक प्रारूप परिचालित किया और टी बोर्ड के अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा करके आंकड़ों का सत्यापन किया। बेसलाइन सर्वेक्षण की आवृत्ति सामान्यतः तीन वर्ष के अंतराल पर या जब भी आवश्यक हो, संगठित क्षेत्र में परिवर्तनों को पकड़ने के लिए होती थी। पिछला बेसलाइन सर्वेक्षण 2018 में पूरा हुआ था और लेखापरीक्षा के दौरान 2021 का बेसलाइन सर्वेक्षण प्रगति पर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बेसलाइन सर्वेक्षण में केवल बड़े उत्पादकों को शामिल किया गया था और छोटे चाय उत्पादकों को शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, टी बोर्ड ने छोटे चाय उत्पादकों के संबंध में अपेक्षित डाटाबेस का रखरखाव नहीं किया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि छोटे उत्पादकों की गणना एक सतत प्रक्रिया है और सभी छोटे उत्पादकों को इसके दायरे में लाना मुश्किल था क्योंकि वे अक्सर आसानी से जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, कुछ उत्पादक गणना प्रक्रिया में भाग लेने या गणना शिविरों में भाग लेने के लिए भी आगे नहीं आ रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में, बोर्ड ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों को आच्छादित किया था और वह शेष उत्पादकों को आच्छादित करेगा।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि छोटे चाय उत्पादकों के लिए रोपण परमिट के संबंध में, चाय की खेती के विस्तार पर नियंत्रण से संबंधित चाय अधिनियम, 1953 की धारा

12 से 16 को, भारत सरकार द्वारा, व्यापार करने में आसानी के लिए, निलंबित कर दिया गया था, जिसकी अधिसूचना 23 अगस्त 2021 को जारी की गई थी।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि टी बोर्ड के पास प्रचालनरत छोटे चाय उत्पादकों की वास्तविक संख्या के संबंध में स्पष्ट आंकड़े नहीं थे। इसके अलावा, टी बोर्ड के पास इस बारे में कोई रणनीति नहीं थी कि क्यूआर कोड-आधारित कार्ड जारी करके पहचाने गए छोटे चाय उत्पादकों को अपने दायरे में कैसे लाया जाए। इस प्रकार, छोटे चाय उत्पादकों के पर्याप्त आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, टी बोर्ड ने विकास योजनाओं के अंतर्गत उन छोटे चाय उत्पादकों की न तो पर्याप्त निगरानी की और न ही उन्हें कोई लाभ प्रदान करने में वह सक्षम था। यद्यपि, सरकार ने छोटे चाय उत्पादकों के लिए रोपण परमिट जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन तथ्य यह है कि यह लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल अवधि से संबंधित नहीं था। इसके अलावा, छोटे चाय उत्पादकों द्वारा उत्पादित चाय की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी करने और उनके विकास के लिए छोटे चाय उत्पादकों को लाभ प्रदान करने के लिए, टी बोर्ड को सभी छोटे चाय उत्पादकों की पहचान करनी चाहिए। इसके अलावा चाय अधिनियम 1953 की धारा 10 के अनुसार चाय उत्पादकों के आंकड़ों के संग्रह और प्रकाशन का उत्तरदायित्व टी बोर्ड का है, जिसके लिए छोटे चाय उत्पादकों की पहचान आवश्यक है।

सिफारिश संख्या 1: टी बोर्ड को सभी छोटे चाय उत्पादकों की पहचान के लिए सुपरिभाषित रणनीति बनानी चाहिए, एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए और उन्हें विकासात्मक सहायता और विनियामक नियंत्रण प्रदान करने के लिए अपने दायरे में लाना चाहिए।

3.2.2 बड़े उत्पादक

31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर राज्यवार पंजीकृत बड़े उत्पादकों की स्थिति तालिका 3.2 में दी गई है:

तालिका 3.2: बड़े उत्पादकों का राज्यवार पंजीकरण

क्र. सं.	राज्य	चिन्हित बड़े चाय उत्पादकों की संख्या	पंजीकृत बड़े उत्पादकों की संख्या	गैर-पंजीकृत बड़े उत्पादकों की संख्या
1	असम	758	750	8
2	पश्चिम बंगाल	457	352	105
3	त्रिपुरा	52	49	3
4	अरुणाचल प्रदेश	30	30	-
5	सिक्किम	1	1	-
6	मेघालय	2	2	-
7	बिहार	7	5	2
8	हिमाचल प्रदेश	15	15	-
9	मिजोरम	1	1	-
10	उत्तराखंड	6	6	-
11	मणिपुर	1	1	-
12	नागालैंड	1	1	-
13	तमिलनाडु	133	133	-
14	केरल	93	92	1
15	कर्नाटक	16	16	-
	कुल	1,573	1,454	119

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2021 तक 119 बड़े उत्पादक टी बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं थे, जिनमें से 105 बड़े उत्पादक पश्चिम बंगाल में थे। वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बड़े उत्पादकों के पंजीकरण के प्रचलन का विवरण **अनुलग्नक -III** में है।

उल्लेखनीय है कि वन भूमि, कृषि भूमि, जनजातीय भूमि आदि के परिरक्षण/रूपांतरण न किए जाने के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 दिसम्बर, 1998 से राज्य में चाय की खेती के विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसे आगे बढ़ाकर 30 जून, 2001 कर दिया गया था। राज्य सरकार से अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण टी बोर्ड उन उत्पादकों का पंजीकरण नहीं कर सका। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल में 105 बड़े उत्पादक टी बोर्ड से किसी भी अनुमति के बिना कार्य कर रहे थे। टी बोर्ड न तो कोई विनियामक नियंत्रण कर सका और न ही इन अपंजीकृत बड़े उत्पादकों को कोई योजना लाभ प्रदान कर सका।

उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि गैर-पंजीकृत बड़े उत्पादकों के बारे में रिकॉर्ड लाइसेंसिंग शाखा के पास उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा की दलील को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए टी बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

इन उत्तरों को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा ने टी बोर्ड के कार्यालयों (जेड. ओ./आर.ओ.) से ही अपंजीकृत उत्पादकों के विवरण एकत्र किए थे। इससे पता चलता है कि टी बोर्ड के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच समन्वय की कमी थी।

3.2.3 चाय के रोपण के लिए छोटे चाय उत्पादकों के पंजीकरण की प्रक्रिया में कमियां

चाय नियमावली, 1954 के नियम 30 ए (1) के अनुसार, टी बोर्ड को किसी भी ऐसी भूमि, जिसके संबंध में चाय लगाने की अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, का निरीक्षण करना चाहिए ताकि वह किसी सर्वेक्षण मानचित्र की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सके और आम तौर पर आवेदन का निपटान करने में सक्षम हो सके।

इसके अलावा, नियम 30 ए (2) के अनुसार, चाय के रोपण के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुमति प्रदान करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को भूमि के स्वामित्व या धारण के साथ-साथ भूमि की प्रकृति और भूमि के संबंध में जलवायु परिस्थितियों के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए ऐसी अनुमति लागू की जाती है।

इसके अलावा, नियम 30 ए (6) में निर्धारित किया गया था कि मालिक (चाय उत्पादक), जिसे परमिट जारी किया गया था, को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को एक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, जिसमें परमिट के अनुसरण में उस तिथि तक लगाए गए क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का उपयोग न करने के कारण और अगले दो वर्षों के लिए चाय लगाने का कार्यक्रम दिखाया जाएगा।

आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी और आंचलिक कार्यालय, कुन्नूर के तहत छोटे चाय उत्पादकों को चाय के बागान की अनुमति प्रदान करने के लिए 200 आवेदनों की संवीक्षा से पता चला कि:

- 31 मामलों में, छोटे चाय उत्पादकों द्वारा भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

- 196 मामलों में, छोटे चाय उत्पादकों द्वारा लगाए गए क्षेत्र को दर्शाने वाले कोई सर्वेक्षण मानचित्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
- चाय बागान के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी थी। तथापि, किसी भी छोटे चाय उत्पादक द्वारा भूमि के संबंध में आवेदन के साथ इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके लिए अनुमति मांगी गई थी।
- छोटे चाय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत विवरणों की पुष्टि के लिए टी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण का कोई विवरण रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया।
- किसी भी छोटे चाय उत्पादक ने चाय नियम, 1954 के नियम 30 ए (6) में अनिवार्य रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया। टी बोर्ड ने छोटे चाय उत्पादकों से इसका संग्रहण शुरू करने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की।

इस प्रकार, छोटे चाय उत्पादकों को रोपण अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया चाय नियमावली, 1954 में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं थी क्योंकि चाय के रोपण की अनुमति के लिए आवेदन करते समय छोटे चाय उत्पादकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा, छोटे चाय उत्पादकों की सत्यापित जानकारी के अभाव में छोटे चाय उत्पादकों के विकास के लिए कोई योजना तैयार करने से वांछित परिणाम नहीं मिल पाएंगे।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि छोटे चाय उत्पादकों के लिए दस्तावेजी आवश्यकताओं का पालन करना मुश्किल था क्योंकि वे बहुत असंगठित थे और मूल्य श्रृंखला के निचले पायदान पर बने हुए थे। उनकी गणना और क्यूआर आधारित कार्डों का सृजन एक सतत् प्रक्रिया थी और गणना डेटाबेस ने छोटे चाय उत्पादकों के लिए नीतियों के निर्माण के लिए उचित जानकारी दी। हालांकि, लेखापरीक्षा तर्क को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया था। इसके अलावा, रोपण के लिए टी बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने को सरकार द्वारा 23 अगस्त 2021 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि व्यापार करने में आसानी के लिए चाय की खेती के विस्तार पर नियंत्रण से संबंधित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 12 से 16 को, केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 2021 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से, निलंबित कर दिया गया है।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पर्याप्त नियंत्रण और निगरानी के लिए और चाय उत्पादकों को उनके विकास के लिए लाभ प्रदान करने के लिए टी बोर्ड को छोटे चाय उत्पादकों की पहचान और उन्हें सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए।

वर्ष 2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 10 के तहत टी बोर्ड पर पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह सिफारिश की गई थी कि टी बोर्ड को सभी छोटे चाय उत्पादकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चाय व्यवसाय में सभी हितधारक अपेक्षित और पूर्ण सूचना समय पर प्रस्तुत करें, जिसका उपयोग टी बोर्ड द्वारा चाय अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेहतर विनियमन के लिए किया जाएगा। तथापि, काफी समय बीत जाने के बाद भी 38 प्रतिशत छोटे चाय उत्पादकों का पंजीकरण होना अभी बाकी था और वे टी बोर्ड की अपेक्षित अनुमति के बिना चाय की खेती जारी रखे हुए थे। इसके अतिरिक्त, छोटे चाय उत्पादकों को बेसलाइन सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप छोटे चाय उत्पादकों के बुनियादी आंकड़ों का संग्रहण नहीं किया गया था।

3.2.4 प्लांटिंग परमिट शुल्क की वसूली न होने से ₹41.36 लाख की राजस्व हानि

टी बोर्ड ने 19 जून 2017 को आयोजित अपनी 232 वीं बैठक में तत्काल प्रभाव से प्लांटिंग परमिट जारी करने के लिए ₹94,000 की दर से शुल्क लेने का निर्णय लिया। जांच से पता चला कि परमिट शुल्क लेने के निर्णय के बाद टी बोर्ड द्वारा 44 रोपण परमिट जारी किए गए थे। हालांकि, आवेदकों से कोई परमिट शुल्क नहीं लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹41.36 लाख के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि बोर्ड द्वारा स्थापना के बाद से कोई शुल्क एकत्र नहीं किया गया था क्योंकि चाय अधिनियम, 1953 में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, बोर्ड ने 19 जून 2017 को हुई बैठक में प्लांटिंग परमिट जारी करने के लिए शुल्क एकत्र करने की मंजूरी दे दी और टी बोर्ड अनुमोदन के लिए मंत्रालय को औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में था, मंत्रालय ने विनियामक अनुपालन को कम करने के लिए टी बोर्ड द्वारा रोपण परमिट जारी करना बंद करने का निर्देश दिया। इसलिए, रोपण परमिट जारी करने के लिए कोई शुल्क एकत्र नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि रोपण परमिट के लिए शुल्क लगाने के लिए टी बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

प्रबंधन के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि परमिट शुल्क लेने का निर्णय, "लाइसेंस की अन्य श्रेणियों" (नियंत्रण आदेशों के तहत आच्छादित नहीं किया गया है) के तहत आता है, जिसके लिए मंत्रालय से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, मंत्रालय के अनुमोदन की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी और बोर्ड को रोपण परमिट शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा, प्रबंधन ने रोपण परमिट जारी करना बंद करने के लिए मंत्रालय के निर्देशों को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

3.3 लाइसेंस जारी करना

टी बोर्ड की लाइसेंसिंग शाखा समय-समय पर सरकार और टी बोर्ड द्वारा जारी किए गए के विभिन्न निर्देशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य गतिविधियों के साथ चाय व्यवसाय करने के लिए हितधारकों को विभिन्न लाइसेंस जारी करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने टी बोर्ड द्वारा लाइसेंस जारी करने से संबंधित अभिलेखों की जांच की और निम्नलिखित का अवलोकन किया:

3.3.1 हितधारकों को लाइसेंस जारी करने में विलंब

टी बोर्ड भारत, चाय अधिनियम, 1953 और चाय नियमावली, 1954 के अंतर्गत, विनिर्माण इकाइयों की स्थापना, चाय के निर्यात, गोदामों के रख-रखाव, नीलामी के संचालन, चाय अपशिष्ट की बिक्री आदि से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए स्टैकहोल्डरों को विभिन्न लाइसेंस/प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। ऐसे पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित प्रावधान और शर्तें अधिनियम और नियमों के व्यापक अवलोकन के अंतर्गत चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003, चाय भंडारण (लाइसेंस) आदेश, 1989, चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959, चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 आदि द्वारा शासित होती हैं। तदनुसार, टी बोर्ड ने मई 2016 में विभिन्न लाइसेंस/प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की।

2018-19 से 2020-21 के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए हितधारकों को जारी लाइसेंस/प्रमाण पत्रों से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़ों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 3.3: 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान लाइसेंस/प्रमाण पत्र जारी करना

क्र. सं.	लाइसेंस/प्रमाण पत्रों की प्रकृति	जारी किए गए लाइसेंस/प्रमाण पत्रों की संख्या	लाइसेंस/प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या	सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद समय सीमा के बाद जारी किए गए लाइसेंसों/ प्रमाण पत्रों की संख्या	विलंब (दिनों में)		
					1 से 10	11 से 20	20 से अधिक
1	निर्यातक लाइसेंस	1,378	10	164	142	19	3
2	वितरक लाइसेंस	96	10	11	11	0	0
3	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र	285	10	46	35	4	7
4	खरीदार लाइसेंस	639	7	124	86	13	25
5	ब्रोकर लाइसेंस	67	10	21	13	4	4
6	नीलामी आयोजकों का लाइसेंस	22	10	10	8	2	0
7	सुवास पंजीकरण प्रमाण पत्र	113	10	23	19	4	0
8	गोदाम लाइसेंस	455	15	91	41	13	37
9	विनिर्माण इकाई के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र	88	15	21	13	1	7
10	चाय अपशिष्ट लाइसेंस	2,068	14	192	123	31	38
कुल		5,211		703	491	91	121

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 5,211 मामलों में से 4,508 मामले (87 प्रतिशत) लाइसेंस निर्धारित समयावधि के भीतर जारी किए गए थे, जो लाइसेंस/प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में प्रभावशीलता को दर्शाता है। तथापि, शेष 13 प्रतिशत में और सुधार की गुंजाइश है, जिनमें लाइसेंस जारी करने में विलंब के मामले हैं। यह भी देखा गया कि 121 मामलों में लाइसेंस 20 दिन से अधिक के विलंब से जारी किए गए। लेखापरीक्षा ने उस तिथि से विलंब की गणना की है जिस दिन सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं, जिसमें निरीक्षण पूरा करना भी शामिल है जिस दिन लाइसेंस/प्रमाण पत्र जारी किए गए

थे। इस प्रकार, इस तरह की देरी निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने के लिए लाइसेंसिंग विभाग के प्रयासों की कमी के कारण हो सकती है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मामले को देखने का आश्वासन दिया (जुलाई 2022)। मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि टी बोर्ड भविष्य में लाइसेंस जारी करने में विलंब से बचने के लिए आवश्यक प्रावधान करने की प्रक्रिया में था।

3.3.2 लाइसेंस शुल्क में वृद्धि और संग्रहण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹41.83 लाख के राजस्व की हानि

टी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसी एंड आई) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उप-धाराओं (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने के लिए शुल्क एकत्रित करता है।

बोर्ड ने 19 जून 2017 को आयोजित अपनी 232 वीं बैठक में टी बोर्ड के विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसे अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेज दिया। मंत्रालय ने दरों में संशोधन के लिए 20 अगस्त 2018 को अधिसूचना जारी की।

संवीक्षा से पता चला कि चाय अपशिष्ट के लाइसेंस जारी करने/नवीकरण के मामले में, दरों में संशोधन के लिए मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी करने से लगभग एक वर्ष के विलंब के बाद टी बोर्ड द्वारा दरों को संशोधित किया गया था। संशोधित लाइसेंस शुल्क के कार्यान्वयन और संग्रहण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹41.83 लाख के राजस्व की हानि हुई (अनुलग्नक-IV)।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि कार्यान्वयन में विलंब के कारण अंतर लाइसेंस शुल्क राशि आवेदकों से वसूल की गई थी। मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि टी बोर्ड ने ₹38.03 लाख की वसूली की और शेष राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए वह मामले की जांच कर रहा था।

तथापि, इस प्रकार शुरू की गई वसूली के लिए सहायक दस्तावेजों का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के लिए बोर्ड के

अनुमोदन के बावजूद कार्यान्वयन में विलंब से भारतीय टी बोर्ड की ओर से निगरानी की कमी का पता चलता है।

3.3.3 टी बोर्ड द्वारा लाइसेंस शुल्क पर जीएसटी को लागू करने और संग्रहण में विलंब के कारण सरकारी खजाने को ₹32.39 लाख के राजस्व की हानि

भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 लागू किया। अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) के अनुसार जीएसटी, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूपों पर लागू होता है। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, लाइसेंस जारी करने पर जीएसटी लगता है। लाइसेंस शुल्क पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

हालांकि, टी बोर्ड ने 1 जुलाई 2017 से विभिन्न लाइसेंस शुल्कों पर जीएसटी एकत्र नहीं किया था। टी बोर्ड ने जून 2019 में ही लाइसेंस फीस पर जीएसटी की वसूली के लिए परिपत्र जारी किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड ने जीएसटी के उदग्रहण/संग्रहण में विलंब किया और विलंब की अवधि के दौरान, जीएसटी के बिना ₹1.80 करोड़ की लाइसेंस फीस एकत्र की गई थी। इससे सरकारी खजाने को ₹32.40 लाख¹² के राजस्व की हानि हुई।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि टी बोर्ड, जीएसटी से पहले और जीएसटी की शुरुआत के बाद कोई सेवा शुल्क नहीं ले रहा था। हालांकि, इस मुद्दे को सलाहकार के समक्ष उठाया गया और उनकी राय के आधार पर, बोर्ड ने लाइसेंस शुल्क पर जीएसटी एकत्र करना शुरू कर दिया (जून 2019)।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि टी बोर्ड ने अब अपने सलाहकार के माध्यम से वैधानिक कानूनों/अधिनियमों/नियमों में किसी भी बदलाव पर तत्काल अधिसूचना प्राप्त करने के लिए उपाय करना शुरू कर दिया है।

इसलिए, तथ्य यह है कि लाइसेंस शुल्क पर जीएसटी के कार्यान्वयन में विलंब के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को राजस्व की हानि हुई।

¹² ₹1.80 करोड़ का 18 प्रतिशत

3.4 चाय बागानों/कारखानों का निरीक्षण

विनियामक गतिविधियों के एक भाग के रूप में, टी बोर्ड चाय बागानों/कारखानों का निरीक्षण करता है ताकि उनके द्वारा विभिन्न नियंत्रण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। आर.ओ. के अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए उद्यानों/कारखानों में तैनात किया जाता है। लेखापरीक्षा ने टी बोर्ड द्वारा चाय बागानों/कारखानों के निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जांच की और निम्नलिखित का अवलोकन किया:

3.4.1 विभिन्न नियंत्रण आदेशों और पौधा संरक्षण संहिता दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए चाय कारखानों के निरीक्षण में कमियां

चाय अधिनियम, 1953 की धारा 34 ने टी बोर्ड को चाय की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए चाय बागानों में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किया। इसके अलावा, टी बोर्ड द्वारा पादप संरक्षण संहिता (पीपीसी) विकसित की गई थी ताकि दिशानिर्देशों के अनुसार कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, जो भारतीय चाय के खरीदारों और आयातकों के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्वास पैदा करने के लिए भी आवश्यक था।

एक नमूना जांच के रूप में, लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान, जेड. ओ., गुवाहाटी के तहत आर.ओ. द्वारा किए गए कारखानों के निरीक्षण के संबंध में डेटा की जांच की, जिसमें निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 3.4: 2016-17 से 2020-21 के दौरान किए गए कारखानों का वर्ष-वार निरीक्षण

वर्ष	जेड. ओ., गुवाहाटी के तहत कारखानों की कुल संख्या	निरीक्षण किए गए कारखानों की संख्या	निरीक्षण न किए गए कारखानों की संख्या	निरीक्षण न किए गए कारखानों का प्रतिशत (%)
2016-17	870	91	779	89.54
2017-18	870	186	684	78.62
2018-19	870	70	800	91.95
2019-20	870	132	738	84.83
2020-21	870	171	699	80.34

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त प्रावधानों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए टी बोर्ड द्वारा कोई पूर्व योजना नहीं बनाई गई थी। कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग की जांच करने के लिए किए गए निरीक्षणों की संख्या के संबंध में सूचना की निगरानी के लिए कोई नियंत्रण तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल अवधि के दौरान निरीक्षण न किए गए कारखानों का प्रतिशत 78.62 प्रतिशत से 91.95 प्रतिशत के बीच था, जो टी बोर्ड की ओर से खराब निगरानी को दर्शाता है।

कारखानों के निरीक्षण के लिए कोई अग्रिम योजना या लक्ष्य निर्धारित नहीं होने के कारण चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चाय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और पौधा संरक्षण संहिता दिशानिर्देशों के अनुपालन की उचित निगरानी नहीं की जा सकी।

चित्र 3.2: दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में चाय बागान



खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अनुसार, कीटनाशक अवशेषों, जैव-रासायनिक तत्वों, धातु संदूषकों, अतिरिक्त रंगों आदि की उपस्थिति का परीक्षण किया जाना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे मानव उपभोग के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि टी बोर्ड ने नियमित दौरे और निरीक्षण किए, चाय के नमूने एकत्र किए और उल्लंघन की सीमा के आधार पर पंजीकरण के निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की। पौधा संरक्षण संहिता के अनुपालन के संबंध में टी बोर्ड की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला नियमित आधार पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदंडों

का अनुपालन करने के लिए वाणिज्यिक चाय के नमूनों का परीक्षण कर रही थी और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित आधार पर कारखाना स्तरों पर इनका अनुपालन किया जा रहा था।

भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि टी बोर्ड ने नियमित अंतराल पर विभिन्न विनिर्माण इकाइयों/ गोदामों का औचक दौरा और निरीक्षण किया और उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए चाय के नमूने एकत्र किए। इसने एक वित्तीय वर्ष में 100 प्रतिशत विनिर्माण इकाइयों/ गोदामों का निरीक्षण करने में कठिनाइयों को भी व्यक्त किया।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पौधा संरक्षण संहिता के अनुपालन की जांच करने के लिए चाय कारखानों के निरीक्षण और नमूनों के संग्रहण में काफी कमी थी। इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड ने कारखानों का निरीक्षण करने के लिए कोई वार्षिक निरीक्षण योजना तैयार नहीं की थी। इसके अलावा, अनियमित निरीक्षणों ने निगरानी के उद्देश्य को विफल कर दिया।

सिफारिश संख्या 2: टी बोर्ड को विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत आवश्यकतानुसार विभिन्न निरीक्षण गतिविधियों की निगरानी के लिए एक व्यापक आंतरिक प्रक्रिया/मैन्युअल तैयार करना चाहिए। इसके अलावा, चाय कारखानों/बागानों का समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण गतिविधियों की समयबद्ध निगरानी की प्रणाली शुरू की जा सकती है।

3.4.2 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में निर्दिष्ट चाय की गुणवत्ता की निगरानी के लिए चाय के नमूनों का अपर्याप्त परीक्षण

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैराग्राफ 28 और 29 (समय-समय पर संशोधित) में निर्माताओं/खरीदारों द्वारा चाय के मानक का पालन करने और नमूना तैयार करने के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि:

- i. कोई भी विनिर्माता ऐसी चाय का उत्पादन नहीं करेगा जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के तहत निर्धारित विनिर्देशों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य नियमों के अनुरूप नहीं है।
- ii. कोई भी खरीदार ऐसी चाय की खरीद और/या बिक्री का सौदा नहीं करेगा जो एफएसएसए, 2006 के तहत निर्धारित चाय के विनिर्देशों या उसके तहत बनाए गए

नियमों या विनियमों या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य नियमों के अनुरूप नहीं है।

- iii. पंजीकरण प्राधिकारी या लाइसेंसिंग प्राधिकारी बोर्ड के एक अधिकारी को 3 सेटों में प्रति सेट 125 ग्राम से अधिक वजन का कोई भी नमूना लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जिसे उक्त अधिकारी और संबंधित मालिक के प्रतिनिधियों और किसी अन्य दो गवाहों द्वारा विधिवत सील और हस्ताक्षरित किया गया है, जो निर्माता/खरीदार द्वारा रखे गए किसी भी स्टॉक से लिया गया है, ताकि यह जाँच की जा सके कि लिया गया नमूना एफएसएसए, 2006 या फिलहाल लागू कोई अन्य नियम के तहत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के खंड 12 में कहा गया है कि "ऐतिहासिक आंकड़ों और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर इन विनियमों के अनुसार खाद्य उत्पादों में प्रासंगिक रासायनिक और/या सूक्ष्म जीव विज्ञानी संदूषकों का परीक्षण सुनिश्चित करें ताकि छह महीने में कम से कम एक बार स्वयं या एनएबीएल¹³ मान्यता प्राप्त/ एफएसएसए अधिसूचित प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुरक्षित भोजन का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित किया जा सके"।

उपर्युक्त आदेश/विनियमों के अनुपालन में, टी बोर्ड के जेड. ओ., गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी पंजीकृत चाय निर्माताओं को परिपत्र जारी किया (अप्रैल 2019), जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत पंजीकृत चाय निर्माण इकाइयों को किसी भी एनएबीएल/ एफएसएसएआई¹⁴ प्रमाणित प्रयोगशालाओं में अपनी चाय का परीक्षण कराना चाहिए। जेड. ओ., गुवाहाटी के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (आर.ओ.)/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) को विनिर्माण इकाइयों द्वारा चाय के ऐसे परीक्षण के अनुपालन की जांच करने का भी निर्देश दिया गया था। मई 2019 में, जेड. ओ., गुवाहाटी ने अपने आर.ओ./एसआरओ को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विनिर्माण इकाइयों द्वारा परीक्षण किए गए नमूनों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद, दिसंबर 2020 में, जेड. ओ., गुवाहाटी ने पाया कि अधिकांश चाय निर्माण इकाइयां एफएसएसएआई के नियमों के अनुसार नमूने के

¹³ परीक्षण और अंशान्न प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

¹⁴ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

वैधानिक परीक्षण का पालन करने में विफल रहें। तदनुसार, जेड. ओ., गुवाहाटी ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को नमूने एकत्र करने और परीक्षण के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के तहत अधिकृत प्रयोगशाला में भेजने के लिए तैनात करने का निर्णय लिया। इस संबंध में क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश भी जारी किए गए थे। इसी तरह, जेड. ओ., कुन्नूर ने भी सभी विनिर्माण इकाइयों को छह महीने में एक बार एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में अपनी चाय का परीक्षण कराने के लिए परिपत्र जारी किए (दिसंबर 2020)।

लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, जेड. ओ., गुवाहाटी और जेड. ओ., कुन्नूर द्वारा जारी उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों और निर्देशों के अनुपालन की जांच की और निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- 5 वर्षों की उपरोक्त अवधि के दौरान नमूना संग्रहण में कमी 84 प्रतिशत से 97 प्रतिशत के बीच थी। इस प्रकार, बहुत कम नमूने एकत्र किए गए थे जो टी बोर्ड द्वारा चाय की गुणवत्ता की खराब निगरानी को दर्शाते हैं।
- नमूनों के सीमित संग्रहण के बाद भी, नमूनों की विफलता दर 14 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक थी (अनुलग्नक-V में विवरण)। चूंकि वह चाय मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए जिस संपूर्ण भाग से ऐसे नमूने एकत्र किए गए थे, उन्हें नष्ट/विकृत कर दिया गया था। विफलता की उपरोक्त दर चाय के नमूनों के पर्याप्त परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है ताकि खराब गुणवत्ता वाली चाय मानव उपभोग के लिए बाजार में न जाए।

इस प्रकार, नमूनों के अपर्याप्त परीक्षण के परिणामस्वरूप चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 की शर्त का अनुपालन नहीं किया गया। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, टी बोर्ड द्वारा कारखानों से लिए गए नमूनों का परीक्षण चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और लगातार विफलता के मामले में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि तिमाही आधार पर प्रत्येक विनिर्माण इकाई से नमूने एकत्र करने के संबंध में, लाइसेंसिंग शाखा को उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन करने में उनकी अक्षमता के संबंध में आज तक क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, इस मामले को क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ उठाया जा रहा था। पादप संरक्षण संहिता के अनुपालन के संबंध में टी बोर्ड की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला,

एफएसएसआई मानदंडों का अनुपालन करने के लिए वाणिज्यिक चाय के नमूनों का परीक्षण कर रही है और कारखाना स्तरों पर पादप संरक्षण संहिता का अनुपालन नियमित आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

इस उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि नमूना संग्रहण में भारी कमी थी, नमूनों की उच्च विफलता दर और टी बोर्ड द्वारा चाय की गुणवत्ता की खराब निगरानी की गई थी।

मंत्रालय ने भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट करते हुए कहा (अक्टूबर 2022) कि टी बोर्ड द्वारा चाय के नमूनों के परीक्षण के लिए एक वार्षिक योजना तैयार की जा रही है।

सिफारिश संख्या 3: टी बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार में उत्पादित और बेची जाने वाली चाय, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, श्रमबल की कमी को ध्यान में रखते हुए टी बोर्ड कारखानों के निरीक्षण और चाय के नमूनों के संग्रहण के लिए बाहरी एजेंसियों को नियुक्त करने की व्यवहार्यता का भी पता लगाए।

3.4.3 आयातित नेपाल चाय और दार्जिलिंग चाय के साथ इसके सम्मिश्रण पर अनुचित विनियमन

नेपाल में उच्च ऊंचाई वाले चाय क्षेत्र ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन करते हैं और ऐसी चाय दार्जिलिंग चाय के साथ कुछ समानताएं रखती है क्योंकि दोनों क्षेत्र समान स्थलाकृति, मिट्टी, पर्यावरण, मौसम, जलवायु, तापमान और वर्षा साझा करते हैं। दोनों क्षेत्रों की चाय की झाड़ियां चीन क्लोनल किस्म की हैं। 2017-18 से 2020-21 के दौरान, नेपाल ने भारत को चाय के अपने कुल निर्यात का लगभग 96 प्रतिशत निर्यात किया। भारत में नेपाल चाय के आयात का मुख्य उद्देश्य मूल्य संवर्धन और सम्मिश्रण प्रयोजनों के लिए पुनः निर्यात करना है।

टी बोर्ड (नवंबर 2021) ने भारतीय मूल की दार्जिलिंग भौगोलिक पहचान (जीआई) चाय की सुरक्षा के लिए चाय विपणन नियंत्रण आदेश, 2003 और चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के तहत परिपत्र यह निर्देश देते हुए जारी किए कि:

- (i) सभी आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आयातित चाय की उत्पत्ति का उल्लेख उनके सभी बिक्री चालानों में किया जाए और आयातित चाय को भारतीय मूल की चाय के रूप में परिचालित न किया जाए।
- (ii) चाय के सभी वितरकों को निर्देश दिया गया है कि वे घरेलू उपयोग के लिए सस्ती और निम्न गुणवत्ता वाली आयातित चाय को भारतीय मूल की चाय के साथ न मिलाएं।
- (iii) दार्जिलिंग चाय के निर्माताओं को जीआई क्षेत्र के बाहर से हरी पत्ती नहीं खरीदने का निर्देश दिया गया है।
- (iv) चाय खरीदारों को निर्देश दिया गया है कि वे आयातित चाय को दार्जिलिंग/कांगड़ा/असम (ऑर्थोडॉक्स)/नीलगिरि (ऑर्थोडॉक्स) की चाय के साथ न मिलाएं।

ऐसी शिकायतें थी कि नेपाल की चाय को जीआई टैग वाली दार्जिलिंग चाय के साथ भारतीय चाय के रूप में मिश्रण एवं पुनर्विक्रय हेतु मिलाया गया था जिससे दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता को बनाए रखने में समस्या पैदा हो रही थी। टी बोर्ड की बोर्ड बैठक (जनवरी 2020) में भी इस मामले पर चर्चा की गई थी।

उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए टी बोर्ड ने विशेष रूप से नेपाली चाय के वितरकों/आयातकों की औचक जांच की। इसके अलावा, भारतीय सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त निर्यात विवरण की लाइसेंसिंग शाखा के आंकड़ों से इसके प्रति-सत्यापन से, टी बोर्ड ने पाया कि नेपाल चाय के 127 आयातकों में से 90 को बोर्ड द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया था। चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के तहत, भारत में आयातित चाय के निर्यात, आयात और वितरण के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। अतः यह स्पष्ट है कि नेपाल की चाय के आयात और दार्जिलिंग चाय के साथ इसके सम्मिश्रण पर टी बोर्ड की ओर से नियंत्रण तंत्र की कमी है जिससे दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता कम हो सकती है। टी बोर्ड द्वारा वैध लाइसेंस के बिना नेपाल की चाय के आयात के मुद्दे को सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष उठाया गया था, जिसने भारत में चाय के आयात से पहले अनिवार्य निकासी प्रमाण पत्र मांगना शुरू कर दिया है।

प्रबंधन ने (जुलाई 2022) कहा कि वे इस मामले को देखेंगे। मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि उसने एफएसएसएआई से नेपाल से केवल तीन भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों अर्थात् जोगबनी, पानीटंकी और रक्सौल से चाय के आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया था (जुलाई 2022) और एफएसएसएआई से इन भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर पतन प्रतिबंध के साथ एफएसएसएआई की आयात निकासी के लिए नेपाल से चाय की सभी खेपों के अनिवार्य रेफरल के लिए मामले को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के समक्ष उठाने का भी अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, नेपाल से चाय की आयात निकासी को सुदृढ़ करने के लिए भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित टी बोर्ड और सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ एफएसएसएआई द्वारा एक संयुक्त प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया था।

हालांकि, तथ्य यह है कि दार्जिलिंग चाय के साथ नेपाल की चाय को मिलाने की पद्धति अभी भी जारी है जो अंततः विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता को कम कर देगी।

सिफारिश संख्या 4: दार्जिलिंग चाय के साथ नेपाल की चाय के अवैध सम्मिश्रण से बचने और दार्जिलिंग चाय की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, टी बोर्ड द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

3.4.4 नियंत्रण आदेशों की शर्तों के अनुसार चाय कारखानों द्वारा चाय के अपशिष्ट की घोषणा न करना

चाय अपशिष्ट में चाय के स्वीपिंग्स, चाय की फलफ, चाय फाइबर या चाय के डंठल या ऐसी कोई वस्तु आती है जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित चाय के विनिर्देश के अनुरूप नहीं है। चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश 1959 के खंड 3ए के अनुसार, 'चाय अपशिष्ट' और 'निर्मित चाय' की न्यूनतम मात्रा 2:100 किलोग्राम के अनुपात में होनी चाहिए। इस प्रकार, सभी चाय कारखानों को अपने उत्पादन का कम से कम दो प्रतिशत चाय अपशिष्ट घोषित करना चाहिए।

चित्र 3.3: चाय अपशिष्ट



लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान चाय विनिर्माण इकाइयों द्वारा उत्पन्न चाय अपशिष्ट के अखिल भारतीय आंकड़ों की जांच की और चाय विनिर्माण इकाइयों द्वारा उत्पन्न चाय अपशिष्ट का विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है:

तालिका 3.5: 2018-19 से 2020-21 के दौरान चाय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले कारखानों की संख्या

वर्ष	उत्पादनाधीन चाय विनिर्माण इकाइयों की संख्या	चाय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले कारखानों की संख्या			दो प्रतिशत से कम चाय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले कारखानों की संख्या
		शून्य	दो प्रतिशत से कम	दो प्रतिशत तथा उससे अधिक	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)= (ग) + (घ)
2018-19	1,576	115	1,117	344	1,232
2019-20	1,609	133	1,020	456	1,153
2020-21	1,619	119	1,112	388	1,231

स्रोत: टी बोर्ड भारत का पोर्टल

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों में 1,153 से 1,232 चाय विनिर्माण इकाइयों ने दो प्रतिशत से कम चाय अपशिष्ट उत्पन्न किया और चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश, 1959 का पालन करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड ने चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेशों की शर्तों का अनुपालन न करने के लिए चाय कारखानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जो टी बोर्ड की ओर से निगरानी की कमी को दर्शाता है। इस प्रकार, चाय कारखानों द्वारा चाय अपशिष्ट की घोषणा न करने के कारण; चाय के स्वीपिंग्स, चाय की फलफ, चाय फाइबर, चाय के डंठल आदि, जो चाय बनाने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए थे और एफएसएसए, 2006 के अनुसार चाय के लिए विनिर्देश के अनुरूप नहीं थे, उन्हें सामान्य चाय के साथ मिलाया गया और उपभोक्ताओं को बेच दिया गया।

जवाब में, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि टी बोर्ड के चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश, 1959 के खंड 3 ए के अनुसार चाय अपशिष्ट और तैयार चाय का अनुपात 2:100 किलोग्राम था, जिसे हितधारकों द्वारा बहुत पहले मद्रास के माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई थी और माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था। मामला न्यायाधीन है, अतः टी बोर्ड द्वारा मामले के निपटान तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 22 मार्च 2013 के आदेश के तहत चाय अपशिष्ट के सृजन के प्रतिशत के रूप में 0.2 प्रतिशत निर्धारित किया है। इसके विरुद्ध टी बोर्ड द्वारा एक रिट अपील दायर की गई थी और मामला न्यायाधीन था।

3.5 हरी चाय पत्ती कीमत निगरानी समिति की बैठकों की अपर्याप्त संख्या

चाय विपणन नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 के पैरा 30ए (1) के अनुसार, प्रत्येक चाय उत्पादक जिले में एक हरी चाय पत्ती कीमत निगरानी समिति (जीएलपीएमसी) होनी चाहिए, जिसमें शामिल होंगे- खरीदे गए चायपत्ती कारखानों, छोटे चाय उत्पादकों और एस्टेट कारखानों के दो-दो प्रतिनिधि और बोर्ड का एक अधिकारी जोकि सहायक निदेशक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे चाय उत्पादक जिले के कलेक्टर या उपायुक्त पदेन अध्यक्ष होने चाहिए और बोर्ड के अधिकारी को बोर्ड का सदस्य सचिव होना चाहिए।

इसके अलावा, उपर्युक्त नियंत्रण आदेश के पैरा 30 ए (5) में यह निर्धारित किया गया है कि समिति को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:

- क) मूल्य साझाकरण फार्मूला लागू करके ऐसे जिले के चायपत्ती क्रेता कारखानों के पिछले महीने के औसत नीलामी मूल्य के आधार पर प्रत्येक अगले महीने के लिए छोटे चाय उत्पादकों को देय औसत हरी चायपत्ती कीमत की निगरानी करना।
- ख) छोटे चाय उत्पादकों को ऐसी औसत कीमत के भुगतान के अनुपालन की निगरानी करना और गलत तरीके से खरीद करने वाले चायपत्ती विनिर्माता को पंजीकरण प्राधिकरण के ध्यान में लाना।

इसके अलावा, उपर्युक्त नियंत्रण आदेश के पैरा 30 ए (6) में यह निर्धारित किया गया है कि समिति के सदस्य सचिव को एक महीने में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

छोटे चाय उत्पादकों की हरी चाय पत्तियों की कीमत एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि छोटे उत्पादकों का आर्थिक विकास हरी चाय पत्ती की कीमत पर निर्भर करता है और ऐसे उदाहरण हैं कि छोटे चाय उत्पादकों को हरी पत्ती का न्यूनतम बेंचमार्क मूल्य भी नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, छोटे चाय उत्पादकों को हरी पत्ती क्रेता कारखानों द्वारा न्यूनतम बेंचमार्क कीमत के भुगतान के अनुपालन की निगरानी के लिए नियमित आधार पर जीएलपीएमसी बैठकें आयोजित करना महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान असम और पश्चिम बंगाल (प्रमुख चाय उत्पादक राज्य) में आयोजित जीएलपीएमसी बैठकों से संबंधित आंकड़ों की जांच की और निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- असम के 18 चाय उत्पादक जिलों में से 10 में, 2016-17 से 2020-21 के दौरान जीएलपीएमसी की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी और शेष आठ जिलों में, एक वर्ष में आयोजित बैठकों की संख्या चार से कम थी, जबकि हर महीने में एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य था।
- इसी तरह, पश्चिम बंगाल के पांच चाय उत्पादक जिलों (अर्थात् अलीपुरद्वार, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर) में, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एक वर्ष में आयोजित बैठकों की संख्या दो से भी कम थी।

चूंकि टी बोर्ड के अधिकारी सदस्य सचिव थे, इसलिए समिति की बैठकें आयोजित करने की जिम्मेदारी टी बोर्ड की है, जिसे उचित तरीके से नहीं किया गया था।

रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान हरी चाय पत्ती कीमत निगरानी समिति की बैठक आयोजित करने में कमी के तथ्य को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि वर्तमान में पर्याप्त संख्या में बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि टी बोर्ड टीएमसीओ, 2003 के प्रावधानों के अनुसार जीएलपीएमसी की

नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए जिला अधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठा रहा था।

सिफारिश संख्या 5: छोटे चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और हरी चाय पतियों की न्यूनतम बेंचमार्क कीमत का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, चाय विपणन नियंत्रण आदेश में निर्धारित हरी चाय पत्ती कीमत निगरानी समिति की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

3.6 चाय की नीलामी

चाय की नीलामी उचित कीमत का पता लगाने के लिए प्रतिस्पर्धी तरीके से खरीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उत्पादित चाय का निपटान करने का एक साधन है। सार्वजनिक चाय नीलामी ने भारत में चाय के प्राथमिक विपणन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक चाय नीलामी में केवल थोक पैकेज वाली खुली चाय आती है। नीलामी प्रणाली में शामिल हितधारक नीलामी आयोजक, निर्मित चाय विनिर्माता (विक्रेता), दलाल, खरीदार और गोदाम हैं।

टी बोर्ड निर्यात और आयात आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नीलामी प्रणाली की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है, जोकि चाय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

3.6.1 पैनइंडिया ई-नीलामी प्रणाली

2009 से पहले, चाय की नीलामी देश भर के केंद्रों में मैनुअल रूप से की जाती थी। हालांकि, मैनुअल रूप से नीलामी में खरीदारों की भौतिक उपस्थिति, नीलामी हॉल में जगह की सीमा, क्रमिक बोली के कारण उचित कीमत का पता लगाने लिए कम समय, खरीदारों की गैर-गुमनामी की कमी के कारण उचित कीमत का पता लगाने में कमी आदि जैसी कई सीमाएं थी।

इन मुद्दों के समाधान के लिए दार्जिलिंग चाय को छोड़कर 2009 से सात नीलामी केंद्रों में नीलामी इलेक्ट्रॉनिक मोड में बदल दी गई थी। इसके अलावा, दार्जिलिंग चाय सहित सभी केंद्रों की नीलामी प्रक्रिया में एकरूपता लाने और एक एंड-टू-एंड एकीकृत नीलामी प्रणाली लागू करने के लिए, टी बोर्ड ने मई 2016 से पैनइंडिया नीलामी प्रणाली (चरण - 1) शुरू की और पैनइंडिया (चरण-1) के तहत लाइव नीलामी 23 जून 2016 को शुरू की

गई। पैनइंडिया मोड के तहत ऑनलाइन पोस्ट सेटलमेंट मॉड्यूल (चरण -2) भी सितंबर 2016 में शुरू किया गया था। हालांकि, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, प्रणाली को रोक दिया गया था और फरवरी 2018 से कुन्नूर सेंटर में फिर से शुरू किया गया था, इसके बाद सिलीगुड़ी और कोयंबटूर में क्रमशः फरवरी 2018 और मार्च 2018 में शुरू किया गया।

31 मार्च 2021 तक देश में सात पंजीकृत नीलामी केंद्र अर्थात् कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कुन्नूर, कोच्चि, कोयम्बटूर और टीसर्व¹⁵ हैं, जहां वर्तमान में पैनइंडिया ई-नीलामी प्रणाली के तहत टी बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी आयोजित की जा रही है।

चित्र 3.4 टी बोर्ड का चाय नीलामी केंद्र



मौजूदा नीलामी प्रणाली के अलावा, टी बोर्ड ने देश में कुल चाय उत्पादन में अपने योगदान (50 प्रतिशत से अधिक) को देखते हुए असम टी क्लस्टर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अलग इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच की स्थापना के लिए भी पहल की थी। यह नीलामी मंच वर्तमान में विभिन्न मूल्य संवर्धित सेवाओं जैसे केंद्रीय भंडारण, चाय की सुपुर्दगी के लिए खरीदार को रसद आदि के साथ असम क्लस्टर की चाय की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। टी बोर्ड ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जोरहाट नीलामी के संचालक के रूप में मैसर्स एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड का चयन किया। जोरहाट नीलामी ने 1 जून 2020 से परिचालन शुरू किया।

आईआईएम, बेंगलूर को टी बोर्ड द्वारा अपेक्षित सुधारों के लिए मौजूदा ई-नीलामी मंच का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने जून 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रमुख सिफारिशों में से एक जापानी नीलामी मॉडल को शुरू करना था। लगभग दो

¹⁵ टीसर्व तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित एक नीलामी केंद्र है जिसने टी बोर्ड की अखिल भारतीय प्रणाली अपनाई है।

साल के बाद भी टी बोर्ड (मार्च 2021) द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही थी।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि टी बोर्ड ने नए नीलामी मॉडल का नाम बदलकर "भारत नीलामी" कर दिया है। कई मॉक नीलामी पूरी होने के बाद, भारत नीलामी जनवरी 2022 से दक्षिण भारत के सभी चाय नीलामी केंद्रों पर लागू की गई थी। उत्तर भारत में, जनवरी 2023 से एक नई क्लाउड एनवायरनमेंट-आधारित ई-नीलामी प्रणाली लागू होने की संभावना थी।

3.6.2 विभिन्न हितधारकों को चाय की बिक्री के लिए ई-नीलामी प्रणाली की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने में विफलता

ई-नीलामी प्रणाली का उद्देश्य भारतीय चाय के व्यापार के लिए एक प्रभावशाली बाजार बनाना और चाय की कीमत की उचित प्राप्ति के लिए खरीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचना था। अतः यह अनिवार्य है कि सभी हितधारकों के हित में देश में उत्पादित चाय की अधिकतम मात्रा का लेन-देन सार्वजनिक नीलामी प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। चाय विपणन नियंत्रण आदेश (टीएमसीओ), 2003 (2015 में यथा संशोधित) के पैराग्राफ 21 के अनुसार यह अधिदेशित किया गया था कि प्रत्येक पंजीकृत चाय विनिर्माता को अधिसूचना शुरू होने की तारीख से भारत में सार्वजनिक चाय नीलामी के माध्यम से एक कैलेंडर वर्ष में निर्मित कुल चाय का कम से कम 50 प्रतिशत बेचना है।

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान सार्वजनिक ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से बेची गई कुल चाय की मात्रा तालिका 3.6 में दी गई है:

तालिका 3.6: 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान ई-नीलामी के माध्यम से बेची गई चाय

वर्ष	कुल चाय उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.)	नीलामी के माध्यम से बेची गई चाय (मिलियन कि.ग्रा.)	नीलामी के माध्यम से बेची गई चाय का प्रतिशत
2016-17	1,250.49	541.57	43.31
2017-18	1,325.05	579.17	43.71
2018-19	1,350.04	593.33	43.95
2019-20	1,360.81	589.17	43.30
2020-21	1,283.03	541.34	42.19

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन पांच वर्षों में, ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से बेची गई चाय देश में उत्पादित कुल चाय का केवल 42 प्रतिशत से 44 प्रतिशत थी। इस प्रकार, टी बोर्ड पांच वर्षों में से किसी में भी 50 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा को प्राप्त नहीं कर सका।

यह उल्लेखनीय है कि ई-नीलामी में भाग लेने वाले लेकिन ई-नीलामी से खरीदारी नहीं करने वाले खरीदारों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही थी। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान ई-नीलामी में भाग लेने वाले खरीदारों की वर्ष-वार कुल संख्या और ई-नीलामी से वास्तव में चाय नहीं खरीदने वाले खरीदारों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

तालिका 3.7: ई-नीलामी प्रणाली से खरीदारी नहीं करने वाले प्रतिभागियों का विवरण

वर्ष	प्रतिभागियों की कुल संख्या	चाय ना खरीदने वाले प्रतिभागियों की कुल संख्या	चाय नहीं खरीदने वाले प्रतिभागियों का प्रतिशत (प्रतिशत)
2016-17	2,679	1,640	61
2017-18	2,756	1,717	62
2018-19	2,798	1,765	63
2019-20	2,841	1,811	64
2020-21	3,297	2,246	68
कुल	14,371	9,179	64

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ई-नीलामी में भाग लेने वाले लेकिन चाय नहीं खरीदने वाले खरीदारों की संख्या 61 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच थी। इस प्रकार, अधिकांश प्रतिभागियों ने ई-नीलामी से चाय नहीं खरीदी। सार्वजनिक चाय नीलामी के माध्यम से एक कैलेंडर वर्ष में निर्मित कुल चाय का कम से कम 50 प्रतिशत बेचने के लिए चाय विपणन नियंत्रण आदेश की शर्त को प्राप्त नहीं किया जा सका और चाय के उचित मूल्य को प्राप्त करने के लिए ई-नीलामी का उद्देश्य विफल हो गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड ने ई-नीलामी के माध्यम से उत्पादित चाय का 50 प्रतिशत केवल चाय विनिर्माताओं को बेचना अधिदेशित किया है और ऐसे बेंचमार्क के निर्धारण के लिए टीएमसीओ, 2003 में प्रावधान होने के बावजूद ई-नीलामी के माध्यम से चाय की खरीद के लिए पंजीकृत चाय खरीदारों के लिए कोई बेंचमार्क अधिदेशित नहीं किया है। इस प्रकार, ई-नीलामी प्रणाली शुरू करने का उद्देश्य पूरी तरह से सफल नहीं हो सका।

जवाब में, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि बोर्ड को उद्योग के विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादक संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें खरीदारों के लिए एक वर्ष में खरीदी गई कुल चाय में से 50 प्रतिशत चाय नीलामी से खरीदना अनिवार्य बनाने का अनुरोध किया गया था। लेकिन खरीदार समुदाय के भारी प्रतिरोध के कारण बोर्ड द्वारा नीलामी प्रणाली से 50 प्रतिशत चाय की ऐसी कोई अनिवार्य खरीद आज तक नहीं की जा सकी है।

प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए, मंत्रालय ने (अक्टूबर 2022) कहा कि नीलामी प्रणाली में अधिक खरीदारों की भागीदारी ने खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की, जिसने अंततः प्रति किलोग्राम औसत नीलामी मूल्य में वृद्धि की, जिसने नीलामी में भाग लेने वाले उत्पादकों/विक्रेताओं के लिए उचित मूल्य प्राप्ति में उत्प्रेरक के रूप में काम किया, भले ही वास्तव में खरीदारों की संख्या कुछ भी हो।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तरों को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि टी बोर्ड ने पंजीकृत चाय खरीदारों के लिए ई-नीलामी के माध्यम से चाय की खरीद के लिए कोई बेंचमार्क अधिदेशित नहीं किया है, जबकि चाय की खरीद के लिए पंजीकृत चाय खरीदारों के लिए बेंचमार्क के निर्धारण के लिए टीएमसीओ, 2003 में प्रावधान हैं।

सिफारिश संख्या 6: ई-नीलामी के माध्यम से उत्पादित चाय की अधिदेशित 50 प्रतिशत बिक्री को पूरा नहीं करने के मद्देनजर, टी बोर्ड को ई-नीलामी के माध्यम से पंजीकृत चाय खरीदारों द्वारा चाय की खरीद के लिए न्यूनतम बेंचमार्क मात्रा निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए।

3.6.3 ई-नीलामी प्रणाली की लागत को पूरा करने के लिए ई-नीलामी प्रणाली से राजस्व का अपर्याप्त संग्रह

चाय की ई-नीलामी प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टी बोर्ड 2018 से प्रत्येक हितधारक अर्थात् विक्रेताओं, खरीदारों और दलालों से दो पैसे प्रति किलोग्राम की दर से और गोदाम मालिकों से दिसंबर 2019 से गोदाम बिलों के कुल बीजक मूल्य के 0.50 प्रतिशत की दर से संव्यवहार प्रभार वसूल रहा है।

राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम¹⁶ से संबंधित टी बोर्ड के लाइसेंसिंग विभाग के राजस्व और व्यय के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 3.8: लाइसेंसिंग विभाग का राजस्व और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संव्यवहार प्रभारों से अर्जित राजस्व	ई-नीलामी प्रणाली चलाने में व्यय	कमी
(क)	(ख)	(ग)	(घ= ग - ख)
2016-17	0.32	6.45	6.13
2017-18	0.05	4.39	4.34
2018-19	3.51	3.30	-0.21
2019-20	3.73	2.19	-1.54
2020-21	3.70	2.77	-0.93
कुल	11.31	19.10	7.79

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹19.10 करोड़ के कुल व्यय के मुकाबले, ₹11.31 करोड़ का राजस्व केवल ई-नीलामी प्रणाली से उत्पन्न हुआ था। संव्यवहार प्रभारों से ई-नीलामी राजस्व बढ़ने की बाद भी, यह ई-नीलामी प्रणाली चलाने के लिए किए गए कुल खर्च की वसूली करने में असमर्थ था। हाल के वर्षों में सृजित अधिशेष की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, कुल व्यय की वसूली में बहुत समय लगेगा। अतः, ई-नीलामी प्रणाली के संव्यवहार प्रभारों के निर्धारण पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता थी।

जवाब में, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि पश्चिमी नीलामी निपटान प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद 2018-19 से 2020-21 तक टी बोर्ड द्वारा ₹10.94 करोड़¹⁷ का कुल राजस्व एकत्र किया गया था और ई-नीलामी चलाने के लिए इस अवधि के दौरान ₹8.26 करोड़ का कुल व्यय किया गया था। इस प्रकार, नीलामी प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाया गया था।

¹⁶ राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम टी बोर्ड की एक योजना है, जिसे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसिंग गतिविधियों के स्वचालन के लिए ई-गवर्नेंस पहलों के माध्यम से चाय अधिनियम के नियामक प्रावधानों और उनके नियंत्रण आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए तैयार किया गया है।

¹⁷ 2016-17 से 2020-21 के दौरान टी बोर्ड द्वारा एकत्र किए गए ₹11.31 करोड़ के राजस्व में से ₹10.94 करोड़ 2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबंधित हैं।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टी बोर्ड 2016-17 से 2020-21 के दौरान ई-नीलामी प्रणाली के लिए किए गए आवर्ती लागत को एकत्र किए गए राजस्व से पूरी तरह से वसूल नहीं कर सका और ई-नीलामी प्रणाली आत्मनिर्भर नहीं थी।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, टी बोर्ड राजस्व सृजन में वृद्धि हेतु इस मुद्दे की जांच कर रहा था।

सिफारिश संख्या 7: टी बोर्ड को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ई-नीलामी प्रणाली में आने वाली आवर्ती लागत की वसूली के लिए नियमित अंतराल पर संव्यवहार प्रभारों की समीक्षा और संशोधन करना चाहिए।

3.7 सारांश

किसी विशिष्ट रणनीति के अभाव में, छोटे चाय उत्पादकों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी टी बोर्ड के नियमों के दायरे से बाहर है। विभिन्न हितधारकों की गतिविधियों की निगरानी के लिए निरीक्षण अपर्याप्त और अपारदर्शी पाया गया। प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु कारखानों से चाय के नमूने एकत्र करने के लिए, टी बोर्ड में आंतरिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त थी कि चाय की गुणवत्ता, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुरूप है। इसके अलावा, टी बोर्ड चाय, विनिर्माताओं को ई-नीलामी के माध्यम से चाय उत्पादन का अनिवार्य 50 प्रतिशत बेचने के लिए प्रोत्साहित करने में विफल रहा। इस प्रकार, टी बोर्ड का विनियामक कार्य अपर्याप्त था और बोर्ड भारत में चाय के नियामक के रूप में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में विफल रहा।

अध्याय-IV

विकासात्मक गतिविधियाँ



अध्याय-IV

विकासात्मक गतिविधियाँ

4.1 टी बोर्ड की विकासात्मक गतिविधियाँ

टी बोर्ड की विकासात्मक गतिविधियों में भारत में चाय के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए हितधारकों को सब्सिडी देना शामिल है। चाय अधिनियम, 1953 के अनुसार टी बोर्ड की विकासात्मक भूमिका निम्नानुसार है:

- उत्पादन को विनियमित करना;
- चाय की गुणवत्ता में सुधार;
- श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियाँ सुरक्षित करना एवं सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करना/सुधारना।

चाय विकास निदेशक की अध्यक्षता वाला विकास निदेशालय विभिन्न विकास योजनाओं के निरूपण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और आवश्यक इनपुट की खरीद, वितरण और परिचालन में उद्योग को सहायता प्रदान करता है।

टी बोर्ड ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान निम्नलिखित विकासात्मक योजनाओं के तहत सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू की हैं:

1. पौधारोपण विकास योजना (पीडीएस)
2. गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना (क्यूयूपीडीएस)
3. मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)

इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बागान मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) भी कार्यान्वित¹⁸ की है।

¹⁸ एससीएसपी को 2011-12 से और टीएसपी को 2018-19 से लागू किया गया है।

4.2 विकासात्मक गतिविधियों के लिए टी बोर्ड की वित्तीय सहायता

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी के संवितरण का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है:

तालिका 4.1: विकास योजनाओं के तहत सब्सिडी के वितरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष के दौरान सब्सिडी संवितरण				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	पौधारोपण विकास योजना (पीडीएस)	47.29	45.00	29.64	36.17	75.50
2	गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना (क्यूयूपीडीएस)	22.77	24.48	17.99	23.72	34.75
3	मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)	5.01	5.22	2.45	4.31	1.11
4	अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)	1.32	2.64	9.19	5.42	2.73
5	जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी)	-	-	6.23	6.23	1.59
कुल		76.39	77.34	65.50	75.85	115.68

तालिका से, यह देखा जा सकता है कि 2016-17 की तुलना में 2020-21 में पौधारोपण विकास योजना और गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना के तहत सब्सिडी वितरण में काफी वृद्धि हुई थी। हालांकि, पिछले वर्ष (2019-20) की तुलना में 2020-21 में मानव संसाधन विकास, अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत सब्सिडी के संवितरण में उल्लेखनीय कमी देखी गई।

4.3 भारत में चाय के उत्पादन, आयात, निर्यात और घरेलू खपत का प्रोफाइल

2020-21 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में चाय के उत्पादन, आयात, निर्यात और इसकी घरेलू खपत की स्थिति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 4.2: भारत में चाय का उत्पादन, आयात, निर्यात और घरेलू खपत

(मिलियन कि.ग्रा. में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्पादन	1,250.49	1,325.05	1,350.04	1,360.81	1,283.03
आयात	21.60	20.59	24.22	15.54	27.75
निर्यात	227.63	256.57	254.50	241.34	203.79
कुल उपलब्धता (उत्पादन + आयात - निर्यात)	1,044.46	1,089.07	1,119.76	1,135.01	1,106.99
घरेलू खपत	973	1,066	1,090	1,116	1,145
बचत (+)/घाटा (-) उपलब्धता	71.46	23.07	29.76	19.01	-38.01
संचयी समग्र अधिशेष	71.46	94.53	124.29	143.30	105.29

(स्रोत: टी बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी)

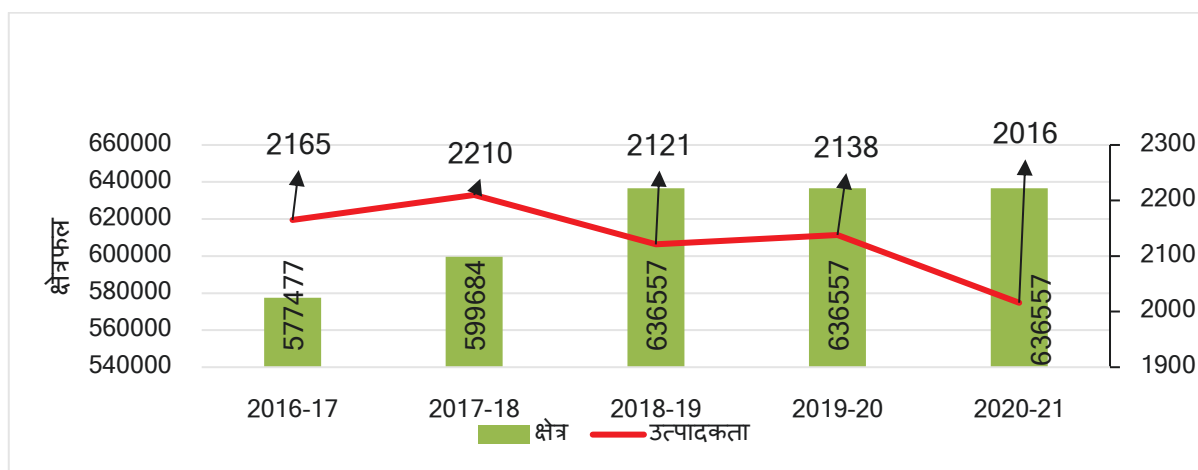
ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, चाय के कुल उत्पादन में 2.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई और घरेलू खपत में 17.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान चाय के निर्यात में 10.47 प्रतिशत की कमी आई और चाय के आयात में 28.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत में चाय के आयात का उद्देश्य मुख्य रूप से मूल्य वर्धन के बाद सम्मिश्रण और पुनः निर्यात करना था।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के साथ, लेखापरीक्षा ने उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने, उत्पादन लागत को कम करने और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के तहत व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में चाय उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए टी बोर्ड द्वारा किए गए कार्यकलापों की जांच की।

4.3.1 भारत में चाय की उत्पादकता

उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर (हे.) उगाई गई चाय की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में चाय की उत्पादकता को चित्र 4.1 के आंकड़ों से देखा जा सकता है:

चित्र 4.1: चाय का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) और उत्पादकता (किलो प्रति हेक्टेयर)



उपरोक्त ग्राफ से यह स्पष्ट है कि हालांकि 2016-17 से 2020-21 तक चाय की खेती के तहत क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन कुल उत्पादकता में 7 प्रतिशत की कमी आई है, जो वर्ष 2016-17 में 2165 किग्रा. प्रति हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2020-21 में 2016 किग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गयी। चाय की खेती, उत्पादन और चाय की उत्पादकता के क्षेत्र का प्रदेशवार विवरण अनुलग्नक-VI में दिया गया है।

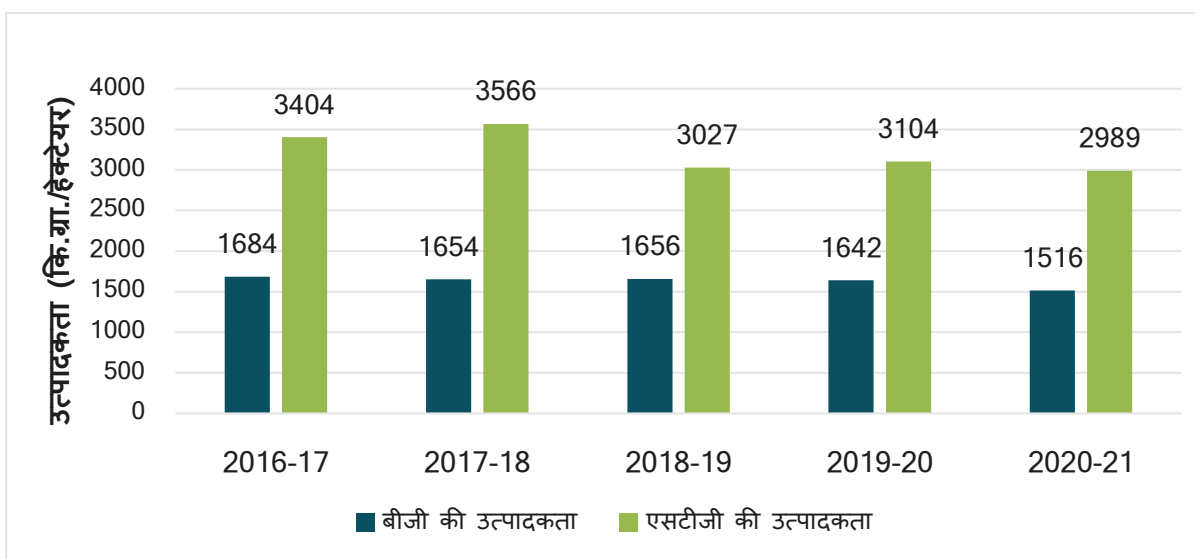
वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान प्रदेशवार उत्पादकता की समीक्षा से यह पता चला कि देश में उत्पादित चाय का 98 प्रतिशत मुख्यतः चार प्रदेशों से आता है, जिसमें पश्चिम बंगाल का उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है इसके बाद क्रमशः असम, तमिलनाडु और केरल प्रदेश आते हैं। भारत के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत असम द्वारा किया जाता था जो कि वर्ष 2016-17 में 2,330 किग्रा. प्रति हेक्टेयर से कम होकर वर्ष 2020-21 में 1,854 किग्रा. प्रति हेक्टेयर रह गया। जबकि पश्चिम बंगाल की उत्पादकता, वर्ष 2016-17 में 2,515 किग्रा. प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 2,674 किग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गयी। वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि में, तमिलनाडु में उत्पादकता 2,302 किग्रा. प्रति हेक्टेयर से 2,612 किग्रा. प्रति हेक्टेयर के बीच रही, जबकि केरल में उत्पादकता 1,620 किग्रा. प्रति हेक्टेयर से 1,864 किग्रा. प्रति हेक्टेयर के बीच रही, जो कि तुलनात्मक रूप से कम है।

4.3.2 बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों की उत्पादकता

31 मार्च, 2021 तक चाय बागान के कुल 6,36,557 हेक्टेयर क्षेत्र में से 4,20,671 हेक्टेयर बड़े उत्पादकों के पास था और शेष 2,15,886 हेक्टेयर छोटे चाय उत्पादकों के पास था। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों की उत्पादकता को चित्र 4.2 में दर्शाया गया है।

बड़ा उत्पादक वह है जिसके पास 10.12 हेक्टेयर से अधिक की चाय की खेती की भूमि है और **छोटे चाय उत्पादक** वह है जिसके पास 10.12 हेक्टेयर तक चाय की खेती की भूमि है।

चित्र 4.2 - बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों की उत्पादकता



उपर्युक्त तुलना से पता चलता है कि बड़े उत्पादकों की उत्पादकता छोटे चाय उत्पादकों की तुलना में बहुत कम थी। बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों के बीच उत्पादकता में उल्लेखनीय अंतर को बड़े उत्पादकों की चाय झाड़ियों की बढ़ती उम्र को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, 2017 में प्रकाशित भारत में चाय उद्योग के संगठित क्षेत्र पर टी बोर्ड की एक स्थिति रिपोर्ट ने संकेत दिया कि देश में उत्पादित चाय की कम उत्पादकता और खराब गुणवत्ता का प्राथमिक कारण चाय की झाड़ियों/बागानों की उम्र बढ़ना था।

लेखापरीक्षा ने नीचे दी गई तालिका में सभी प्रमुख चाय उत्पादक देशों के संबंध में चाय की उत्पादकता की तुलना की:

तालिका 4.3: प्रमुख चाय उत्पादक देशों की उत्पादकता की तुलना

(कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)

देश का नाम	2016	2017	2018	2019	2020
चीन	829	847	874	913	943
भारत	2,195	2,240	2,103	2,184	1,976
केन्या	2,164	1,890	2,104	1,703	2,114
श्रीलंका	1,442	1,519	1,501	1,482	1,375
जापान	1,789	1,858	1,959	1,884	1,785
मॉरिशस	2,750	2,717	2,807	2,818	3,000

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय चाय समिति सांख्यिकी का वार्षिक बुलेटिन, 2020

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि भारत में चाय की उत्पादकता चीन, श्रीलंका और जापान की तुलना में काफी अधिक है। हालांकि, 2016 से 2019 के दौरान यह लगभग स्थिर रहा और प्रति हेक्टेयर 2,103 और 2,240 किलोग्राम के बीच था। इसके अलावा, 2020 में भारत में चाय की उत्पादकता घटकर 1,976 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर (2016 की तुलना में 9.98 प्रतिशत की गिरावट) हो गई थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (जून 2022) कहा कि बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों के बीच उत्पादकता में उल्लेखनीय अंतर के लिए बड़े उत्पादकों की झाड़ियों की बढ़ती उम्र को जिम्मेदार ठहराया गया था। बड़े उत्पादकों की पर्याप्त संख्या

में झाड़ियां 50 वर्ष¹⁹ की आयु को पार कर गई, और यह कम उत्पादकता का एक प्रमुख कारण था। जबकि चाय की झाड़ियों की समग्र उपज में वृद्धि हुई, उम्र बढ़ने के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चला कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की झाड़ियों की बड़ी संख्या अपेक्षाकृत नवीन झाड़ियों से उच्च उपज के आंकड़ों की भरपाई करेगी। इसमें आगे कहा गया है कि पुनर्रोपण से जुड़ी महत्वपूर्ण पूंजीगत लागत को देखते हुए, बड़े उत्पादकों द्वारा पुनर्रोपण के लिए निवेश का स्तर निम्न था। कॉर्पोरेट समूहों को छोड़कर अन्य एकल एस्टेट मालिकों/छोटे समूहों ने आवधिक तरीके से ऐसी विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया।

मंत्रालय ने (अक्टूबर 2022) कहा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट किया गया था।

4.3.3 डेटा बैंक का रख-रखाव न होना

भारत में चाय उद्योग का नियामक होने के नाते टी बोर्ड के पास चाय उद्योग का एक अद्यतन और प्रमाणित डेटाबेस होना चाहिए। वस्तुतः, चाय उत्पादकों और चाय बागानों आदि के डेटाबेस सहित चाय उद्योग का डेटाबेस नीतियां बनाने और विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड ने चाय उद्योग पर चाय बागानों के विस्तार, चाय के प्रतिस्थापन और पुनर्रोपण, चाय झाड़ियों की आयु, जिला-वार उपज, श्रम उत्पादकता दर आदि क्षेत्रों के बारे में कोई व्यापक डेटाबेस नहीं रखा था। टी बोर्ड ने 2011-12 से बेसलाइन सर्वेक्षण करना शुरू किया। यह सर्वेक्षण तीन वर्ष के अंतराल पर किया गया, जिसमें चाय की झाड़ियों की आयु सहित केवल बड़े उत्पादकों की प्रोफाइल को कैप्चर किया गया था।

बेसलाइन सर्वेक्षण में केवल बड़े उत्पादकों को शामिल किया गया था और छोटे चाय उत्पादकों को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, टी बोर्ड के पास छोटे चाय उत्पादकों के चाय बागान के क्षेत्र और स्थान, वाडों और आश्रितों सहित श्रमिकों की संख्या आदि के बारे में पूरा डेटाबेस नहीं था। टी बोर्ड द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले अभियानों, जागरूकता बैठकों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि से छोटे चाय उत्पादकों के बारे में उपलब्ध आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

¹⁹ विभिन्न योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चाय की झाड़ियों की उत्पादक आयु 40 वर्ष मानी गई है। टी बोर्ड/मंत्रालय ने चाय की झाड़ियों की उत्पादक आयु 50 वर्ष के समर्थन में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि बेसलाइन सर्वेक्षण में, बड़े उत्पादकों से संबंधित सभी प्रमुख डेटा²⁰ को कैप्चर किया गया था, जिसमें चाय की झाड़ियों की आयु प्रोफाइल भी शामिल थी। जहां तक छोटे चाय उत्पादकों के सर्वेक्षण का संबंध है, बोर्ड छोटे चाय उत्पादकों का पंजीकरण/गणना करता रहा है और बागान की आयु सहित गणना की प्रक्रिया में ब्यौरे एकत्र किए गए थे।

मंत्रालय ने (अक्टूबर 2022) कहा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया गया था।

तथ्य यह है कि छोटे चाय उत्पादकों के व्यापक, प्रामाणिक और अद्यतन आंकड़ों को बेसलाइन सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि गणना के समय छोटे चाय उत्पादकों की चाय की झाड़ियों की आयु प्रोफाइल भी एकत्र नहीं की गई थी। बड़े उत्पादकों के प्रोफाइल केवल तीन साल के अंतराल पर अपडेट किए गए थे, जिसने सर्वेक्षण के उद्देश्य को विफल कर दिया।

वर्ष के दौरान छोटे चाय उत्पादकों की वृद्धि को देखते हुए, जब तक सभी छोटे चाय उत्पादकों का एक केंद्रीकृत, प्रामाणिक और अद्यतन डेटाबेस जल्द से जल्द तैयार नहीं किया जाता है, निकट भविष्य में चाय उद्योग और इसकी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।

सिफारिश संख्या 8: विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए टी बोर्ड द्वारा चाय उत्पादकों और विशेष रूप से छोटे चाय उत्पादकों के लिए चाय बागानों का व्यापक डेटाबेस रखा जाए और नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।

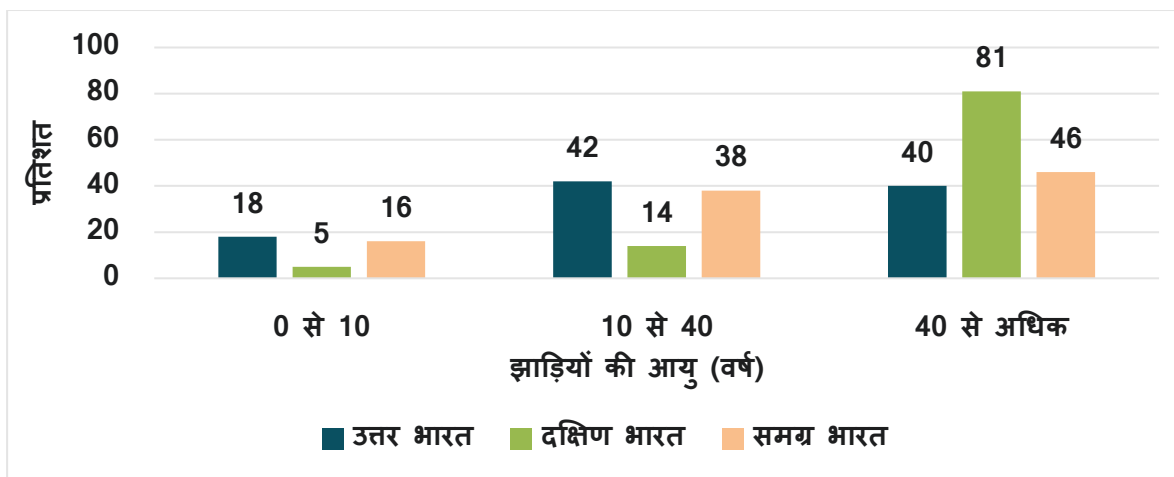
4.3.4 भारत में चाय की झाड़ी की उम्र

एक चाय की झाड़ी व्यावसायिक रूप से 40 वर्षों तक उत्पादक होती है। चाय उद्योग में, बागान का अधिकांश व्यय आनुपातिक रूप से बागान के क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसलिए, उपज में गिरावट से उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है।

²⁰ बेसलाइन सर्वेक्षण में चाय बागानों/एस्टेटों से आंकड़ों का संग्रह शामिल है जो चाय बागानों और कारखानों के प्रोफाइल; चाय की झाड़ियों की आयु की प्रोफाइल; विकासात्मक गतिविधियां जैसे पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण आदि जिन्हें पिछले तीन वर्षों में शुरू किया गया और बागानों का विवरण एवं चाय बागानों/कारखानों के अन्य श्रमिकों का ब्यौरा से संबंधित हैं।

भारत में चाय की झाड़ियों की आयु प्रोफ़ाइल (2018 में बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार) को चित्र 4.3 में दर्शाया गया है

चित्र 4.3: भारत में बड़े उत्पादकों के स्वामित्व वाली चाय की झाड़ियों की आयु प्रोफ़ाइल



इस प्रकार, बड़े उत्पादकों के कुल चाय खेती क्षेत्रों का 46 प्रतिशत आर्थिक रूप से अव्यवहार्य और व्यावसायिक रूप से अनुत्पादक था क्योंकि चाय की झाड़ियां 40 साल से अधिक पुरानी पाई गईं। इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि 1997 और 2009 में क्रमशः 42 प्रतिशत और 57 प्रतिशत चाय की झाड़ियां 40 वर्ष से अधिक आयु की थीं। अतः, दो दशकों से अधिक समय के बाद भी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया।

लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान भारत में चाय के विकास के लिए संचालित टी बोर्ड की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की और बाद के पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई है।

4.4 पौधारोपण विकास योजना

पौधारोपण विकास योजना (पीडीएस) का उद्देश्य चाय उत्पादकों के समग्र विकास के लिए पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण, कायाकल्प-छंटाई, सिंचाई सुविधाओं के सृजन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और जैविक चाय की खेती को बढ़ावा देकर उत्पादन की स्थिरता बनाए रखना था।

4.4.1 पौधारोपण विकास योजना के घटक

टी बोर्ड ने पीडीएस के अंतर्गत बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलापों के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए हैं-

- पुनरोपण और प्रतिस्थापन रोपण
- सिंचाई
- फील्ड मशीनीकरण

टी बोर्ड द्वारा 2016-17 से 2020-21 के दौरान लाभार्थियों को पीडीएस के तहत सब्सिडी के रूप में ₹233.60 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। XII योजना अवधि (2012-17) के दौरान सब्सिडी की दर 30 प्रतिशत थी और मध्यम अवधि फ्रेमवर्क²¹ अवधि के दौरान 25 प्रतिशत थी। यह सब्सिडी प्रति हेक्टेयर अनुमोदित इकाई लागत पर लागू होगी, जिसे बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों द्वारा पुनरोपण और प्रतिस्थापन रोपण के लिए दो किस्तों में वितरित किया जाएगा।

गतिविधि-वार लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.4.2 पुनरोपण / प्रतिस्थापन रोपण

पुनरोपण पुरानी चाय की झाड़ियों को उखाड़ने और उसी क्षेत्र में नई चाय की झाड़ियों को लगाने की प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्थापन रोपण एक क्षेत्र से पुरानी चाय की झाड़ियों को उखाड़ने और एक अलग क्षेत्र में नई चाय की झाड़ियों को लगाने की प्रक्रिया है। टी बोर्ड द्वारा पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण के लिए वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान 9,412.84 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹167.24 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी, जिसमें से ₹163.02 करोड़ 1,213 बड़े उत्पादकों को 9,285.27 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए और ₹4.22 करोड़ 303 छोटे चाय उत्पादकों को 127.57 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया (अनुलग्नक-VII)।

2016-17 से 2020-21 के दौरान की तुलना में लक्ष्य वास्तविक पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण गतिविधियों को तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

²¹ 2017-18 से 2019-20, जिसे 2020-21 तक बढ़ाया गया

तालिका 4.4: 2016-17 से 2020-21 के दौरान बड़े उत्पादकों द्वारा लक्ष्य की तुलना में वास्तविक पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण गतिविधियां

सालों	लक्ष्य (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हेक्टेयर में)	उपलब्धि का प्रतिशत
2016-17	9,900.00	2,427.12	24.52
2017-18	2,010.00	1,666.09	82.89
2018-19	2,415.00	1,207.76	50.01
2019-20	2,620.00	775.63	29.60
2020-21	कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था	3,336.24	--

उपरोक्त से यह देखा जाता है कि:

- टी बोर्ड द्वारा निर्धारित पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण लक्ष्य की वार्षिक उपलब्धि, 2017-18 में 82.89 प्रतिशत को छोड़कर, 2016-17 से 2020-21 के दौरान 24.52 प्रतिशत और 50.01 प्रतिशत के बीच थी, जोकि 2016-17 से निर्धारित लक्ष्य में भारी कमी के कारण था।
- 2016-17 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण, टी बोर्ड ने 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 2017-18 से 2019-20 के दौरान लक्ष्य को 74 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच घटा दिया। लक्ष्य में कमी के बावजूद इसे हासिल नहीं किया जा सका।

इस प्रकार पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण की कम दर का देश में चाय बागानों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्रबंधन ने लेखा परीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2022) कि XII योजना और मध्यम अवधि की फ्रेमवर्क अवधि के दौरान ₹1425 करोड़ और ₹624.82 करोड़ के कुल अनुमोदित परिव्यय में से, टी बोर्ड को सरकारी अनुदान के रूप में क्रमशः केवल ₹632.45 करोड़ और ₹525.23 करोड़ प्राप्त हुए। इसके अलावा, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) दस्तावेज तैयार करते समय लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो निधियों के आवंटन से मेल खाते थे, जबकि मंत्रालय से निधियों की वास्तविक प्राप्ति के आधार पर इसे संशोधित नहीं किया गया था। इसके अलावा, योजनाएं मांग पर आधारित थीं, अर्थात्, उन्मूलन और पुनर्रोपण का निर्णय चाय बागान के मालिकों पर निर्भर करता था। बड़े उत्पादकों द्वारा निवेश के निम्न स्तर के कारण कम पुनर्रोपण हुआ। अधिकांश एकल संपत्ति मालिकों/छोटे

समूहों ने आवधिक तरीके से ऐसी विकास गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया। मंत्रालय ने पौधारोपण विकास योजना के तहत लक्षित गतिविधियों को पूरा करने में कमी को भी स्वीकार किया (अक्टूबर 2022)।

4.4.2.1 योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण गतिविधियों के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी का संवितरण

पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण गतिविधियों के लिए सब्सिडी संवितरण के नियम और शर्तें

- पुनरोपण के तहत सब्सिडी के लिए आवेदनों के मामले में, उन्मूलन के पूरा होने के बाद, समतल मैदान में बागान होने की स्थिति में उन्मूलित क्षेत्र को कम से कम 18 महीने की अवधि के लिए अनुमोदित पुनर्वास फसल के साथ पुनर्वासित किया जाना है और पहाड़ियों में स्थित बागानों के मामले में कम से कम 12 महीने में पुनर्वास किया जाना है।
हालांकि यदि मृदा की स्थिति उपयुक्त पायी जाती है तो कम पुनर्वास अवधि पर विचार किया जाना चाहिए और इसे बोर्डों की अनुमोदित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं से मृदा विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा समर्थित किया जाता है। आवेदक द्वारा चाय अनुसंधान संगठन (दार्जिलिंग को छोड़कर उत्तर भारत के लिए)/ दक्षिणी भारत के यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन - चाय अनुसंधान फाउंडेशन (दक्षिण भारत के लिए)/ दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और दार्जिलिंग विकास केंद्र से विशेष सिफारिश के साथ पुनरोपण शुरू करने से पूर्व इस संबंध में लिखित आवेदन की शर्त पर पुनर्वास की लंबी अवधि की अनुमति दी जा सकती है।
- सभी मामलों में पुनरोपण का कार्य उन्मूलन की तारीख से 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। प्रतिस्थापन रोपण के प्रति चरणबद्ध उन्मूलन भी प्रतिस्थापन रोपण के पूरा होने की तारीख से 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है।
- पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण का क्षेत्रीय कार्य शुरू होने के बाद प्रस्तुत आवेदनों पर विचार नहीं किया जाए और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाए।
- पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण शुरू होने से पहले, मिट्टी भौतिक और रासायनिक रूप से रोपण के लिए उपयुक्त होने के लिए तैयार की जाती है, इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अनुमोदित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में से किसी एक से मिट्टी का विश्लेषण करवाएं और रासायनिक मृदा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सत्यापन के लिए रोपण के बाद निरीक्षण के समय टी बोर्ड को प्रस्तुत की जानी है।

- आवेदन जमा करते समय और पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण के लिए सब्सिडी जारी करते समय आवेदक की चाय बागान की भविष्य निधि बकाया राशि ₹10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां भविष्य निधि देनदारी ₹10,000 से अधिक है, वहां यह आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि यह किस्तों में देय पीएफ बकाया राशि के भुगतान की अनुमति देने के लिए अदालत की डिक्री या पीएफ अधिकारियों से लिखित सहमति द्वारा समर्थित हो।

पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण गतिविधियों के अंतर्गत सब्सिडी के संवितरण से संबंधित फाइलों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

(क) जेडओ गुवाहाटी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि

- i. बड़े उत्पादकों से संबंधित पांच मामलों (अनुलग्नक-VIII) में ₹29.16 लाख की सब्सिडी संवितरित की गई थी, हालांकि योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित उन्मूलन की तारीख से 36 महीने के निर्धारित समय के भीतर पुनर्रोपण पूरा नहीं किया गया था।
- ii. खोबोंग टी एस्टेट के मामले में, हालांकि सब्सिडी वितरित की गई थी, आवेदन जमा करने से पहले पुनर्वास किया गया था। इसके अलावा, मृदा विश्लेषण रिपोर्ट के बिना पुनर्रोपण किया गया था जो योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (जून 2022), प्रबंधन ने भविष्य के अनुपालन के लिए इसे नोट किया।

- iii. पुनर्रोपण की प्रक्रिया में, पुनर्रोपण से पहले, पुनर्वास किया जाना है, जिसमें निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 18 महीने की आवश्यकता होती है। फिर भी, अभ्योजन टी एस्टेट को संवितरित सब्सिडी के मामले में भी, चाय के पुनर्रोपण से पहले कोई पुनर्वास नहीं किया गया था, जोकि योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि एक खंड में 18 महीने से अधिक समय के बाद और एक अन्य खंड में उन्मूलन की तारीख से आठ महीने बाद

ही पुनर्रोपण शुरू किया गया था। चूंकि मृदा विश्लेषण रिपोर्ट संतोषजनक थी, वित्तीय सहायता के लिए मामले पर विचार किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 18 महीने बाद पुनर्रोपण किया गया था, योजना के दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित पुनर्वास का पालन नहीं किया गया।

- iv. डेकियाजुली टी एस्टेट के मामले में, सब्सिडी वितरित की गई थी, हालांकि पुनर्वास अवधि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम अवधि 18 महीने के बजाय केवल 13 महीने के लिए थी।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जून 2022) में कहा कि उपयुक्त मृदा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर कम पुनर्वास अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों में अनुमति दी गई है और मिट्टी की रिपोर्ट के अनुसार, पैरामीटर चाय रोपण के लिए उपयुक्त थे।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि मिट्टी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुनर्रोपण से पहले कम से कम 18-24 महीने के पुनर्वास की आवश्यकता थी।

(ख) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण के लिए आवेदन जमा करते समय और सब्सिडी जारी करते समय आवेदक के चाय बागान का भविष्य निधि (पीएफ) बकाया ₹10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर भी लेखापरीक्षा ने देखा कि 13 मामलों में (अनुलग्नक-IX), टी बोर्ड ने ₹4.17 करोड़ की सब्सिडी वितरित की जहां आवेदक के बागानों का पीएफ बकाया ₹10,000 की निर्धारित राशि से अधिक था।

भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि सब्सिडी जारी करते समय, उपरोक्त एस्टेट में से कोई भी पीएफ योगदान के तहत डिफॉल्टर नहीं पाया गया।

हालांकि, उत्तर मान्य नहीं है, जैसा कि नमूना जांच किए गए मामलों में, सब्सिडी जारी करते समय पीएफ में बकाया था। आगे तथ्य यह है कि टी बोर्ड ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि आवेदन के समय और सब्सिडी जारी करते समय पीएफ

बकाया ₹10,000 से अधिक नहीं था और योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बावजूद चाय बागानों को ₹4.17 करोड़ की सब्सिडी की अनुमति दी गई थी।

(ग) आरओ, सिलीगुड़ी के अंतर्गत एंगो टी कंपनी लिमिटेड ने 19.41 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पुनर्रोपण सब्सिडी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड ने 19.41 हेक्टेयर क्षेत्र की बजाय 28.45 हेक्टेयर क्षेत्र की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹17.59 लाख²² की सब्सिडी का अधिक भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर में (जून 2022) कहा कि निरीक्षण पूरा होने के बाद के दौरान, यह देखा गया कि 29.11 हेक्टेयर क्षेत्र का उन्मूलन किया गया और 28.45 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय का पुनर्रोपण किया गया। इसलिए, पात्र सब्सिडी राशि वास्तविक पुनर्रोपित क्षेत्र अर्थात् 28.45 हेक्टेयर पर ही सीमित थी और इसलिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुनर्रोपण के लिए आवेदन किया गया क्षेत्र केवल 19.41 हेक्टेयर था और सब्सिडी केवल लागू क्षेत्र तक ही सीमित होनी चाहिए थी।

(घ) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन की तारीख से आवेदक कंपनी द्वारा घोषणा /कर्मचारी को ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रमाण, जो पिछले छह महीनों में सेवानिवृत्त हो गया है या इस्तीफा दे दिया है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरओ, सिलीगुड़ी के तहत इंडोंग टी एस्टेट ने ग्रेच्युटी के भुगतान की घोषणा /प्रमाण आवेदन की तारीख के अंतिम छह महीनों के बजाय केवल आवेदन के पिछले महीने के लिए प्रस्तुत किया। पूर्व-अनुमोदित निरीक्षण रिपोर्ट (दिसंबर 2015) में भी उल्लेख किया गया है कि पिछले छह महीनों के दौरान सेवानिवृत्त, इस्तीफा देने या देहांत होने वाले श्रमिकों के लिए एस्टेट में ग्रेच्युटी बकाया थी। टी बोर्ड ने आवेदन को मंजूरी दी और योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए टी एस्टेट को ₹68.96 लाख की सब्सिडी वितरित की।

²² ₹194633 x (28.45-19.41) हेक्टेयर

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए और भविष्य के अनुपालन हेतु इसे नोट करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि पुराने क्षेत्र के उन्मूलन और चाय के नए पौधों के साथ पुनरोपण की योजना का समग्र उद्देश्य पूरा किया गया था और आवेदक चाय कंपनी को जारी सब्सिडी राशि ने बागान को बेहतर बनाने में मदद की जिसका श्रमिकों पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

(इ) स्व-सहायता समूहों को सहायता के लिए योजना दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

- संयंत्र और मशीनरी की वास्तविक लागत के 40 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जानी थी, जिसकी कुल अधिकतम सीमा ₹2 करोड़ प्रति कारखाना थी।
- कारखाना/सम्मिश्रण इकाई में मशीनरी/सिविल कार्य की खरीद और संस्थापना आवेदक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरी की जानी थी।
- चाय कारखाने की संतोषजनक स्थापना के बाद सब्सिडी एक किस्त में वितरित की जानी थी।
- योग्यता के आधार पर विशेष व्यक्तिगत मामलों में, टी बोर्ड के अध्यक्ष के पास कारखाना स्थापित करने के लिए लाभार्थी स्वयं सहायता समूह के खाते के पक्ष में कुल पात्र सब्सिडी राशि में से 25 प्रतिशत अग्रिम रूप से उधार देने वाले बैंक को देने पर विचार करने का विवेकाधिकार होगा।

आरओ, सिलीगुड़ी के तहत छोटे चाय उत्पादकों के एक स्वयं सहायता समूह²³ ने उपर्युक्त योजना के तहत ₹1.96 करोड़ के संयंत्र और मशीनरी की अनुमानित लागत के साथ एक नए चाय कारखाने की स्थापना के लिए आवेदन किया था (13 नवंबर 2017)। तदनुसार, टी बोर्ड ने मई 2018 में नए कारखाने की स्थापना के लिए आवेदक को एनओसी जारी की।

²³ रखलहाट नयनमोनी खुदरा चा चासी स्वानीरवर गोष्ठी

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनओसी जारी करने की तारीख से एक वर्ष के अंदर कारखाने की स्थापना पूरी की जानी चाहिए। फिर भी मई 2018 में एनओसी जारी होने के बावजूद सितंबर 2022 तक कारखाना स्थापित नहीं किया जा सका।
- हालांकि अध्यक्ष के विशेष विवेकानुसार, लाभार्थी के बैंक खाते में अधिकतम ₹0.20²⁴ करोड़ की राशि ही जमा की जा सकती थी, टी बोर्ड ने ₹1.55 करोड़ जमा किए (30 मार्च 2019) जोकि योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।
- चूंकि एनओसी जारी होने के एक वर्ष के भीतर कारखाना स्थापित नहीं किया जा सका, लाभार्थी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं था और तदनुसार, भारत सरकार (जीओआई) निधि होने के नाते पूरी राशि टी बोर्ड के खाते में वापस लाई जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि इसे भविष्य के अनुपालन हेतु नोट किया गया था।

तथापि तथ्य यह है कि ₹1.55 करोड़ की सरकारी धनराशि अभी भी लाभार्थी के बैंक खाते में है जिसे वसूल किया जाना चाहिए था।

4.4.3 सिंचाई सुविधाओं का निर्माण

सिंचाई फसलों को उनके प्राकृतिक विकास हेतु कृत्रिम रूप से पानी की आपूर्ति करने की एक प्रक्रिया है। यदि प्राकृतिक वर्षा फसल की जल आवश्यकता की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फसलों के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक हो जाती है। नवंबर से मार्च के महीनों के दौरान, अपर्याप्त वर्षा के कारण, चाय की फसल का एक खंड नमी की कमी की समस्या से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए उस शुष्क अवधि के दौरान सिंचाई बहुत आवश्यक हो जाती है। सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए, टी बोर्ड ने वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की, जोकि प्रति बागान 200 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के साथ XII योजना अवधि के दौरान ₹80,000 प्रति हेक्टेयर और मध्यम अवधि फ्रेमवर्क

²⁴ ₹1.96 करोड़ x 40 प्रतिशत x 25 प्रतिशत

के दौरान ₹40,000 प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं थी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

4.4.3.1 भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

टी बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा योजना दिशानिर्देशों का अनुमोदन प्राप्त करते समय संबंधित योजना अवधियों (XII योजना और मध्यम अवधि फ्रेमवर्क) के लिए बड़े उत्पादकों/छोटे चाय उत्पादकों द्वारा सिंचाई सुविधाओं के सृजन के लिए सब्सिडी के वितरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किये थे। लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले टी बोर्ड की उपलब्धियों की जांच की, जोकि तालिका 4.5 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.5: बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों के लिए 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान सिंचाई के लिए लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

वर्ष	कुल चाय क्षेत्र	लक्षित क्षेत्र	उपलब्धियां	कुल क्षेत्रफल के प्रति लक्षित क्षेत्र का प्रतिशत	लक्षित क्षेत्र के प्रति उपलब्धियों का प्रतिशत
2016-17	5,77,477	1,500	8,040.28	0.26	536.02
2017-18	5,99,684	7,575	4,313.85	1.26	56.95
2018-19	6,36,557	8,600	2,363.12	1.35	27.48
2019-20	6,36,557	9,150	1,309.43	1.44	14.31
2020-21	6,36,557	उपलब्ध नहीं	2,709	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

- टी बोर्ड के पास सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सब्सिडी वितरित करने के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए कोई तंत्र या सूत्र नहीं था। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टी बोर्ड को बोर्ड के अधिकारियों से संतोषजनक पश्च संस्थापना रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही सब्सिडी जारी करनी थी।
- 2016-17 में निम्न लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित करने के कारण, उपलब्धि 536 प्रतिशत थी। 2017-18 से 2019-20 के दौरान, हालांकि लक्ष्यों को अधिक पर संशोधित किया गया था, सिंचाई सुविधाओं के वास्तविक निर्माण में 2017-18 में

4,313.85 हेक्टेयर से 2019-20 में 1,309.43 हेक्टेयर तक गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। लक्ष्यों के संदर्भ में, उपलब्धि 2017-18 में 56.95 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में मात्र 14.31 प्रतिशत रह गई।

- iii. सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य बहुत कम था और 2016-17 से 2019-20 के दौरान भारत में कुल चाय बागान क्षेत्र के 0.26 प्रतिशत और 1.44 प्रतिशत के बीच था।
- iv. वर्ष 2020-21 के दौरान, यद्यपि मंत्रालय ने पौधारोपण विकास योजना के तहत ₹75.50 करोड़ जारी किए, जबकि टी बोर्ड ने सिंचाई के तहत ₹1.89 करोड़ (2.5 प्रतिशत) ही वितरित किए। इसके अतिरिक्त, 2020-21 के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित न करने के कारण दर्ज नहीं पाए गए।

प्रबंधन ने लक्ष्य की प्राप्ति न होने के लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2022) कि स्वीकृत परिव्यय के अनुसार धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया था।

4.4.3.2 सिंचाई सुविधाओं के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी का अनुचित वितरण

योजना के तौर-तरीकों के अनुमोदन के लिए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, टी बोर्ड ने XII योजना के व्यय संबंधी वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीएंडआई) को प्रस्तुत किया (अगस्त, 2013 और फरवरी, 2014)। ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि पर्याप्त वर्षा की कमी और लंबे समय तक शुष्क अवधि दोनों के संदर्भ में मानसून में अनियमितता, चाय बागानों में सिंचाई के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण फसलों को हानि पहुंचा रही थी। इसके बाद, एमओसीएंडआई ने 4 मार्च, 2015 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि ईएफसी द्वारा अपनी बैठक (अप्रैल 2014) में की गई सिफारिश के अनुसार XII योजना अवधि अर्थात् 2012-13 से 2016-17 में चाय विकास और संवर्धनात्मक योजना को जारी रखने के टी बोर्ड के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 10 दिसंबर, 2014 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है। योजना दिशा-निर्देशों के निबंधन और शर्तों के अनुसार, XII योजना अवधि के दौरान प्रति उद्यान 200 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक लागत के 25

प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जानी थी जो ₹80,000 प्रति हेक्टेयर से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय ने 118 चाय बागानों (बड़े उत्पादकों) को सब्सिडी वितरित की, जिनमें से 23 चाय बागान 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले थे। टी बोर्ड ने योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इन चाय बागानों को ₹2.05 करोड़ की सब्सिडी वितरित की।

प्रबंधन ने उत्तर (जून 2022) में कहा कि विभिन्न योजना अवधियों के तहत सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई की गई और "प्रभावी तिथि" के अनुसार विचार किया गया, न कि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना अवधि की "निर्धारित तिथि" के अनुसार। जहां तक एक चाय बागान से ₹16.04 लाख की वसूली का संबंध है, मामला अपात्र पाया गया और इसलिए वसूली के लिए कार्रवाई की गई।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर, 2022) कि व्यय विभाग ने XI से XII योजना तक चालू योजनाओं को जारी रखने के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट किया (अप्रैल 2012) था कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्रावधान का उपयोग XI योजनाओं के संबंध में व्यय करने के लिए किया जाएगा, जिन्हें XII योजना अवधि में जारी रखने की परिकल्पना की गई थी और व्यय केवल मौजूदा लागत मानदंडों, व्यय पद्धति आदि के अनुसार उन योजनाओं के मौजूदा घटकों पर किया जाएगा, जिन्हें XI योजना के दौरान उनके कार्यान्वयन के लिए यथा अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई की गई और XII योजना के अनुमोदन की तिथि तक उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उन पर विचार किया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मान्य नहीं हैं कि यद्यपि व्यय विभाग ने मौजूदा लागत मानदंडों, व्यय पद्धति आदि के अनुसार XI योजनाओं के संबंध में व्यय करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट प्रावधान से निधियों के उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन सिंचाई सुविधाओं के सृजन के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा को पूरी योजना योजना अवधि अर्थात्, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक के लिए XII योजना की अनुमोदित सीमा के अनुसार सीमित किया जाना चाहिए था। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां XII योजनाओं के अनुमोदन से पूर्व XII योजना अवधि के दौरान XI योजना के लागत मानदण्डों के अनुसार सब्सिडी संवितरित की गई थी, अधिकतम सीमा को

XII योजना के लिए अनुमोदित अधिकतम सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए था, जो प्रति बागान 200 हेक्टेयर थी। अतः, सिंचाई सुविधाओं के लिए XII योजना अवधि के दौरान 200 हेक्टेयर से अधिक के लिए सब्सिडी का संवितरण अस्वीकार्य था।

सिफारिश संख्या 9: चाय बागानों/कारखानों को सब्सिडी के वितरण के दौरान टी बोर्ड द्वारा पौधारोपण विकास योजना की शर्तों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और अपात्र सब्सिडी की वसूली की जानी चाहिए। इसके साथ ही, अपात्र वितरित सब्सिडी के लिए जवाबदेही भी तय कि जानी चाहिए।

4.4.4 छोटे चाय उत्पादकों के विकास और निधियों के असंतुलित संवितरण पर अपर्याप्त ध्यान

पिछले कुछ वर्षों में छोटे चाय उत्पादक चाय क्षेत्र में प्रमुख उत्पादकों के रूप में उभरे हैं। निम्नलिखित तालिका वर्ष 1999 से 2019 में छोटे उत्पादकों के योगदान को इंगित करती है:

तालिका 4.6: छोटे चाय उत्पादकों का योगदान

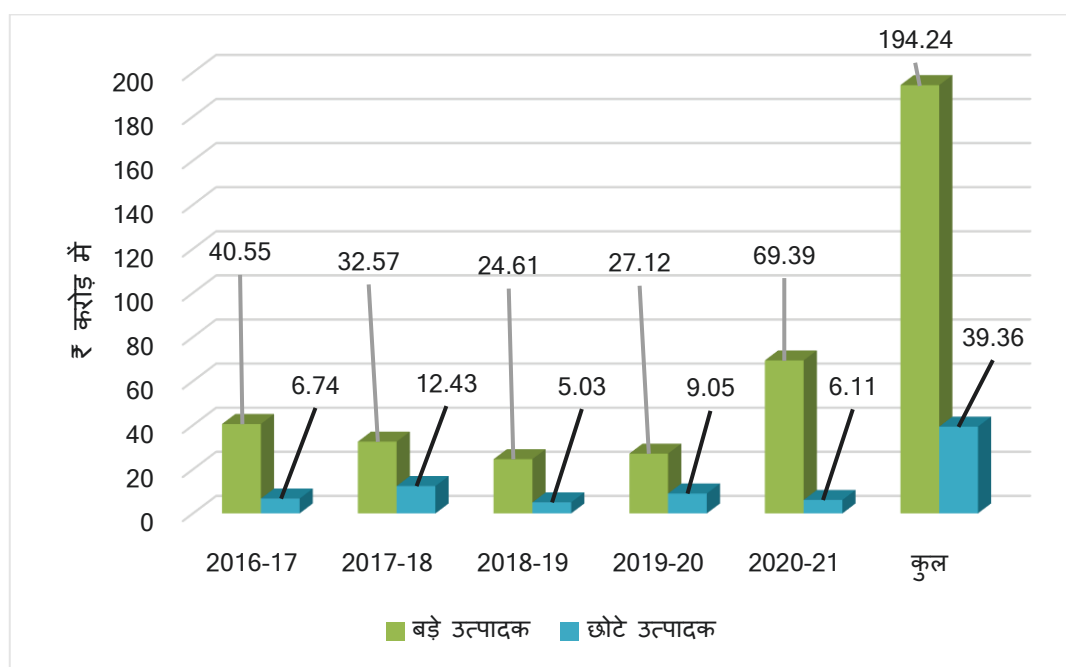
(मिलियन किलोग्राम)

विवरण	वर्ष			पिछले 10 वर्षों में वृद्धि/कमी
	1999	2009	2019	
कुल उत्पादन	826	979	1350	371
छोटे चाय उत्पादकों का उत्पादन	154	257	654	397
कुल उत्पादन में छोटे चाय उत्पादकों की हिस्सेदार (%)	18.64	26.25	48.44	22.19

(स्रोत: संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन और टी बोर्ड)

छोटे चाय उत्पादकों के लिए पौधारोपण विकास योजना (पीडीएस) का उद्देश्य छोटे चाय उत्पादकों को स्वयं सहायता समूहों के गठन, उत्पादकता और चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने और उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। 2016-17 से 2020-21 के दौरान, पीडीएस के तहत बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों को धन का संवितरण चित्र 4.4 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.4 - पीडीएस के तहत सब्सिडी का संवितरण



हालांकि छोटे चाय उत्पादकों ने भारत में चाय के समग्र उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान दिया, लेकिन उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि पीडीएस के तहत छोटे चाय उत्पादकों को वितरित धन 2020-21 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में केवल 17 प्रतिशत था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (जून 2022) कहा कि छोटे चाय उत्पादकों के लिए योजनाओं के तहत वित्तीय व्यय कम था क्योंकि छोटे चाय उत्पादकों द्वारा की गई गतिविधियों की इकाई लागत बड़े उत्पादकों की तुलना में कम थी। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग छोटे चाय उत्पादकों द्वारा लगाया गया क्षेत्र संगठित क्षेत्र के बागानों की तुलना में बहुत कम था, इसके अतिरिक्त छोटे उत्पादकों के पास कम आयु की चाय की झाड़ियां थीं।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों से सहमति (अक्टूबर 2022) जताई और आगे कहा कि टी बोर्ड पुरानी चाय की झाड़ियों/जीर्ण चाय की झाड़ियों के पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण, कायाकल्प छंटाई आदि जैसी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान कर रहा था और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत क्लोनों के साथ बदल रहा था। ये गतिविधियां पुराने चाय बागानों के लिए आवश्यक थी जो आम तौर पर बड़े उत्पादक के सम्पदा में पाए जाते थे।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तरों को इस तथ्य के मददेनज़र देखा जाना चाहिए कि यद्यपि छोटे चाय उत्पादकों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत था, टी बोर्ड ने छोटे चाय उत्पादकों को वितरित की जाने वाली वर्ष-वार सब्सिडी निर्धारित नहीं की थी।

4.5 गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना (क्यूयूपीडीएस) वर्ष 2002 से कार्यान्वित की गई थी और XII योजना और मध्यम अवधि की फ्रेमवर्क अवधि के दौरान जारी रही। इस योजना का उद्देश्य चाय विनिर्माण इकाइयों, गोदामों, चाय के मूल्यवर्धन से संबंधित इकाइयों जैसे मिश्रण, पैकिंग, चाय बैगिंग, सुगंधित चाय, गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए विशेष चाय इकाइयों/ऑर्थोडॉक्स या ग्रीन चाय विनिर्माण इकाइयों की स्थापना निर्मित चाय की गुणवत्ता, जैविक चाय का उत्पादन और ऑर्थोडॉक्स /ग्रीन टी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देकर चाय की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान, टी बोर्ड ने योजना के तहत लाभार्थियों को ₹123.71 करोड़ वितरित किए।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान क्यूयूपीडीएस का लक्ष्य और उपलब्धि नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 4.7: वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान योजना के लक्ष्य और उपलब्धि

घटक	गतिविधि	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
क्यूयूपीडीएस	कारखाना आधुनिकीकरण (सं.)	0	21	2	6	2	0	2	0	उपलब्ध नहीं	7
	मूल्यवर्धन (लाभार्थी की सं.)	40	11	5	26	5	12	5	7	उपलब्ध नहीं	0
	नए कारखानों की स्थापना (विशेष चाय इकाई)	20	1	2	3	2	10	2	0	उपलब्ध नहीं	0
	कारखाने के लिए गुणवत्ता आश्वासन और जैविक चाय प्रमाणन (सं.)	175	0	100	6	100	6	100	0	उपलब्ध नहीं	1

घटक	गतिविधि	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	भण्डारण (सं.)	36	0	2	0	2	0	2	0	उपलब्धि नहीं	0
	ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन चाय के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन (मिलियन किलोग्राम)	120	59.21	60	57.4	60	50.49	90	75.33	उपलब्धि नहीं	112.47

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी)

ऊपर दी गई तालिका से, यह देखा जा सकता है कि क्यूूपीडीएस के विभिन्न घटकों के तहत उपलब्धि सभी वर्षों में असंगत थी। इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड के पास क्यूूपीडीएस के अंतर्गत सब्सिडी के संवितरण के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी।

क्यूूपीडीएस के तहत सब्सिडी के संवितरण के लिए अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:

- (i) टी बोर्ड द्वारा सब्सिडी संवितरण के मामले में, ग्रीन चाय, ऑर्थोडॉक्स चाय और विशेष चाय के उत्पादन के लिए नए कारखानों की स्थापना के लिए, कारखाने में उत्पादित चाय का 20 प्रतिशत वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से एक वर्ष की परिचालन अवधि में निर्यात किया जाना था। ऐसी शर्तों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, सब्सिडी के संवितरण की तिथि से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सब्सिडी की पूरी राशि की वापसी की जानी थी। टी बोर्ड को सब्सिडी के संवितरण से पूर्व संबंधित कारखाने से इस संबंध में एक वचन पत्र प्राप्त करना था।
- (ii) 'कारखाना आधुनिकीकरण' गतिविधि के अंतर्गत निवेश के मानदण्ड निम्नानुसार हैं:
 - (क) किसी भी एकल मशीनरी मद पर न्यूनतम निवेश ₹5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और
 - (ख) एक वर्ष में किया जाने वाला न्यूनतम निवेश ₹25 लाख से कम नहीं होना चाहिए।

- (iii) “कारखाना आधुनिकीकरण” के अंतर्गत सब्सिडी केवल चाय कारखानों की पुरानी और खस्ता हाल मशीनरी को बदलने के लिए पात्र थी।
- (iv) क्यूूपीडीएस के अंतर्गत ‘मूल्यवर्धन’ गतिविधि के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निवेश का मानदंड भी ₹25 लाख था।
- (v) ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन चाय के उत्पादन के लिए पत्ती और डस्ट ग्रेड दोनों के लिए वास्तविक उत्पादन के लिए ₹3 प्रति किलोग्राम की एक समान दर पर सब्सिडी की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा में क्यूूपीडीएस के कार्यान्वयन में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

4.5.1 चाय बागान को सब्सिडी के वितरण के बाद गतिविधियों की निगरानी में कमी

क्यूूपीडीएस के तहत सब्सिडी के संवितरण की समीक्षा पर लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- टी बोर्ड ने ग्रीन चाय कारखाना की स्थापना के बाद मैसर्स महालक्ष्मी चाय बागान कारखाना, गोलाघाट, असम को ₹87.63 लाख की सब्सिडी (जून 2017) जारी की। हालांकि, कारखाने ने एक वर्ष की परिचालन अवधि में उसके द्वारा निर्यात की गई चाय के समर्थन में वैध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टी बोर्ड को बागान को वितरित सब्सिडी की राशि ब्याज के साथ वापस लेनी चाहिए थी। लेकिन टी बोर्ड द्वारा राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने (जून 2022) कहा कि कारखाने ने दिसंबर 2021 में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए। लाभार्थी से कुछ अन्य सहायक दस्तावेज मांगे गए थे जो लंबित थे। मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया गया था।

तथापि, तथ्य यह है कि निर्यात के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के बावजूद मैसर्स महालक्ष्मी चाय बागान को संवितरित सब्सिडी को तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ब्याज सहित वापस नहीं लिया गया।

4.5.2 चाय बागानों को सब्सिडी का अस्वीकार्य निर्गमन

(क) क्यूूपीडीएस के अंतर्गत योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए (पुरानी, खस्ता-हाल चाय मशीनरी को प्रतिस्थापित करके) उस विशेष वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला न्यूनतम निवेश ₹25 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अभिलेखों की जांच से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में, सब्सिडी जारी की गई थी, हालांकि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में न्यूनतम निवेश ₹25 लाख से कम नहीं होने की शर्त पूरी नहीं हुई थी:

- असम के डिब्रूगढ़ के मैसर्स हट्टियाली चाय बागान को कारखाना आधुनिकीकरण के तहत ₹7.41 लाख मूल्य के “46 इंच सिंगल एक्शन रोलिंग टेबल” के क्रय के लिए ₹1.85 लाख की सब्सिडी (सितंबर 2016) जारी की गई थी।
- असम के डिब्रूगढ़ के सिंगलिजन चाय बागान को ₹5.41 लाख मूल्य के “36 इंच डीएआर रोलिंग टेबल” के क्रय के लिए ₹1.35 लाख (सितंबर 2016) की सब्सिडी जारी की गई थी।
- असम के डिब्रूगढ़ के मैसर्स लेपेटकट्टा चाय बागान को ₹13.95 लाख मूल्य के एम256 मेगापुट ड्रायर के क्रय के लिए ₹3.49 लाख की सब्सिडी (जून 2017) जारी की गई थी।

(ख) मेथोनी चाय बागान, असम ने क्यूूपीडीएस के तहत क्रय की गई “कलर सॉर्टर मशीन” की स्थापना के बाद निरीक्षण के लिए आरओ, जोरहाट को सूचित किया (26 सितंबर 2011)। हालांकि, आरओ, जोरहाट ने 28 मार्च 2015 और 9 मार्च 2016 को चरण-वार निरीक्षण किया। सब्सिडी सितंबर 2016 में जारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप निरीक्षण के लिए लगभग 3.5 वर्ष और सब्सिडी जारी करने में पांच वर्ष का असामान्य विलंब हुआ।

इसके अतिरिक्त, “कलर सॉर्टर मशीन” को एक भारतीय विक्रेता से ₹40.05 लाख के मूल्य में क्रय किया गया था। टी बोर्ड ने सीमा शुल्क (₹3.86 लाख) और अन्य व्यय (₹0.80 लाख) के लिए ₹1.16 लाख (25 प्रतिशत) की सब्सिडी जारी की, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं थी।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए (जून/अक्टूबर 2022) प्रबंधन/मंत्रालय ने भविष्य के अनुपालन के लिए इसे नोट किया।

(ग) वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्यूयूपीडीएस के तहत ₹91.07 लाख (अनुलग्नक-X) की सब्सिडी जेडओ कुन्नूर के तहत तीन कारखानों नामतः देवाशोला चाय कारखाना, ठेंगक्कल चाय बागान कारखाना और ग्रैनबी एस्टेट चाय कारखाना को वितरित की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये तीन चाय कारखाने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे क्योंकि सब्सिडी जारी करते समय उनका पीएफ बकाया ₹10,000 से अधिक था। इस प्रकार, वितरित सब्सिडी योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन थी। यह भी देखा गया कि थेंगक्कल चाय बागान कारखाना और ग्रैनबी बागान चाय कारखाना पर 1992-2009 की अवधि से क्रमशः ₹1.26 करोड़ और ₹39.54 लाख बकाया थे।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (जून 2022) कि ग्रैनबी और थेंगाकल बंद चाय बागान थे, जिन्हें बाद में मैसर्स पोआब्स एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अधिग्रहण में ले लिया। सब्सिडी के वितरण के समय, नया प्रबंधन नियमित रूप से एकत्र किए गए प्रेषण चालान के अनुसार पीएफ बकाया का भुगतान कर रहा था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन (अक्टूबर 2022) किया।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तरों को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदन प्रस्तुत करते समय और सब्सिडी जारी करते समय आवेदक की भविष्य निधि बकाया राशि ₹10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, दर्शाए गए मामलों में, चाय बागानों की बकाया पीएफ देनदारियां ₹10,000 से अधिक थीं। इस प्रकार, सब्सिडी का संवितरण योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

सिफारिश संख्या 10: टी बोर्ड को गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना के तहत सब्सिडी के वितरण के लिए शर्तों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि योजना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और वितरित अपात्र सब्सिडी की वसूली की जा सके। इसके साथ ही, अपात्र संवितरित सब्सिडी के लिए जवाबदेही भी तय कि जानी चाहिए।

4.5.3 ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन चाय उत्पादन योजना के तहत योजना दिशानिर्देशों और सब्सिडी संवितरण में पाई गई कमियां

(क) ऑर्थोडॉक्स चाय मुख्य रूप से निर्यात उद्देश्य के लिए उत्पादित की जाती है, और यह वैश्विक बाजारों में अधिक कमाई करती है। देश में ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन बढ़ाने

के लिए चाय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टी बोर्ड ने ऑर्थोडॉक्स चाय के उत्पादन के लिए सब्सिडी के संवितरण के लिए एक योजना तैयार की है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के दिशा-निर्देशों में उत्पादकों द्वारा निर्यात की जाने वाली ऑर्थोडॉक्स चाय की मात्रा के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है ताकि सब्सिडी से प्राप्त लाभ को मापा जा सके। इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड के पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे वह एक उत्पादक द्वारा निर्यात की गई ऑर्थोडॉक्स चाय की मात्रा को सत्यापित कर सके, जिसके लिए पहले सब्सिडी वितरित की गई थी।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि उक्त अवधि के लिए निर्यात की गई ऑर्थोडॉक्स चाय की मात्रा के समर्थन में लाभार्थी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों में कोई प्रावधान नहीं था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किसी भी निर्यात आंकड़ों के अभाव में, योजना के तहत संवितरित सब्सिडी के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता था और प्रबंधन ऑर्थोडॉक्स चाय के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य की उपलब्धि की सीमा का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि योजना दिशानिर्देशों को लागू करते समय भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया गया था।

(ख) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विनिर्माताओं द्वारा ऑर्थोडॉक्स चाय के कुल उत्पादन के लिए सब्सिडी का भुगतान किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल उत्पादन में से काफी मात्रा में ऑर्थोडॉक्स चाय का उपयोग कारखाने के कामगारों के उपभोग के लिए किया गया और नमूनों/उपहारों आदि के रूप में वितरित किया गया। इस प्रकार, उपरोक्त प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली चाय के लिए सब्सिडी का भी भुगतान किया गया था, जिसने ऑर्थोडॉक्स चाय के निर्यात को बढ़ावा देने/वृद्धि के लिए ऑर्थोडॉक्स चाय के उत्पादन के लिए सब्सिडी के उद्देश्य को विफल कर दिया।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2022) कि बागान से श्रमिक चाय का वितरण प्रथागत था और लंबे समय से इसका पालन किया जा रहा था। कभी-कभी

विनिर्माताओं ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अपनाई गई विपणन और संवर्धन कार्यनीति के रूप में नमूने/उपहार चाय का वितरण किया जिससे निर्यात में भी मदद मिली।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि इस योजना का उद्देश्य निर्यात के लिए ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन करना था और इसलिए सब्सिडी निर्यात की गई मात्रा तक सीमित होनी चाहिए थी। इसके अलावा, श्रमिक चाय के रूप में ऑर्थोडॉक्स चाय का वितरण योजना के उद्देश्य को पूरा नहीं करता था, जिसका उद्देश्य विदेशी आय प्राप्त करने के लिए निर्यात उद्देश्य के लिए ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन करना था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि योजना दिशानिर्देशों को लागू करते समय भविष्य के अनुपालन के लिए ऑडिट अवलोकन को नोट किया गया था।

(ग) सब्सिडी के संवितरण के लिए सामान्य पात्रता शर्त के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करते समय और सब्सिडी जारी करते समय आवेदक चाय बागान/कारखाने की भविष्य निधि देय राशि ₹10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त के अनुपालन में, निर्माता को नवीनतम पीएफ बकाया के भुगतान के समर्थन में नवीनतम पीएफ चालान भुगतान रसीद की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

ऑडिट में पाया गया कि नवीनतम पीएफ चालान की प्रति से, केवल वर्तमान पीएफ बकाया का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि, यह सत्यापित नहीं किया जा सका है कि पिछले सभी बकाया का भुगतान किया गया था या नहीं। इसलिए, नवीनतम पीएफ चालान प्रस्तुत करने से यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि आवेदक चाय बागान / कारखाने का पीएफ बकाया ₹10,000 से अधिक नहीं था। इसलिए, पीएफ चालानों के सत्यापन के संबंध में योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों का सब्सिडी के संवितरण से पहले पालन नहीं किया गया था।

ऑडिट विवाद को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि टी बोर्ड ने हाल ही में पीएफ प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र का सत्यापन शुरू किया था। हालांकि, असम के मामले में, पीएफ प्राधिकरण ने पीएफ डिफॉल्टर सूची साझा करने से इनकार कर दिया।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि योजना दिशानिर्देशों को लागू करते समय भविष्य के अनुपालन के लिए ऑडिट अवलोकन को नोट किया गया था।

सिफारिश संख्या 11: टी बोर्ड द्वारा चाय बागानों/कारखानों को सब्सिडी के संवितरण के दौरान ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन टी उत्पादन योजना की शर्तों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और संवितरित अपात्र सब्सिडी की वसूली की जानी चाहिए। इसके साथ ही, अपात्र संवितरित सब्सिडी के लिए जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

4.5.4 ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन टी उत्पादन योजना के तहत योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर अनुदानों का वितरण

(क) टी अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 के अनुसार, चाय निर्माताओं को अपने उत्पादन का न्यूनतम दो प्रतिशत चाय अपशिष्ट घोषित करना था। अनुदान वितरण फाइलों की जांच से पता चला कि उत्पादकों ने मासिक रिटर्न में उत्पादन के अनिवार्य दो प्रतिशत को चाय अपशिष्ट घोषित नहीं किया। यहां तक कि, कुछ मामलों में, पूरे छह माह के उत्पादन में कोई चाय अपशिष्ट घोषित नहीं की गई, जिसके लिए अनुदानों का दावा किया गया था। इसके बावजूद, टी बोर्ड ने चाय अपशिष्ट के रूप में उत्पादन के अनिवार्य दो प्रतिशत की कटौती किए बिना पूरे उत्पादन के लिए अनुदान जारी किया। इस प्रकार, टी बोर्ड, चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा।

उदाहरण स्वरूप, जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान हरमुट्टी टी एस्टेट, लखीमपुर, असम के मामले में, 10,03,731 किलोग्राम²⁵ ऑर्थोडॉक्स चाय के उत्पादन हेतु ₹30.11 लाख की अनुदान जारी की गई थी। हालांकि, उत्पादन के दो प्रतिशत की दर से 20,074 किलोग्राम चाय अपशिष्ट की पैदावार की जानी थी, लेकिन चाय बागान ने उक्त अवधि के दौरान केवल 8,000 किलोग्राम (0.8 प्रतिशत) चाय अपशिष्ट की पैदावार की। हालांकि, चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश के प्रावधान का अनुपालन किए बिना ही अनुदानों जारी कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप न केवल अतिरिक्त अनुदानों का संवितरण हुआ, बल्कि चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेशों का उल्लंघन में चाय बागानों को अनुदानों का संवितरण भी हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए (जून/अक्टूबर 2022) प्रबंधन/मंत्रालय ने आगामी अनुपालना हेतु इसे दर्ज किया गया।

²⁵ जनवरी 2016 से जून 2016 - 3,35,857 किग्रा और जुलाई 2016 से दिसंबर 2016 - 6,67,874 किग्रा।

(ख) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कारखानों द्वारा प्रस्तुत मासिक ऑनलाइन रिटर्न (फॉर्म-ई) की प्रतियां एवं आरजी -1²⁶ की प्रतियां, दोनों को उस अवधि के लिए, जिसके लिए दावा किया गया था, विनिर्माताओं द्वारा योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा उत्पादित ऑर्थोडॉक्स चाय की मात्रा के समर्थन में उत्पादित किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- i. चाय विनिर्माताओं द्वारा अनुदान जारी करने हेतु प्रस्तुत उपर्युक्त दो दस्तावेजों से ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- ii. आरजी-1 द्वारा एक कारखाने में एक विशेष माह में, विभिन्न प्रकार की चाय के कुल उत्पादन के संयुक्त आंकड़ों का खुलासा किया गया। इस प्रकार, किसी कारखाने द्वारा उत्पादित ऑर्थोडॉक्स चाय की मात्रा का अंदाजा आरजी-1 से अलग से नहीं लगाया जा सकता है।
- iii. टी बोर्ड की वेबसाइट पर चाय कारखानों द्वारा प्रस्तुत मासिक ऑनलाइन रिटर्न (फॉर्म - ई) द्वारा उत्पादन को सत्यापित करने हेतु प्रामाणिक दस्तावेजों के रूप में निर्मित नहीं किया जा सकता कि उस माह के दौरान उत्पादित सीटीसी चाय / ऑर्थोडॉक्स चाय के आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए टी बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण की ओर से कोई जांच नहीं की गई थी।
- iv. ऐसे उदाहरण हैं थे, जहां फॉर्म 'ई' में प्रस्तुत मासिक कुल उत्पादन के आंकड़े आरजी-1 में उल्लिखित चाय की सभी किस्मों के मासिक कुल उत्पादन के आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे।

इस प्रकार, ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन को सत्यापित करने हेतु कारखाने के कुछ अन्य रिकॉर्ड जैसे ड्रायर माउथ रजिस्टर²⁷/दैनिक स्टॉक रजिस्टर/पैकिंग रजिस्टर आदि की जांच की जानी अपेक्षित थी। हालांकि, अनुदानों के दावे के समय चाय विनिर्माता द्वारा न तो ऐसे दस्तावेज

²⁶ आरजी-1 रजिस्टर, उत्पाद निर्माण इकाई के लिए एक स्टॉक बुक है, जिसमें निर्माण, निकासी और भुगतान किए गए शुल्क का विवरण, तिथिवार होता है।

²⁷ सुखाने की प्रक्रिया के साथ ही चाय का उत्पादन पूरा हो जाता है तथा अंतिम चाय जो ड्रायर से सूखने के बाद प्राप्त होती है, उसे 'ड्रायर माउथ टी' के नाम से जाना जाता है। चाय कारखाने ड्रायर माउथ के माध्यम से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की चाय के उत्पादन को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखते हैं, जिसे ड्रायर माउथ रजिस्टर के रूप में जाना जाता है।

प्रस्तुत किए गए और न ही टी बोर्ड के अधिकारियों ने उन दस्तावेजों के संदर्भ में उत्पादन के आंकड़ों के सत्यापन के बारे में अपनी रिपोर्टों में सत्यापित किया और ना ही उल्लेख किया।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि आवश्यकतानुसार, निरीक्षण अधिकारियों ने निरीक्षण के समय आवेदक द्वारा किए गए दावे को सत्यापित करने हेतु आरजी-1 के अलावा अन्य दस्तावेजों अर्थात् ड्रायर माउथ रजिस्टर/दैनिक स्टॉक रजिस्टर, पैकिंग रजिस्टर, चाय अपशिष्ट रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस तथ्य को प्रमाणित करने हेतु ऐसे दस्तावेजों की कोई प्रतियां अभिलेखों में नहीं मिलीं हैं। इसके अलावा, ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाना चाहिए जिनसे उत्पादन की प्रामाणिकता सत्यापित की जा सके।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया था।

(ग) सेजुली चाय बागान (असम) के मामले में, यह पाया गया कि जुलाई-दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से 4,40,398 किलोग्राम ऑर्थोडॉक्स चाय के उत्पादन हेतु मार्च 2017 में ₹13.21 लाख की अनुदान जारी किए गए थे। दिसंबर माह 2016 में, कारखाने में कुल 74,275 किलोग्राम हरी पत्तियां लाई गई थीं, जिनसे 17,398 किलोग्राम ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन किया गया था। हालांकि, आरजी-1 रजिस्टर के अनुसार उस माह के उत्पादन में अतिरिक्त 23,585 किलोग्राम ऑर्थोडॉक्स चाय जोड़ी गई थी। लेकिन चाय की उपरोक्त मात्रा के उत्पादन हेतु कारखाने में कोई आनुपातिक हरी पत्ती (मासिक रिटर्न के अनुसार) नहीं लाई गई थी। इसलिए, हरी पत्तियों की आनुपातिक रसीद के बिना 23,585 किलोग्राम चाय के उत्पादन का खुलासा किया गया था, जिसके लिए टी इस्टेट से कोई औचित्य नहीं पूछा गया एवं अनुदानों जारी की गई।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि अधिकांश चाय बागानों में चाय की अधिकता कुल मिलाकर अकुशल मजदूरों द्वारा मैन्युअल रूप से तौलने में त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई थी। चाय की प्रकृति में हाइग्रोस्कोपिक²⁸ होने के कारण, भंडारण होने पर वजन बढ़ गया था। अधिक चाय का मुद्दा उद्योग के लिए एक जाना पहचाना तथ्य था एवं स्वीकार्य पाया गया।

²⁸ एक पदार्थ जो हवा से नमी को अवशोषित करता है।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि अनुदान जारी करने से पहले दस्तावेजों का पर्याप्त सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान उस प्रयोजन के लिए संवितरित की गई थी जिसके लिए जीओआई द्वारा निधियां आबंटित की गई थीं।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया था।

(घ) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक को आवेदन के समय नवीनतम पीएफ जमा चालान की प्रति संलग्न करनी चाहिए थी। कुन्नूर क्षेत्रीय कार्यालय से वितरित ऑर्थोडॉक्स चाय के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान मामलों की जांच करने पर, यह पाया गया कि 12 मामलों (अनुलग्नक-XI) में कारखानों द्वारा नवीनतम पीएफ चालान प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा ₹1.43 करोड़ की अनुदान जारी करते समय टी बोर्ड द्वारा भी इस पर जोर नहीं दिया गया था। इस प्रकार, भुगतान की गई अनुदान योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार एवं नोट करते हुए कहा (जून 2022) कि अनुदानों के वितरण के समय नवीनतम पीएफ चालान प्राप्त करने के दिशानिर्देशों के पालन का भविष्य में सख्ती से पालन किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया था।

(ङ) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन जमा करते समय तथा साथ ही ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी उत्पादन हेतु अनुदान जारी करते समय आवेदक चाय बागान की भविष्य निधि देय राशि ₹10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 46 मामलों (अनुलग्नक-XII) में, टी बोर्ड ने ₹7.79 करोड़ की अनुदान संवितरित की जहां आवेदक बागानों का भविष्य निधि देय ₹10,000 की निर्धारित राशि से अधिक था।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि नवीनतम पीएफ चालान के साथ संतोषजनक फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुदान मंजूर की गई थी। संबंधित चाय कारखानों के प्रबंधन ने अनुदानों के संवितरण के समय पीएफ का प्रेषण किया तथा अनुदानों के संवितरण के समय चालान की प्रतियां एकत्र की गई थीं।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि यद्यपि आवेदक ने चालान जमा किए थे, पीएफ बकाया ₹10,000 से अधिक था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया था।

4.6 मानव संसाधन विकास योजना

चाय अधिनियम 1953 में अनिवार्य रूप से टी बोर्ड के उद्देश्यों एवं कार्यों में श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति एवं सुविधाओं में सुधार तथा प्रोत्साहन के लिए कल्याणकारी उपायों का समर्थन करना शामिल है। श्रम कल्याणकारी गतिविधियों को मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है जैसा कि XII योजना एवं मध्यम अवधि के ढांचे के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। एचआरडी योजना का उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों एवं उनके आश्रितों आदि के जीवन तथा रहन-सहन के तीन व्यापक क्षेत्रों में सुधार करना है अर्थात् (क) श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार; (ख) श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा; तथा (ग) श्रमिकों एवं उनके आश्रितों आदि के लिए कौशल में सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

चाय उद्योग को नियंत्रित करने वाला अधिनियम एवं चाय उद्योग की संगठनात्मक संरचना

देश में चाय बागान श्रमिकों की काम करने की स्थिति, बागान श्रम अधिनियम (पीएलए), 1951 द्वारा शासित होती हैं। अधिनियम में नियोक्ताओं से अपेक्षा की गई है कि वे श्रमिकों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी और मातृत्व लाभ तथा अन्य प्रकार के सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करें। चाय बागान श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए चाय बागानों में कार्यस्थलों पर एवं उसके आसपास बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएँ, पीने के पानी, संरक्षण, कैंटीन, क्रेच एवं मनोरंजक सुविधाओं के प्रावधान हैं। बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 11.66 लाख स्थायी और अस्थायी श्रमिक, इस्टेट चाय बागानों में लगे हुए हैं, जो ग्रामीण आबादी के लिए सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।

4.6.1 एचआरडी योजना के तहत निधियों का आवंटन

टी बोर्ड ने "चाय विकास और संवर्धन योजना" के अनुमोदन हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा मूल्यांकन के लिए वाणिज्य विभाग (डीओसी) को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। टी बोर्ड/डीओसी के प्रस्ताव के आधार पर, ईएफसी ने "चाय विकास और संवर्धन योजना" के अनुमोदन की सिफारिश की एवं तदनुसार, डीओसी ने इसे अनुमोदित कर दिया। ईएफसी में बोर्ड द्वारा अनुदानों योजना हेतु कुल निधियों का बजट, ईएफसी में बोर्ड द्वारा एचआरडी योजना हेतु निधियों का बजट, ईएफसी द्वारा संस्तुत निधियों, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित

निधियों तथा एचआरडी योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा आवंटित/वास्तविक व्यय की निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा तालिका 4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: एचआरडी योजना की वित्तीय जानकारी (₹ करोड़ में)

वर्ष	ईएफसी में बोर्ड द्वारा सभी अनुदान योजनाओं हेतु कुल निधि का बजट	ईएफसी में बोर्ड द्वारा एचआरडी योजना हेतु निधि का बजट	ईएफसी द्वारा अनुशंसित एवं मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निधियां	बोर्ड द्वारा एचआरडी योजना हेतु आवंटित निधि/वास्तविक व्यय
2016-17	378.10	44.25	44.25	5.01
2017-18	150.67	6.53	2.84	5.22
2018-19	169.44	6.65	4.99	2.45
2019-20	185.59	6.82	5.12	4.31
2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.11
कुल	883.80	64.25	57.20	18.10

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा दी गई जानकारी)

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि ₹57.20 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले, 2016-17 से 2019-20 के दौरान एचआरडी योजना के तहत वास्तविक व्यय ₹16.99 करोड़ था जो अनुमोदित परिव्यय का केवल 30 प्रतिशत था। 2020-21 के दौरान, सरकार से प्राप्त कुल ₹115.68 करोड़ की धनराशि में से केवल ₹1.11 करोड़ (0.96 प्रतिशत) एचआरडी योजना के लिए आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016-17 के दौरान, जबकि टी बोर्ड ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान सभी अनुदान योजनाओं के लिए कुल बजट में से एचआरडी योजना के लिए 11 प्रतिशत से अधिक का बजट रखा था, इसे बिना किसी कारण के तीन से चार प्रतिशत के बीच कम कर दिया गया था। सीमित व्यय और योजना के तहत परिकल्पित वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप योजना का प्रदर्शन कम हुआ। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2022) मंत्रालय ने भविष्य की अनुपालना हेतु इसे नोट कर लिया था।

4.6.2 भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

एचआरडी योजना की उपलब्धियों की तुलना में वास्तविक लक्ष्यों की समीक्षा (अनुलग्नक-XIII) से पता चला है कि:

- क. XII योजना के अनुमोदित ईएफसी जापन के अनुसार टी बोर्ड को एचआरडी योजना के अंतर्गत चाय बागान श्रमिकों के घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था, श्रमिकों के बच्चों के लिए कोचिंग एवं छात्रावास शुल्क उपलब्ध कराना, चाय बागान श्रमिकों/आश्रितों आदि के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी उपायों को उजागर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना था। हालांकि, 2016-17 के दौरान, एचआरडी योजना के उपर्युक्त उप-घटकों में बोर्ड द्वारा कोई निधि वितरित नहीं की गई। इसके अलावा, मध्यम अवधि ढांचे (2017-18 से 2020-21) के दौरान, ईएफसी प्रस्ताव में उपरोक्त उप-घटकों को बिना किसी अभिलिखित कारण के शामिल नहीं किया गया।
- ख. टी बोर्ड ने 2016-17 के अतिरिक्त "शैक्षिक वजीफा" और "नेहरू पुरस्कार" के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को अनुदान प्रदान करने के अपने स्वयं के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया।
- ग. 2016-17 से 2019-20 के दौरान किताबों तथा स्कूल यूनिफॉर्म के लिए अनुदान की तुलना में 75 से 94 प्रतिशत तक की कमी थी।
- घ. 2017-18 से 2019-20 के दौरान अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण/स्वास्थ्य और स्वच्छता पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंगित लक्ष्यों को मामूली रूप से हासिल किया गया था, लेकिन 2016-17 में 97 प्रतिशत की भारी कमी थी।
- ङ. विभिन्न वर्षों में एचआरडी में पुरानी कमी के कारणों को श्रम कल्याण समिति/बोर्ड के समक्ष मूल्यांकन एवं उपचारात्मक उपाय करने के लिए नहीं रखा गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (जून/अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य के अनुपालन हेतु नोट कर लिया था।

4.6.3 संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का पालन न करना

(i) संसदीय स्थायी समिति (2012) ने अगस्त, 2012 में वाणिज्य पर “बागान क्षेत्र का प्रदर्शन - चाय और कॉफी उद्योग” पर संसद में रखी गई 102 वीं रिपोर्ट में बागान श्रमिकों के संबंध में चिकित्सा सुविधाओं के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की थी। समिति का विचार था कि निर्दिष्ट अस्पतालों की सेवाओं के विस्तार को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है। समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ओपी आर्य समिति²⁹ की सिफारिशों को लागू किया जा सके।

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (अगस्त, 2013) में वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने कहा है कि टी बोर्ड को इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के अनुदेश दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की जांच की और पाया कि टी बोर्ड द्वारा ओपी आर्य समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई पहल नहीं की गई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने (जून 2022) कहा कि इसे भविष्य में अनुपालना के लिए नोट कर लिया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर ध्यान दिया और कहा (अक्टूबर 2022) कि चाय बागान श्रमिकों के काम करने की स्थिति बागान श्रम अधिनियम, 1951 द्वारा शासित थी, जिसमें नियोक्ताओं को श्रमिकों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी और मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्य रूप प्रदान करने की आवश्यकता थी। टी बोर्ड एचआरडी घटक के अंतर्गत कल्याणकारी उपायों का विस्तार कर रहा था जो बागान श्रम अधिनियम के उपबंधों के लिए पूरक प्रकृति के थे। XII योजना के दौरान पेयजल, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम जैसे अनेक गतिविधियां शुरू की गई थीं। मध्यम अवधि के ढांचे

²⁹ चाय उद्योग के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू कानूनों को सुव्यवस्थित, युक्तिसंगत और सुसंगत बनाने के लिए एमओसीएंडआई द्वारा ओ.पी.आर्य समिति का गठन (2007 मार्च) किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट (2007 सितंबर) में सिफारिश की थी कि चाय उद्योग सार्वजनिक/निजी भागीदारी के तहत अधिमानतः चाय बागान में और उसके आसपास समूहरेफरफ अस्पतालों की स्थापना की संभावना का पता लगा सकता है। भारत सरकार/टी बोर्ड ऐसे उद्यमों के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता पर विचार कर सकता है।

के लिए योजना के दौरान, अतिव्यापिता से बचने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध कुछ गतिविधियाँ को बंद कर दिया गया।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चाय बागान श्रमिकों की कार्य स्थिति सामान्य रूप से बागान श्रम अधिनियम द्वारा शासित थीं। हालांकि, वाणिज्य विभाग ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के माध्यम से टी बोर्ड को बागान श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने का विशेष रूप से निर्देश दिया था जिसके विरुद्ध बागान श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए टी बोर्ड द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई जिसके कारण वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया।

(ii) वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त, 2012 में “बागान क्षेत्र के निष्पादन - चाय और कॉफी उद्योग” पर अपनी 102 वीं रिपोर्ट में यह भी कहा कि स्कूल भवनों की स्थिति उम्मीद के मुताबिक नहीं है। समिति ने सुझाव दिया कि रखरखाव का काम टी बोर्ड द्वारा संचालित एचआरडी योजना के तहत किया जाना चाहिए था।

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (अगस्त 2013) में वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने कहा कि डीओसी, एचआरडी योजना के तहत स्कूल भवन रखरखाव कार्य हेतु टी बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था।

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला है कि टी बोर्ड ने XII योजना के दौरान स्कूल/कॉलेज/छात्रावास भवन के निर्माण हेतु पूंजीगत अनुदान के एचआरडी घटक के साथ-साथ मध्यम अवधि के ढांचे को हटा दिया है जो संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन /मंत्रालय ने (जून / अक्टूबर 2022) कहा कि अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया था।

4.6.4 श्रम कल्याण समिति द्वारा अपर्याप्त निगरानी

श्रम कल्याण समिति का गठन चाय अधिनियम, 1953 की धारा 8 के साथ पठित चाय नियम, 1954 के नियम 12 के अंतर्गत किया गया था। समिति की शक्तियां और कर्तव्य इस प्रकार हैं:

- (i) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (1) के संदर्भ में श्रम कल्याण का समग्र कार्यक्रम तैयार करना, यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध धन का उपयोग तत्काल आवश्यकताओं के लिए किया जाता है जो चाय बागान मालिकों के वैधानिक दायित्व द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं;
- (ii) इस संबंध में कार्यकारी समिति तथा /या बोर्ड की श्रम कल्याण योजनाओं की जांच और सिफारिश करना, विशेष रूप से यह विचार करना कि क्या यह योजना श्रमिकों के बीच उत्साह और प्रोत्साहन पैदा करेगी;
- (iii) शैक्षिक वजीफा, अस्पतालों और स्कूलों को अनुदान, खेल और स्काउटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान जैसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना;
- (iv) बोर्ड की किसी भी अन्य कल्याणकारी गतिविधि के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना; तथा
- (v) यह सुनिश्चित करना कि विशेष श्रम कल्याण योजनाओं हेतु स्वीकृत निधियों का समुचित उपयोग किया जाए।

इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड को बोर्ड की श्रम कल्याण समिति द्वारा विभिन्न श्रम कल्याण गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान श्रम कल्याण समिति द्वारा केवल चार बैठकें³⁰ आयोजित की गईं। इसके अलावा, बोर्ड के सदस्यों ने टी बोर्ड को यह भी निर्देश दिया कि श्रम कल्याण समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। इस प्रकार, श्रम कल्याण समिति की लगातार कम बैठकों का श्रम कल्याण योजनाओं की निगरानी एवं कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/मंत्रालय ने (जून/अक्टूबर 2022) कहा कि अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना के लिए नोट कर लिया गया था।

³⁰ 30 मई 2016 , 24 अगस्त 2016, 14 नवंबर 2016 एवं 24 मार्च 2018

सिफारिश संख्या 12: चाय अधिनियम में परिकल्पित कार्यों के प्रदर्शन एवं श्रम कल्याण गतिविधियों की निगरानी हेतु, टी बोर्ड श्रम कल्याण समिति की बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता निर्धारित कर सकता है तथा संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठा सकता है।

4.7 अनुसूचित जाति उप-योजनाएँ (एससीएसपी)

टी बोर्ड ने देश भर में चाय के छोटे उत्पादकों एवं चाय बागान श्रमिकों के बीच अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के लाभ के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति उप योजनाएं (एससीएसपी) लागू की। एससीएसपी को 2011-12 से शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित लाभार्थी सभी अनुमोदित योजना घटकों की वित्तीय सहायता के पात्र थे, जिसमें व्यापक रूप से वृक्षारोपण विकास, गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण, एचआरडी तथा बाजार संवर्धन शामिल थे।

टी बोर्ड द्वारा एमओसीएंडआई को दिए गए विवरण (अप्रैल 2020) के अनुसार, 2,10,225 चाय के छोटे उत्पादकों में से 29,332 (14 प्रतिशत) एससी समुदाय के थे।

योजना आयोग (नवंबर 2010)/नीति आयोग (नवंबर 2017) के दिशानिर्देशों के अनुसार, 2016-17 तक एससीएसपी योजना हेतु कुल आवंटित बजट का कम से कम 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए। इसे 2017-18 से बढ़ाकर 8.3 प्रतिशत कर दिया गया। एससीएसपी योजना के अंतर्गत कुल आवंटित बजट, एससीएसपी योजना हेतु आवंटन, प्राप्त निधियों एवं किए गए वास्तविक व्यय का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.9: एससीएसपी योजना के तहत निधियों का आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आवंटित बजट (आरई)	एससीएसपी योजना हेतु आवंटित बजट		एससीएसपी योजना के लिए निधि निर्धारित की जानी चाहिए (4.5%/ 8.3%)	वास्तव में मंत्रालय से प्राप्त निधियां	एससी चाय के छोटे उत्पादकों को वास्तविक संवितरण	कुल आवंटित बजट पर वास्तविक संवितरण का प्रतिशत
		राशि	% में				
2016-17	152.15	3.00	1.97	6.85	3.00	1.32	0.87
2017-18	190.60	8.50	4.46	15.82	2.74	2.64	1.39

वर्ष	कुल आवंटित बजट (आरई)	एससीएसपी योजना हेतु आवंटित बजट		एससीएसपी योजना के लिए निधि निर्धारित की जानी चाहिए (4.5%/ 8.3%)	वास्तव में मंत्रालय से प्राप्त निधियां	एससी चाय के छोटे उत्पादकों को वास्तविक संवितरण	कुल आवंटित बजट पर वास्तविक संवितरण का प्रतिशत
		राशि	% में				
2018-19	160.20	9.19	5.74	13.30	9.19	9.19	5.74
2019-20	197.64	5.42	2.74	16.40	5.42	5.42	2.74
2020-21	175.00	2.71	1.55	14.53	2.71	2.73	1.56
कुल	875.59	28.82	3.29	66.90	23.06	21.30	2.43

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- पिछले पांच वर्षों में, टी बोर्ड ने योजना आयोग/नीति आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹66.90 करोड़ के अनिवार्य आवंटन के बजाय केवल ₹28.82 करोड़ आवंटित किए।

प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में एससी चाय के छोटे उत्पादक (एसटीजी)			
राज्य	एसटीजी की संख्या	एससी एसटीजी की संख्या	एससी एसटीजी (% में)
असम	1,01,085	8,522	8.43
पश्चिम बंगाल	37,365	15,594	41.73
तमिलनाडु	45,765	3,955	8.64
कुल	1,84,215	28,071	15.24

- अनुसूचित जाति के चाय के छोटे उत्पादकों को निधियों का वास्तविक संवितरण केवल ₹21.30 करोड़ था जो कुल आवंटित बजट का 2.43 प्रतिशत था।
- 2016-17 के दौरान निधियों का संवितरण 4.5 प्रतिशत के अनिवार्य आवंटन के मुकाबले 0.87 प्रतिशत था। 2017-18 से 2019-20 के दौरान, निधियों का वितरण 8.3 प्रतिशत के अनिवार्य आवंटन के मुकाबले 1.39 प्रतिशत से 5.74 प्रतिशत के बीच था।
- कम आवंटित बजट के बावजूद, 2016-17 के दौरान, उपयोग न होने के कारण भारत सरकार को ₹1.74 करोड़ की राशि वापिस कर दी गई थी।

इस प्रकार, आवंटित बजट में कमी के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त निधियों का उपयोग करने में टी बोर्ड की अक्षमता ने अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के बीच एससीएसपी योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले 5 वर्षों में 7087 चाय के छोटे उत्पादकों को अनुदान जारी किए, जो एससी समुदाय से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, आज तक एससीएसपी योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। इस प्रकार, लक्ष्य का निर्धारण न होने तथा निधियों के निर्धारित प्रतिशत से कम प्रतिशत के संवितरण के कारण, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित उत्पादकों को योजना के अंतर्गत इच्छित लाभ नहीं मिल सका।

भविष्य में अनुपालना हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने (जून 2022) कहा कि एससी समुदाय से संबंधित लक्षित लाभार्थी सीमित थे एवं अधिकांश लक्षित लाभार्थियों को पहले से ही विभिन्न योजना घटकों के तहत कवर किया गया था। अनुसूचित जाति के उत्पादकों को सहायता प्रतिबंधित कर दी गई थी क्योंकि योजना के लाभों को दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित चाय के छोटे उत्पादकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अग्रिम वित्तीय सहायता आदि के बिना अग्रिम रूप से गतिविधि करने के लिए अनुकूल नहीं थी।

भविष्य में अनुपालना हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन (अक्टूबर 2022) किया एवं यह भी कहा कि सहायता पुनः समाप्त³¹ कर दी गई थी।

हालांकि, तथ्य यह है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में एससी समुदाय से संबंधित 29,332 चाय के छोटे उत्पादकों में से केवल 7,087 उत्पादकों को लाभ हुआ। यद्यपि वित्तीय सहायता पुनः समाप्त कर दी गई, लेकिन निधियों हेतु आवंटित बजट, योजना आयोग/नीति आयोग के दिशानिर्देशों में निर्धारित अनिवार्य आवंटन से कम था। प्रबंधन/मंत्रालय ने अपने तर्क के समर्थन में कोई आंकड़ा/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए।

4.7.1 एससीएसपी योजना के अंतर्गत अनुदानों के भुगतान में अपर्याप्त निगरानी

एससीएसपी योजना के तहत अनुदानों के वितरण के लिए नियम और शर्तें निम्नानुसार थीं:

³¹ प्रतिपूर्ति के आधार पर

एससीएसपी योजना की नियम और शर्तें

- समय पर पूर्व-अनुमोदन निरीक्षण करने के लिए, आवेदकों को किसी भी क्षेत्रीय गतिविधि शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले, टी बोर्ड के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में अपना आवेदन जो हर तरह से पूर्ण हो, जमा करना था। क्षेत्रीय कार्य शुरू होने या योग्य वस्तुओं की खरीद के बाद जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना था तथा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाना था।
- पूर्व-गतिविधि पावती रसीद प्राप्त करने के बाद ही आवेदकों द्वारा क्षेत्रीय संचालन शुरू किया जाना था। हालांकि, आवेदक आवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिनों के बाद क्षेत्रीय गतिविधियां शुरू कर सकता है या वस्तुओं की खरीद कर सकता है, अगर पूर्व-अनुमोदन निरीक्षण एवं या पूर्व गतिविधि पावती रसीद जारी करने में टी बोर्ड के संबंधित कार्यालय द्वारा उनके नियंत्रण से परे कारणों से देरी की गई हो।
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण के बिना किसी भी ओवरराइटिंग एवं/या आवेदन/संबंधित संलग्न दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले में, आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाना था।
- व्यक्तिगत चाय के छोटे उत्पादक भी स्वयं सहायता समूहों के लिए लागू सहायता के पात्र थे। तथापि, बेहतर तालमेल के लिए स्वयं सहायता समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता दी जानी थी।
- खरीद के बाद निरीक्षण भी किया जाना था।

क्षेत्रीय मशीनीकरण घटक के अंतर्गत, आवेदक को पूर्व-गतिविधि पावती रसीद (पीएएआर) जारी करने के लिए कोटेशन एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अनुदानों के लिए टी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन जमा करना था। पीएएआर प्राप्त करने के बाद, आवेदक पीएएआर में उल्लिखित पात्र वस्तुओं की खरीद एवं आवश्यक खरीद आदेश, बिल/चालान, डिलीवरी चालान, राशि प्राप्ति आदि के साथ संचालन के बाद निरीक्षण की व्यवस्था करने के लिए टी बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करेगा। आवेदक से सूचना मिलने के बाद, क्षेत्रीय कार्यालयों को खरीद के बाद निरीक्षण करना था। खरीद के बाद संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर टी बोर्ड आवेदक को स्वीकृति-पत्र जारी करेगा। तत्पश्चात अनुदान, पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में टी बोर्ड के ई-गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से सीधे वितरित की जानी है, जब लाभार्थियों ने सभी मानदंडों को पूरा कर लिया हो एवं इस तरह के फंड ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हों।

लेखापरीक्षा ने चयनित आरओ में एससीएसपी योजना के अंतर्गत अनुदानों के वितरण के मामलों की समीक्षा की। नीचे लिखित गंभीर विसंगतियां जेडओ, गुवाहाटी के अंतर्गत गोलाघाट आरओ में देखी गईं:

- (i) 2018-19 में, केवल दो आपूर्तिकर्ता श्री जगन्नाथ एजेंसी एवं नंदीनी स्टोर ने 183 आवेदकों (श्री जगन्नाथ एजेंसी द्वारा 106 मामले एवं नंदीनी स्टोर द्वारा 77 मामले) को वस्तुओं की आपूर्ति की। दोनों आपूर्तिकर्ता टी बोर्ड के एक अधिकारी के रिश्तेदार पाए गए, जिन्होंने पीएएआर जारी किया एवं खरीद के बाद निरीक्षण भी किया था।
- (ii) श्री जगन्नाथ एजेंसी एवं नंदीनी स्टोर को क्रमशः 7 दिसंबर 2018 तथा 12 दिसंबर 2018 को जीएसटी प्राधिकरण से जीएसटी पंजीकरण संख्या मिली। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 163 मामलों (श्री जगन्नाथ एजेंसी के 87 मामले और नंदीनी स्टोर के 76 मामले) में आवेदकों ने उपरोक्त आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी पंजीकरण संख्या जारी करने की तिथि होने से पहले जीएसटी पंजीकरण संख्या के साथ आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन के साथ अपने आवेदन जमा किए थे।
- (iii) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों को किसी भी क्षेत्रीय गतिविधि शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले, टी बोर्ड के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में अपना आवेदन जो हर तरह से पूर्ण हो, जमा करना था। हालांकि, 21 मामलों में यह देखा गया कि, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में आवेदन की तिथि के बाद कोटेशन तिथि थी। इसके अलावा, 10 मामलों में, चालान की तारीखें कोटेशन तिथियों से पहले की थीं।
- (iv) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण के बिना किसी भी ओवरराइटिंग एवं/ या आवेदन / संबंधित संलग्न दस्तावेजों के छेड़छाड़ के मामले में, आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाना था। तथापि, यह देखा गया कि 10 आवेदनों के मामले में, प्रमाणीकरण के बिना ओवरराइटिंग को टी बोर्ड द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया।
- (v) योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीद के बाद संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर टी बोर्ड को आवेदक को अनुदानों जारी करनी थी। यद्यपि विकास अधिकारी ने खरीद के बाद निरीक्षण किया, लेकिन 13 मामलों में आवेदकों द्वारा कोई वस्तु नहीं खरीदी गई। इसके अलावा, 66 मामलों में, आवेदकों द्वारा केवल कुछ वस्तुओं

की खरीद की गई थी। इसलिए, पात्र वस्तुओं की खरीद के सत्यापन के बिना अनुदानों जारी करना योजना दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन दर्शाता है। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि टी बोर्ड ने 13 मामलों के लिए वसूली प्रक्रिया शुरू की, लेकिन सितंबर 2022 तक कोई राशि वसूल नहीं की गई।

- (vi) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपयुक्त अनुदानों, टी बोर्ड के ई-गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे वितरित की जानी थी, जब लाभार्थियों ने इस तरह के निधि हस्तांतरण के लिए सभी दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में अनुदानों जारी करने के बाद छह मामलों में, वही राशि लाभार्थी के बैंक खाते से विकास अधिकारी रिश्तेदार के खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।

इस प्रकार आरओ गोलाघाट/जेडओ गुवाहाटी द्वारा दस्तावेजों के उचित निरीक्षण/सत्यापन के बिना अनुदानों का वितरण गंभीर प्रणालीगत चूकों को इंगित करता है एवं इसके परिणामस्वरूप एससीएसपी योजना के अंतर्गत अनुदानों का अपात्र भुगतान होता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए एवं भविष्य में अनुपालना हेतु इसे ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने (जून 2022) कहा कि एससीएसपी के तहत क्षेत्रीय मशीनीकरण के लिए मशीनरी की आपूर्ति करने तथा जीएसटी संख्या को सत्यापित करने के लिए टी बोर्ड के साथ आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने का कोई प्रावधान नहीं था। अनुसूचित जाति के अधिकांश चाय के छोटे उत्पादक दस्तावेजों का पालन करने में सक्षम नहीं थे। अनुदानों आदि की वसूली के लिए दोषी आवेदकों को नोटिस जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (अक्टूबर 2022) कहा कि गोलाघाट जिले से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर टी बोर्ड द्वारा एक जांच करने का प्रस्ताव दिया गया था।

4.8 जनजातीय क्षेत्र की उप-योजनाएँ

टी बोर्ड ने देश भर में चाय के छोटे उत्पादकों तथा चाय बागान श्रमिकों के बीच अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लाभ के लिए मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार (2018-19 से) जनजातीय क्षेत्र उप-योजनाएँ (टीएसपी) लागू की। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति समुदाय के लाभार्थियों को सभी अनुमोदित स्कीम घटकों के लिए वित्तीय सहायता

के लिए पात्र हैं जिनमें मोटे तौर पर वृक्षारोपण विकास, गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण, एचआरडी एवं बाजार संवर्धन शामिल हैं।

टीबोर्ड द्वारा एम ओ सी एंड आई को दिए गए विवरण (अप्रैल 2020) के अनुसार, भारत में 2,10,225 चाय के छोटे उत्पादकों में से 29,702 (14 प्रतिशत) चाय के छोटे उत्पादक एसटी समुदाय के थे।

यद्यपि सरकार द्वारा टीएसपी योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के दौरान शुरू की गई थी और योजना आयोग द्वारा 2006 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे, टी बोर्ड ने संशोधित दिशानिर्देश जारी होने से 12 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद 2018-19 से इसे लागू किया। इस प्रकार, योजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण अनुसूचित जनजाति के चाय के छोटे उत्पादकों एवं चाय बागान श्रमिकों को लाभ देने में विलंब हुआ।

नीति आयोग के दिशानिर्देशों (नवंबर 2017) के अनुसार, कुल आवंटित बजट का कम से कम 4.3 प्रतिशत टीएसपी योजना के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए था। कुल आवंटित बजट, टीएसपी योजना के लिए आवंटन, प्राप्त निधियों एवं टीएसपी योजना के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.10: टीएसपी योजना के तहत निधियों का आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आवंटित बजट (आरई)	टीएसपी योजना के लिए आवंटित बजट		टीएसपी योजना के लिए निधियां निर्धारित की जानी चाहिए थीं। (4.3%)	मंत्रालय से वास्तव में प्राप्त निधियां	एससी चाय के छोटे उत्पादकों को वास्तविक संवितरण
		कुल धनराशि	में %			
2018-19	160.20	6.23	3.89	6.89	6.24	6.23
2019-20	197.64	6.23	3.15	8.50	6.24	6.23
2020-21	175.00	1.56	0.89	7.53	1.56	1.59
कुल	532.84	14.02	2.63	22.92	14.04	14.05

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि टी बोर्ड ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान टीएसपी योजना के तहत निधियों का आवश्यक प्रतिशत आवंटित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों में, टी बोर्ड ने नीति आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹22.92 करोड़ के अनिवार्य आवंटन के मुकाबले केवल ₹14.02 करोड़ आवंटित किए। इस प्रकार, टी बोर्ड

द्वारा आबंटित बजट में कमी के कारण अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को टीएसपी योजना के लाभों से वंचित होना पड़ा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले 3 वर्षों में केवल 3,740 चाय के छोटे उत्पादकों को अनुदान जारी किए, जो एसटी समुदाय से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, आज तक टीएसपी स्कीम के अंतर्गत अनुदानों के संवितरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं

प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में एससी चाय के छोटे उत्पादक (एसटीजी)			
राज्य	एसटीजी की संख्या	एसटी एसटीजी की संख्या	एसटी एसटीजी (% में)
असम	1,01,085	18,953	18.75
पश्चिम बंगाल	37,365	866	2.32
तमिलनाडु	45,765	1,583	3.46
कुल	1,84,215	21,402	11.62

किया गया था। इस प्रकार, लक्ष्य का निर्धारण न होने एवं निधि के कम प्रतिशत के संवितरण के कारण, अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्पादकों को योजना के अंतर्गत इच्छित लाभ नहीं मिल सका।

भविष्य में अनुपालना हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि एसटी समुदाय से संबंधित लक्षित लाभार्थी सीमित थे एवं उत्पादकों को सहायता प्रतिबंधित थी क्योंकि योजना के लाभों को दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित चाय के छोटे उत्पादकों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां अग्रिम वित्तीय सहायता आदि के बिना अग्रिम रूप से गतिविधि करने के लिए अनुकूल नहीं थीं।

भविष्य में अनुपालना हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने (अक्टूबर 2022) कहा कि एसटी समुदाय से संबंधित लक्षित लाभार्थी सीमित थे और अधिकांश लक्षित लाभार्थियों को पहले ही विभिन्न योजना घटकों के तहत कवर किया जा चुका था। एसटी उत्पादकों को सहायता प्रतिबंधित कर दी गई थी क्योंकि योजना के लाभों को दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं थी और सहायता पुनः समाप्त³² कर दी गई थी।

हलांकि, तथ्य यह है कि एसटी समुदाय के 29,702 चाय के छोटे उत्पादकों में से, 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले 3 वर्षों में केवल 3,740 उत्पादक लाभान्वित हुए। इसके अलावा यदपि वित्तीय सहायता पुनः समाप्त कर दी गई लेकिन निधियों हेतु आबंटित बजट,

³² प्रतिपूर्ति के आधार पर

योजना आयोग/नीति आयोग के दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित अनिवार्य आबंटन से कम था। प्रबंधन/मंत्रालय ने अपने तर्क के समर्थन में कोई डेटा/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

4.8.1 जनजातीय क्षेत्र उपयोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी एवं अनुदानों के भुगतान में अनियमितताएं

टीएसपी योजना के तहत अनुदानों के वितरण के लिए नियम और शर्तें निम्नानुसार थीं:

टीएसपी योजना के नियम और शर्तें

- समय पर पूर्व-अनुमोदन निरीक्षण करने के लिए, आवेदक किसी भी क्षेत्र गतिविधि के शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले, टी बोर्ड के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में अपना आवेदन जमा करेंगे, जो हर तरह से पूर्ण होगा। क्षेत्रीय कार्य शुरू होने या पात्र वस्तुओं की खरीद के बाद जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- पूर्व-गतिविधि पावती प्राप्त होने के बाद ही आवेदकों द्वारा क्षेत्रीय संचालन शुरू किया जाएगा। हालांकि आवेदक आवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिनों के बाद क्षेत्रीय गतिविधियां शुरू कर सकता है या वस्तुओं की खरीद कर सकता है, अगर पूर्व-अनुमोदन निरीक्षण एवं या पूर्व गतिविधि पावती रसीद जारी करने में टी बोर्ड के संबंधित कार्यालय द्वारा उनके नियंत्रण से परे कारणों से देरी की गई हो।
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण के बिना किसी भी ओवरराइटिंग एवं/ या आवेदन / संबंधित संलग्न दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले में, आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- व्यक्तिगत चाय के छोटे उत्पादक भी स्वयं सहायता समूहों के लिए लागू सहायता के पात्र होंगे। तथापि, बेहतर तालमेल के लिए स्वयं सहायता समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- खरीद के बाद निरीक्षण भी किया जाना था।

क्षेत्रीय मशीनीकरण घटक के अंतर्गत, आवेदक को पूर्व गतिविधि पावती रसीद (पीएएआर) जारी करने के लिए कोटेशन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अनुदानों के लिए आवेदन टी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना था। पीएएआर प्राप्त करने के बाद, आवेदक पीएएआर में उल्लिखित पात्र वस्तुओं की खरीद एवं आवश्यक खरीद आदेश, बिल/चालान, डिलीवरी चालान, राशि प्राप्ति आदि के साथ संचालन के बाद निरीक्षण की

व्यवस्था करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित कर सकता है। आवेदक से सूचना मिलने के बाद, क्षेत्रीय कार्यालयों को खरीद के बाद निरीक्षण करना चाहिए। खरीद के बाद संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर टी बोर्ड आवेदक को स्वीकृति-पत्र जारी करेगा। तत्पश्चात अनुदान, पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में टी बोर्ड के ई-गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से सीधे वितरित की जाएगी, जब लाभार्थियों ने सभी मानदंडों को पूरा कर लिया हो एवं इस तरह के फंड ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हों।

लेखापरीक्षा ने चयनित आरओ में टीएसपी योजना के अंतर्गत के वितरण के मामलों की समीक्षा की। हालांकि नीचे लिखित गंभीर विसंगतियां जेडओ, गुवाहाटी के अंतर्गत गोलाघाट आरओ में देखी गईं:

- (i) 183 मामलों में, पात्र वस्तुओं की आपूर्ति पांच आपूर्तिकर्ताओं अर्थात् मैसर्स प्रेमोदर दत्ता, नंदीनी एंटरप्राइजेज, नंदीनी स्टोर, न्यू असम एजेंसी एवं श्री जगन्नाथ एजेंसी द्वारा की गई थी। अभिलेखों से पता चला है कि सभी आपूर्तिकर्ता टी बोर्ड के अधिकारी के रिश्तेदार/मित्र थे, जिन्होंने पीएएआर जारी किया था एवं खरीद के बाद निरीक्षण भी किया था। आपूर्तिकर्ताओं की दुकानों के भौतिक निरीक्षण³³ के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्री जगन्नाथ एजेंसी को छोड़कर, कोटेशन में उल्लिखित पते पर कोई अन्य आपूर्तिकर्ता मौजूद नहीं था।
- (ii) 183 मामलों में से, 127, 10 और तीन मामलों में पात्र मर्च की आपूर्ति क्रमशः मैसर्स प्रेमोदर दत्ता, न्यू असम एजेंसी और नंदीनी एंटरप्राइजेज द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा जीएसटी पोर्टल से जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापन से पता चला कि उपर्युक्त आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के लिए पंजीकृत थे। इसलिए, लाभार्थियों द्वारा उन आपूर्तिकर्ताओं से बिल प्रस्तुत किए गए हैं जो चाय उद्योग हेतु क्षेत्रीय मशीनीकरण उत्पाद की आपूर्ति के व्यवसाय में बिल्कुल नहीं थे।
- (iii) नंदीनी स्टोर को 12 दिसंबर 2018 को जीएसटी प्राधिकरण से जीएसटी पंजीकरण संख्या मिली। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 मामलों में आवेदकों ने उपर्युक्त आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी पंजीकरण संख्या जारी करने की तिथियों से

³³ लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2022 में परिसर का निरीक्षण किया

पहले जीएसटी पंजीकरण संख्या के साथ आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन सहित आवेदन प्रस्तुत किए थे।

- (iv) तीन मामलों में, नंदीनी एंटरप्राइजेज ने पात्र वस्तुओं की आपूर्ति की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी तीन मामलों में, चालान में उल्लिखित जीएसटी संख्या कोटेशन से अलग थी। हालांकि, बिलों के उचित सत्यापन के बिना अनुदानों का वितरण किया गया, इस प्रकार बिलों/चालानों की सत्यता पर संदेह पैदा हुआ।
- (v) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों को किसी भी क्षेत्र गतिविधि के शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले टी बोर्ड के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन जमा करना था। हालांकि, यह देखा गया कि दो मामलों में, आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जहां आवेदन की तिथि के बाद कोटेशन तिथि थी।
- (vi) प्रमाणीकरण के बिना किसी भी ओवरराइटिंग और/या आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के मामले में, आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाना था। हालांकि, यह देखा गया कि प्रमाणीकरण के बिना ओवरराइटिंग वाले 23 आवेदनों को अस्वीकार नहीं किया गया था।
- (vii) विकास अधिकारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि प्रत्येक चाय के छोटे उत्पादक दूसरे चाय के छोटे उत्पादक से बहुत दूर थे। हालांकि, यह देखा गया कि एक ही दिन (05 दिसंबर 2018) में, 183 मामलों में से, विकास अधिकारी ने खरीद के बाद 101 निरीक्षण किए, जो अवास्तविक प्रतीत होते हैं। अतः, विकास अधिकारी द्वारा भौतिक रूप से खरीद के बाद निरीक्षण किया जाना, जिसके आधार पर अनुदान जारी किया गया था।
- (viii) विकास अधिकारी के दूर कार्यक्रम के अनुसार, उन्होंने 22 नवंबर 2018 को किसान उत्पादक संगठन की बैठक में भाग लिया तथा 8 दिसंबर 2018 एवं 19 दिसंबर 2018 को चाय के छोटे उत्पादकों को प्रशिक्षण दिया। हालांकि, अनुदानों फाइलों की जांच से पता चला कि उपर्युक्त तिथियों में, उन्होंने खरीद के बाद 27 निरीक्षण किए जो विरोधाभासी थे।

इस प्रकार, अनुदानों आवेदनों की जांच में कमी के परिणामस्वरूप 2018-19 से 2020-21 के दौरान टीएसपी योजना के तहत 183 मामलों में अनुदानों का अयोग्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए (जून 2022) कहा कि टीएसपी के अंतर्गत क्षेत्रीय मशीनीकरण के लिए मशीनों की आपूर्ति तथा जीएसटी संख्या को सत्यापित करने हेतु टी बोर्ड के साथ आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने का कोई प्रावधान नहीं था। अधिकांश एसटी चाय के छोटे उत्पादक प्रलेखन का पालन करने में सक्षम नहीं थे। लक्षित/अल्प समय सीमा आदि के भीतर अनुदानों के संवितरण में तेजी लाने के लिए सामूहिक निरीक्षण किए गए थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि गोलाघाट जिले से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर टी बोर्ड द्वारा जांच करने का प्रस्ताव किया गया था।

सिफारिश संख्या 13: टी बोर्ड को अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए निर्धारित बजटीय आवंटन निर्धारित करना चाहिए। बोर्ड अपात्र सब्सिडी भुगतान के मामलों की जांच करने के लिए भी कदम उठाए क्योंकि ये भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी का संकेत देते हैं और तदनुसार, जिम्मेदारी तय की जाए, और उचित कार्रवाई भी की जाए।

4.9 चाय के उत्पादन की लागत

भारतीय चाय उद्योग की एक प्रमुख बाधा यह है कि चाय की बिक्री की लागत नीलामी मूल्य की प्राप्ति से अधिक है। विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में भारत की "उत्पादन की उच्चतम लागत" है। उत्पादन लागत चाय बागान की उत्पादकता से जुड़ी हुई है। अनुत्पादक पुरानी चाय की झाड़ियाँ कम उत्पादकता के प्रमुख कारणों में से एक हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की उच्च लागत होती है।

चाय के उत्पादन की लागत को निम्नलिखित घटकों में विभाजित किया जा सकता है:

- i. हरी पत्ती की लागत,
- ii. हरी पत्ती को निर्मित चाय में बदलने की लागत।

हरी पत्ती की लागत में चाय की खेती से संबंधित सामग्री, मजदूरी और अन्य लागत सम्मिलित है। हरी पत्ती को निर्मित चाय में बदलने की लागत में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- क. प्रसंस्करण लागत - इसमें बिजली और ईंधन, मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, मशीनरी का मूल्यहास, पैकिंग सामग्री, कारखाना मजदूरी आदि सम्मिलित हैं।
- ख. कल्याण लागत - इसमें श्रमिकों को प्रदान किए गए आवास, चिकित्सा, स्वच्छता, राशन, जलाऊ लकड़ी आदि सम्मिलित हैं।
- ग. अन्य लागत - इसमें लीज रेंट, दर, यात्रा व्यय, चाय उपकर, हरी पत्ती उपकर, बिजली, जल कर, लाइसेंस और बिक्री व वितरण व्यय और मुख्यालय व्यय सम्मिलित हैं।

उत्पादन की लागत विभिन्न संसाधनों जैसे भूमि, पौधे, श्रम, मशीनरी और खेती और उत्पादन प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के उत्पादकता कारकों से जुड़ी हुई है। उत्पादन लागत को कम करने हेतु उचित योजना बनाने के लिए, उत्पादन के विभिन्न लागत घटकों और उसके विश्लेषण के बारे में डेटा / जानकारी एकत्र करना आवश्यक है।

4.9.1 टी बोर्ड द्वारा लागत डेटा का संग्रह न करना

भारतीय चाय क्षेत्र को उत्पादन लागत को कम करने और कम लागत वाले चाय उत्पादक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के पण धारक उत्पादन लागत और इसके घटकों में सापेक्ष वृद्धि के बारे में चिंतित हैं। तदनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय ने मैसर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट (आईआईपीएम), बेंगलुरु को चाय के उत्पादन की लागत पर एक अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया है।

आईआईपीएम ने अपनी रिपोर्ट (मार्च 2018) में चाय उत्पादक कंपनियों के लिए हरी पत्तियों और निर्मित चाय की उत्पादन लागत के लेखापरीक्षित आंकड़ों को प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की, जो भविष्य में उत्पादन लागत पर वित्तीय प्रोत्साहन/सब्सिडी आदि के लिए निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड ने चाय उत्पादक कंपनियों के लिए हरी पत्तियों और निर्मित चाय के उत्पादन की लागत के लेखापरीक्षित आंकड़े प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं किया है। डेटा से उत्पादन की लागत को नियंत्रित करने के लिए विश्लेषण और रणनीति तैयार करने में सहायता होती है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि टी बोर्ड ने वर्तमान में हरी पत्ती के साथ-साथ चाय की उत्पादन लागत पर अध्ययन करने की प्रक्रिया शुरू की है।

4.9.2 प्रशिक्षण और श्रम कल्याण गतिविधि करके श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार लाने की दिशा में टी बोर्ड की अपर्याप्त पहल

पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान (“भारत में चाय विकास में टी बोर्ड की भूमिका” पर 2011-12 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 10), लेखापरीक्षा द्वारा यह बताया गया था कि टी बोर्ड ने मध्यम अवधि निर्यात रणनीति (जनवरी 2002) की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें श्रम, ओवरहेड्स, फील्ड इनपुट और बुनियादी अवसरचना की लागत में कमी के माध्यम से उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए टी बोर्ड द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को निर्दिष्ट किया गया है।

उत्तर में, टी बोर्ड ने (सितम्बर, 2008) कहा कि चूंकि चाय उत्पादक देशों में भारत की उत्पादन लागत सर्वाधिक है, इसलिए लागत को कम करना महत्वपूर्ण है। श्रम से संबंधित लागत का घटक चाय के उत्पादन की कुल लागत का लगभग 50 प्रतिशत है। चूंकि, इन लागतों को बागान श्रम अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया था, इसलिए चाय के उत्पादन की लागत में समग्र कमी के लिए श्रम की उत्पादकता में सुधार सबसे आवश्यक क्षेत्र था।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2008 से आज तक (मई, 2022) तक, टी बोर्ड ने चाय बागान श्रमिकों को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान करके श्रम की उत्पादकता में सुधार करने के लिए पहल नहीं की।

लेखापरीक्षा ने मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना के माध्यम से उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और कल्याण गतिविधि करके श्रम लागत को कम करने में टी बोर्ड की भूमिका की भी जांच की। तथापि, अकुशल चाय बागान कामगारों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करके उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कोई समर्पित योजना नहीं बनाई गई थी।

यहां तक कि छोटे चाय उत्पादकों के लिए भी, जो कुल चाय उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहे थे और बड़े उत्पादकों की तुलना में अधिक हैंड होल्डिंग

की आवश्यकता थी, लेखापरीक्षा द्वारा बागान विकास योजना के अंतर्गत कौशल संवर्धन के लिए कोई समर्पित उद्देश्य नहीं देखा गया था।

इसके उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए, टी बोर्ड ने राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) के माध्यम से पीएमकेवीवाई-आरपीएल³⁴ के अंतर्गत चाय बागान श्रमिकों को प्रशिक्षण और कौशल मान्यता प्रदान करने की पहल की थी और बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय तकनीकी ज्ञान और उच्च कृषि पद्धतियों में अंतर को काम करने के लिए छोटे उत्पादकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं करने में लगे हुए थे।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया (अक्टूबर 2022)।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आज तक केवल 4,719 कामगारों (कुल कामगारों का 0.40 प्रतिशत) को पीएमकेवीवाई-आरपीएल के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया था, जिससे 99.60 प्रतिशत कामगार अप्रशिक्षित रह गए हैं। इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड ने बागान कामगारों के कौशल में सुधार लाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं प्रारंभ नहीं की हैं।

4.10 उत्पादन लागत में कमी के लिए भारत में मशीनीकरण

भारत में, हरी चाय पत्ती के उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे जुताई, भूमि समतलीकरण, कीटनाशकों का छिड़काव, चाय पत्ती की तुड़ाई, छंटाई आदि में मशीनीकरण न केवल हरी चाय पत्ती के उत्पादन की लागत को कम कर सकता है, बल्कि खेती के व्यस्त मौसम के दौरान श्रम शक्ति की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले संकट को भी कम किया जा सकता है।

हरी चाय पत्ती को निर्मित चाय का उत्पादन करने के लिए विभिन्न उपकरणों के माध्यम से संसाधित किया जाता है और इस प्रकार चाय के प्रसंस्करण के लिए लागत में मशीनरी स्थापना लागत, बिजली और ईंधन लागत, मरम्मत और रखरखाव लागत, मूल्यहास, कारखाने के श्रमिकों की मजदूरी आदि सम्मिलित हैं।

³⁴ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना- पूर्व शिक्षा की पहचान करना

XII योजना और मध्यम अवधि की रूपरेखा के तौर तरीकों के अनुसार, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए और साथ ही चाय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, टी बोर्ड द्वारा बागान विकास योजनाएं (पीडीएस) और गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना (क्यूयूपीडीएस) जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की गई थीं। पुनर्रोपण, प्रतिस्थापन वृक्षारोपण, सिंचाई, मशीनीकरण आदि को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उप-घटकों में सब्सिडी वितरित की गई।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, भारत में फील्ड मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए केवल एक मामूली राशि वितरित की गई थी जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका 4.11: 2016-17 से 2020-21 के दौरान फील्ड मशीनीकरण के लिए निधि वितरण

वर्ष	बड़े उत्पादक			छोटे उत्पादक			कुल संवितरण (₹ लाख में)
	बड़े उत्पादकों की कुल संख्या	फील्ड मशीनीकरण में लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि (₹ लाख में)	छोटे उत्पादकों की कुल संख्या	फील्ड मशीनीकरण में लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि (₹ लाख में)	
2016-17	1,472	38	67.24	1,80,448	6	9.56	76.80
2017-18	1,585	57	49.99	1,89,530	569	80.26	130.25
2018-19	1,569	16	34.23	2,10,225	3374	521.44	555.67
2019-20	1,569	23	40.35	2,10,225	200	71.39	111.74
2020-21	1,569	22	72.37	2,10,225	126	67.33	139.70
कुल	-		264.18			749.98	1,014.16

(स्रोत - टी बोर्ड भारत द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, बड़े उत्पादकों को ₹2.64 करोड़ और छोटे चाय उत्पादकों को ₹7.50 करोड़ वितरित किए गए। इस प्रकार, पांच वर्षों में, उत्पादकों को वितरित कुल सब्सिडी में से ₹410.76 करोड़ में से केवल ₹10.14 करोड़ (2.47 प्रतिशत) क्षेत्र मशीनीकरण के लिए उत्पादकों को वितरित किए गए थे। इस प्रकार, उत्पादन लागत में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते फील्ड मशीनीकरण की दिशा में टी बोर्ड का समर्थन अपर्याप्त प्रतीत होता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि बड़ी संख्या में बागान श्रमिकों के अन्य नौकरियों में पलायन करने के कारण, बागानों में उत्पादकता बनाए रखने और श्रमिकों की कमी का मुकाबला करने के लिए मशीनीकरण आवश्यक हो गया। चाय उद्योग द्वारा धीरे-धीरे मशीनीकरण को अपनाया जा रहा था क्योंकि उद्योग अभी भी श्रम प्रधान था। बोर्ड ने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर बड़े और छोटे दोनों उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

मंत्रालय ने (अक्टूबर 2022) कहा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट किया गया।

तथापि, तथ्य यह है कि उत्पादन लागत अभी भी अधिक है और टी बोर्ड ने श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए पर्याप्त पहल नहीं की है।

4.11 अभिरुचि के अन्य बिंदु

4.11.1 लघु उत्पादक विकास निदेशालय की अकर्मण्यता

छोटे चाय उत्पादकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे, हरी पत्तियों का विपणन, चाय संस्कृति और पद्धतियों में प्रशिक्षण की कमी, वित्त, जलवायु परिवर्तन जैसी प्राकृतिक आपदाएं, खराब अवसंरचनात्मक सुविधाएं आदि, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

- छोटे चाय उत्पादक अपनी हरी पत्तियों को या तो सीधे पास के बड़े बागानों / खरीदे गए पत्ती कारखानों या बिचौलियों / हरी पत्ती विक्रेताओं के माध्यम से बेचते हैं, जो उन्हें कारखानों या बड़े बागानों को उनके द्वारा खरीदी गई दर से अधिक दर पर बेचते हैं। इस प्रकार, छोटे चाय उत्पादकों को हरी पत्तियों के लिए अलाभकारी मूल्य प्राप्त होता है।
- चाय की गुणवत्ता मुख्य रूप से तुड़ाई चक्र और तुड़ाई मानकों पर निर्भर करती है। अच्छी कृषि पद्धतियों, अनुभव और प्रशिक्षण की कमी के कारण, कई छोटे चाय उत्पादक उचित तुड़ाई चक्र और तुड़ाई मानकों को बनाए रखने में विफल रहते हैं। इस प्रकार, निर्मित चाय की गुणवत्ता से प्रभावित होती है।
- छोटे चाय उत्पादक चाय सुधार और पद्धतियों में प्रशिक्षण की कमी के कारण अवांछनीय उर्वरकों, कीटनाशकों, कीटनाशकों, जड़ी-बूटियों आदि का उपयोग करते हैं

और किसी भी प्राधिकरण द्वारा निगरानी रहित रहते हैं। इससे कारण प्रभावित गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन होता है।

- चाय की खेती के लिए लंबी अवधि के कारण दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता होती है। इसलिए, निवेश और नकदी प्रवाह की शुरुआत के बीच बड़े अंतराल के कारण अन्य फसलों की तुलना में चाय उगाने के लिए आवश्यक धन काफी अधिक है। तथापि, चाय उद्योग में किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

छोटे चाय उत्पादक क्षेत्र के बढ़ते योगदान को ध्यान में रखते हुए और छोटे चाय उत्पादकों के समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने के लिए, टी बोर्ड द्वारा एक अलग लघु उत्पादक विकास निदेशालय (एसजीडीडी) (अप्रैल, 2013) की स्थापना की गई थी। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 71 उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए, जहां छोटे उत्पादकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने से जहां छोटे चाय उत्पादकों की बहुलता है, उत्पादकों के दरवाजे तक पहुंचने में मदद मिली और चाय की खेती के लिए सहायता प्रदान करने के लिए छोटे चाय उत्पादकों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा गया। एसजीडीडी निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्य कर रहा था:

- देश के प्रत्येक छोटे चाय उत्पादक को स्मार्ट कार्ड जारी करना और उनकी गणना करना।
- क्षेत्र में अच्छी कृषि पद्धतियों और कारखानों में अच्छी विनिर्माण पद्धतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्तिकरण या क्षमता निर्माण ताकि गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन और उच्च लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके जिससे खेतों और कारखानों में नियोजित उत्पादकों और कामगारों की सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित की जा सके।
- उत्पादकों के बीच सामूहिक खेती को बढ़ावा देना और उनकी उपज के विपणन में उनकी सौदेबाजी क्षमता का निर्माण करना। समितियों और स्वयं सहायता समूहों³⁵ के गठन पर मुख्य जोर दिया गया।

³⁵ स्वयं सहायता समूह

- छोटी जोतों और 'खरीदी गई पत्ती कारखानों'³⁶ का पंजीकरण।
- गुणवत्ता मानदंडों, न्यूनतम हरी पत्ती मूल्य और मूल्य साझाकरण सूत्र का कार्यान्वयन।
- चाय विपणन नियंत्रण आदेश (टीएमसीओ) और चाय अपशिष्ट नियंत्रण आदेश (टीडब्ल्यूसीओ) का कार्यान्वयन।
- लघु चाय क्षेत्र के लिए योजना स्कीमों के अंतर्गत स्कीमों का कार्यान्वयन।
- विपणन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में उभरना।
- छोटे चाय उत्पादकों से संबंधित मुद्दों के बारे में सरकारी नीति निर्माण को इनपुट प्रदान करना।

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने देखा (अगस्त, 2012) कि अधिकांश छोटे चाय उत्पादक व्यवसाय में नए हैं और उनकी जोतों का आकार बहुत छोटा है, वे तकनीकी ज्ञान और ऋण समर्थन की कमी, खराब मूल्य प्राप्ति आदि से पीड़ित हैं, जिसके कारण, सिस्टम में पत्ती-एजेंटों का एक समूह उभरा है जो बिना किसी मूल्य को जोड़े हरे पत्ती की कीमतों में उच्च मार्जिन बना रहा है। इस संदर्भ में, समिति ने सिफारिश की (अगस्त, 2012) कि सरकार को चाय बाजार में उपलब्ध वास्तविक मूल्य प्राप्त करने में उत्पादकों को बाधित करने वाले बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उनका विचार था कि सरकार को छोटे चाय उत्पादकों के लिए विपणन सहायता और सुरक्षा प्रदान करके एक अनन्य बाजार परिसंघ की स्थापना करने पर विचार करना चाहिए।

समिति का यह भी विचार था कि सरकार को इन उत्पादकों को आधुनिक कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें और सफलता की सीढ़ी चढ़ सकें। सलाहकार और विस्तार सेवाओं के लिए एक संस्थागत ढांचे की शुरुआत की तत्काल आवश्यकता थी।

³⁶ *खरीदी हुई पत्ती फैक्टरी का अर्थ है एक चाय कारखाना जो चाय के निर्माण के उद्देश्य से किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान अन्य चाय उत्पादकों से अपनी चाय पत्ती की आवश्यकता का कम से कम 51 प्रतिशत प्राप्त नहीं करता है।*

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (अगस्त, 2013) में मंत्रालय ने कहा कि छोटे उत्पादकों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड ने पर्याप्त जनशक्ति के साथ एक पृथक विकास निदेशालय की स्थापना के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि छोटे उत्पादकों के लिए बाजार सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाजार संघ की स्थापना नव निर्मित लघु उत्पादक विकास निदेशालय (एसजीडीडी) द्वारा की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 71 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में से, वर्तमान में केवल 12 उप-क्षेत्रीय कार्यालय परिचालन में हैं और एसजीडीडी जून 2019 से काम नहीं कर रहे थे। तदनुसार, छोटे चाय उत्पादकों को उनके तीव्र विकास के लिए टी बोर्ड से सहायता नहीं मिल रही है, जैसा कि वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा सिफारिश की गई है।

प्रबंधन ने जवाब में कहा (जून 2022) कि कार्यक्षमता में आसानी, काम के दोहराव से बचने और प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए, छोटे चाय उत्पादक विकास निदेशालय को क्षेत्रीय कार्यालय डिब्रूगढ़ के साथ विलय कर दिया गया था। छोटे चाय उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या को युक्तिसंगत बनाया गया है। निदेशालय के अधिदेश को उपसभापति, चाय विकास निदेशक, गुवाहाटी और कुन्नूर में कार्यकारी निदेशकों और उप निदेशक सिलीगुड़ी और प्रभारी पालमपुर की देखरेख में लागू किया जा रहा था। निदेशालय के सभी कार्यों को विनियामक कार्यकलापों सहित उक्त संरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था। प्रबंधन ने यह भी कहा कि छोटे चाय उत्पादकों द्वारा निर्मित चाय, मुख्य रूप से विशेष चाय के विपणन के लिए, उत्पादकों को व्यापार मेलों और अन्य मेगा कार्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई थी।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों को स्वीकार (अक्टूबर 2022) किया।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि उप-क्षेत्रीय कार्यालय चाय उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित थे। उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में कमी के कारण, छोटे चाय उत्पादकों की हरी पत्ती की गुणवत्ता और चाय कारखानों द्वारा छोटे चाय उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली हरी पत्ती की कीमतों पर टी बोर्ड की निगरानी कम प्रभावी हो गई। प्रबंधन/मंत्रालय चाय बाजार में उपलब्ध वास्तविक मूल्य को प्राप्त करने में उत्पादकों को बाधक बनाने वाले बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने पर मौन था।

4.11.2 बंद पड़े चाय बागान के पुनरुद्धार पर टी बोर्ड द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई

चाय अधिनियम का अध्याय III क कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा चाय उपक्रमों या चाय इकाइयों के प्रबंधन या नियंत्रण से संबंधित है। जब रुग्ण और गैर-आर्थिक चाय बागान बंद होते हैं तब प्राथमिक उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाई की समस्या होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2021 तक, उत्तर और दक्षिण भारत के 15 बड़े बागान बंद रहे, जिससे 12,039 स्थायी और 4,480 अस्थायी श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई। रुग्ण/बंद होने के सामान्य कारणों में खराब उद्यान प्रबंधन प्रथाओं, गिरती गुणवत्ता और मूल्य प्राप्तियों, श्रमिक अशांति, विकास परिप्रेक्ष्य की कमी, उच्च ऋण-उन्मुख वित्तपोषण रणनीति, स्वामित्व विवाद आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- चाय बागानों की भूमि उत्पादकों को पट्टे पर दी गई थी और स्वामित्व राज्य सरकार के पास था। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चाय अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। अधिनियम में बंद चाय बागानों के बकाया भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अवैतनिक मजदूरी की वसूली पर भी चुप्पी साध ली गई थी।
- यद्यपि धारा 16 (ई) के अनुसार टी बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार को कुछ परिस्थितियों में बिना जांच के चाय उपक्रमों या चाय इकाइयों को अपने नियंत्रण में लेने की शक्तियां प्रदत्त हैं, धारा 16 (डी) ने अधिकतम 11 वर्षों की अवधि के लिए अधिकृत व्यक्ति/नए उद्यमियों को केवल कार्यवाहक का दर्जा प्रदान किया है।
- संपत्ति पर मालिकाना हक के अभाव में नए उद्यमी बैंकों से धन जुटाने में सक्षम नहीं थे। अधिकांश बागानों को पुनरुद्धार के लिए पूंजी के बड़े निवेश की आवश्यकता थी, जो तभी संभव था यदि उद्यमियों को प्रबंधन का लंबा कार्यकाल दिया जाता।
- भारत सरकार ने टी बोर्ड द्वारा सात चाय बागानों को अपने कब्जे में लेने के लिए 28 जनवरी 2016 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। तथापि, चाय बागान मालिकों ने इसे अदालत के समक्ष चुनौती दी थी और अदालत के अंतरिम आदेश के अनुसार,

स्वामित्व बागान के मालिकों को सौंप दिया गया था। सात बागानों में से छह बागान परिचालन में हैं जबकि एक अभी भी बंद है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत प्रावधान अधिकृत व्यक्ति/नए उद्यमियों को कार्यवाहक का दर्जा प्रदान करता है क्योंकि बागान का स्वामित्व मूल मालिक के पास निहित है। बंद बागान की देनदारी के संबंध में स्पष्टता की कमी थी और नए मालिक द्वारा दीर्घकालिक और अल्पकालिक निवेश और योजना के संदर्भ में तनावग्रस्त बगीचे की स्थिति के लिए कोई मूल्य वर्धन नहीं था। चाय बागानों की भूमि राज्य सरकार की थी और बोर्ड को भविष्य निधि, उपदान आदि जैसी कामगारों की बकाया राशियों की वसूली को लागू करने का अधिकार भी नहीं था।

मंत्रालय ने (अक्टूबर 2022) कहा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है।

4.12 सार

लेखापरीक्षा ने टी बोर्ड में कई कमियां देखी जैसे कि योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पौधारोपण विकास स्कीम के विभिन्न घटकों/कार्यकलापों के अंतर्गत लाभार्थियों को सब्सिडी के वितरण के अतिरिक्त, चाय की झाड़ियों की आयु का वर्षवार डेटाबेस का रखरखाव न करना, पौधारोपण विकास स्कीम के अंतर्गत लक्षित कार्यकलापों की पूर्ति में कमी। छोटे चाय उत्पादकों को उनके विकास के लिए अपर्याप्त ध्यान और वित्तीय सहायता के मामले भी थे। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना और मानव संसाधन विकास स्कीमों के कार्यान्वयन और निगरानी में कई कमियां पाई गईं। लेखापरीक्षा में प्रशिक्षण और श्रम कल्याण कार्यकलापों के माध्यम से श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार लाने की दिशा में टी बोर्ड की अपर्याप्त पहल का पता चला। अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत सहायता के भुगतान पर अनुचित निगरानी भी देखी गई।

અધ્યાય-V

અનુસંધાન ગતિવિધિયાँ



अध्याय-V

अनुसंधान गतिविधियाँ

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) अपने समग्र सुधार के लिए किसी भी कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और चाय भी अपवाद नहीं है। भारत में चाय उद्योग के आरंभ के बाद से, चाय अनुसंधान ने बेहतर और बेहतर "चाय की कृषि³⁷", कृषि पद्धतियों, बेहतर मिट्टी और सिंचाई तंत्र, विनिर्माण प्रक्रिया के मानकीकरण, मशीनों और चाय उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली कई अलग-अलग तकनीकों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5.1 टी बोर्ड द्वारा अनुसंधान कार्यकलापों के लिए समर्थन

चाय अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अनुसार, टी बोर्ड भारतीय चाय उद्योग को अनुसंधान सहायता प्रदान कर रहा है। टी बोर्ड मुख्य रूप से निम्नलिखित चाय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) का समर्थन करता है:

- (i) दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र (डीटीआर एंड डीसी), कुर्सीयांग, पश्चिम बंगाल और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यूसीएल), सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।
- (ii) चाय अनुसंधान संघ (टीआरए), तोकलाई, जोरहाट, असम
- (iii) यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया - टी रिसर्च फाउंडेशन (यूपीएसआई-टीआरएफ), वालपराई, तमिलनाडु

डीटीआर एंड डीसी और क्यूसीएल सीधे टी बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहे हैं जबकि टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ निजी अनुसंधान संस्थान हैं, जो प्रतिपूर्ति के आधार पर टी बोर्ड द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित हैं।

³⁷ एक कल्टीवेटर चाय के पौधे की एक खेती की किस्म है, जो कुछ विशेषताओं के लिए मनुष्यों द्वारा पैदा की जाती है।

चित्र 5.1 - चाय अनुसंधान संघ, टोकलाई, असम



भारत में चाय अनुसंधान में पौधों में सुधार (प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी), पादप उत्पादन (कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान), पौध संरक्षण और चाय की गुणवत्ता जैसे बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के सभी पहलू सम्मिलित हैं।

सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में स्थित टी बोर्ड के अनुसंधान निदेशालय को देश में चाय अनुसंधान के समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निदेशालय समय-समय पर विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएं तैयार करके चाय उद्योग की आवश्यकता-आधारित आवश्यकताओं को पूरा करके चाय अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता रहा है। इस निदेशालय की नीति और दृष्टिकोण निम्नानुसार हैं:

- देश में चाय अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देना;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसंधान परिणाम पणधारकों को पहुंचाए जाते हैं;
- अनुसंधान की नियमित निगरानी और मूल्यांकन; और
- चाय के विभिन्न नियामक पहलुओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों के साथ समन्वय करना।

5.2 अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान

टी बोर्ड अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान करता है और चाय उत्पादन में वृद्धि करने तथा चाय की नई संकर किस्में लाकर सतत आधार पर गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश में चाय अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है।

आवश्यकता आधारित अनुसंधान परियोजनाएं चाय उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप तैयार की जाती हैं और समय-समय पर टीआरआई सहित विभिन्न संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2016-17 से 2020-21 के दौरान भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त निधियां और टीआरआई सहित विभिन्न संस्थानों को संवितरित निधियां निम्नानुसार हैं:

तालिका 5.1: पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त और टीआरआई को संवितरित निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	आरंभ शेष	प्राप्तियाँ			भुगतान					कुल	अंत शेष
		भारत सरकार से अनुदान	अन्य प्राप्तियां	कुल	टीआरए	यूपीएसआई-टीआरएफ	डीटीआर और डीसी	क्यूसीएल	अन्य व्यय		
2016-17	13.74	900.00	26.93	926.93	555.92	105.00	69.30	110.50	98.13	938.85	1.82
2017-18	1.82	2,564.32	56.90	2,621.22	1,694.48	414.75	72.87	113.63	322.09	2,617.82	5.22
2018-19	5.22	936.78	159.74	1,096.52	551.85	192.67	99.46	64.81	154.13	1,062.92	38.82
2019-20	38.82	1,862.18	122.88	1,985.06	1,499.00	144.79	50.34	84.70	227.85	2,006.68	17.20
2020-21	17.20	1,720.00	207.33	1,927.33	1,378.76	125.26	57.73	103.05	256.26	1,921.06	23.47
कुल		7,983.28	573.78	8,557.06	5,680.01	982.47	349.70	476.69	1,058.46	8,547.33	

(स्रोत: टी बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- भारत सरकार से प्राप्त ₹79.83 करोड़ के कुल अनुदान में से, टी बोर्ड ने मार्च 2021 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ को ₹66.62 करोड़ (83.46 प्रतिशत) वितरित किए और डीटीआर एंड डीसी को केवल ₹3.50 करोड़ (4.38 प्रतिशत) वितरित किए गए। इसलिए, डीटीआर और डीसी द्वारा दार्जिलिंग चाय उद्योग के लिए अनुसंधान कार्य करने के लिए दी गई निधियां निजी टीआरआई को दी गई निधियों की तुलना में नगण्य थीं।
- टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ को दिए गए ₹66.62 करोड़ में से ₹61.99 करोड़ (93.05 प्रतिशत) कुछ विशिष्ट मदों जैसे वेतन, भविष्यनिधि, उपदान, चिकित्सा, प्रशिक्षण, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, यात्रा और वाहन आदि में सहायता अनुदान के रूप में दिए गए थे, और केवल ₹4.63 करोड़ (6.95 प्रतिशत) को

अनुसंधान अनुदान के रूप में दिया गया था। इस प्रकार, अनुसंधान कार्यकलापों पर धन व्यय करने के बजाय, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए अत्यधिक राशि व्यय की जा रही थी।

- iii. इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड के अधीन अनुसंधान निदेशालय को टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ के खातों की वार्षिक लेखापरीक्षा करनी थी ताकि इन संस्थानों को प्रदान की गई निधियों के उचित उपयोग का सत्यापन किया जा सके। तथापि, टी बोर्ड ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान इन संगठनों का कोई लेखापरीक्षा नहीं किया।
- iv. 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, टीआरए ने आयरन फाइलिंग एक्सट्रैक्टर मशीन के लिए फरवरी 2021 में केवल एक पेटेंट प्राप्त किया और उनके द्वारा दायर तीन अन्य पेटेंट अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे थे। डीटीआर एंड डीसी और यूपीएसआई-टीआरएफ के मामले में, कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, डीटीआर एंड डीसी ने विभिन्न पत्रिकाओं में 16 शोध पत्र प्रकाशित किए, जबकि 2016 से 2021 के दौरान टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ द्वारा क्रमशः 128 और 133 शोध पत्र प्रकाशित किए गए। तथापि, टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ के वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन और पेटेंट दाखिल करने के लक्ष्यों से संबंधित रिकॉर्ड टी बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थे।
- v. यद्यपि दो निजी टीआरआई (टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ) के कुल व्यय का 80 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान से वित्त पोषित किया गया था, लेकिन ये सरकारी लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र से बाहर हैं।

सिफारिश संख्या. 14: चूंकि टी बोर्ड भारत द्वारा निजी चाय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान की पर्याप्त मात्रा वितरित किए जाते हैं, इसलिए निजी चाय अनुसंधान संस्थानों को लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में लाने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

5.3 टी बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास योजना पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान टी बोर्ड द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की और निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ दी:

5.3.1 XI और XII योजना अवधि की अनुसंधान परियोजनाओं का खराब निष्पादन

XI योजना अवधि के दौरान, टी बोर्ड द्वारा कुल 20 अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनमें से 17 अनुसंधान परियोजनाएं तीन टीआरआई (टीआरए-11, यूपीएसआई-टीआरएफ-4 और डीटीआर एंड डीसी-2) को सौंपी गई थीं और तीन अन्य परियोजनाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग, कोलकाता और कलकत्ता विश्वविद्यालय को दी गई थीं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मुख्य रूप से चाय उद्योग के दीर्घकालिक लाभ के लिए अनुसंधान के बुनियादी और लागू पहलुओं पर था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि XI योजना अवधि की अनुसंधान परियोजनाएं वांछित और लक्षित परिणाम देने में विफल रही हैं। चाय अनुसंधान संपर्क समिति³⁸ (टीआरएलसी) (नवम्बर, 2012) द्वारा किए गए XI योजना की अनुसंधान परियोजनाओं के मूल्यांकन के अनुसार, विभिन्न पैरामीटरों के लिए 50 अंकों के आधार पर केवल सात परियोजनाओं ने 25 अंकों से अधिक अर्जित किए, नौ परियोजनाओं को 25 अंक से कम अंक प्राप्त हुए, तीन परियोजनाएं कार्य-निष्पादन रहित थीं और केवल एक परियोजना पूरी हुई थी। टीआरएलसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने XI योजना अवधि के दौरान अनुसंधान उद्देश्यों को प्राप्त करने में सामान्य विफलता का संकेत दिया। टीआरए द्वारा शुरू की गई अधिकांश स्कीमें/परियोजनाएं वांछित परिणाम देने में विफल रहीं और पूरा होने की अपनी निर्धारित समय-सीमा में नहीं थीं। यूपीएसआई-टीआरएफ और डीटीआर एंड डीसी के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं शुरू होने में भी विफल रहीं। इससे अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी में टी बोर्ड की विफलता का पता चलता है।

³⁸ चाय अनुसंधान संपर्क समिति टी बोर्ड द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा के लिए टी बोर्ड द्वारा गठित एक समिति है और इसमें टी बोर्ड और चाय अनुसंधान संस्थानों के सदस्य सम्मिलित हैं।

इसी प्रकार, XII योजना अवधि के दौरान, टीआरए, यूपीएसआई-टीआरएफ, डीटीआर एंड डीसी और हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान को तीन अनुसंधान परियोजनाएं सौंपी गईं और एक परियोजना विश्व भारती को सौंपी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रजनन के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक तरीकों के एकीकरण, चाय कटाई और मशीनीकरण के लिए मशीनों का विकास, चाय की गुणवत्ता और मौजूदा चाय प्रसंस्करण मशीनों की क्षमता में वृद्धि और चाय के फंगल रोगों के प्रति जैव-कीटनाशक के विकास के माध्यम से नए क्लोनों का विकास करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवंबर 2020 में टीआरएलसी द्वारा परियोजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की गई थी, जिसमें अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति और वितरण पर टीआरएलसी सदस्यों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं। बैठक में उपस्थित लोगों ने निम्नलिखित मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की:

- (i) मशीन के सुधार के बावजूद चाय की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है, जैसे रोलिंग टेबल,
- (ii) नए क्लोन विकास के लिए छंटाई चक्र की सिफारिश पर स्पष्टता का अभाव,
- (iii) परिग्रहणों के गुणवत्ता मूल्यांकन पर संस्थानों के बीच मापदंडों की एकरूपता न होना,
- (iv) प्रोटोटाइप लीफ सॉर्टर का गैर-व्यावसायिकरण (मशीनों के विकास के संबंध में),
- (v) उद्योग द्वारा प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की लागत मितव्ययिता का अभाव और मशीनीकरण परियोजना में संचालन की लागत को सम्मिलित नहीं करना,
- (vi) स्वदेशी मशीनों का अपर्याप्त विकास,
- (vii) छिड़काव उपकरणों और अन्य क्षेत्र कार्यों के मशीनीकरण पर अध्ययन की अनुपस्थिति, और
- (viii) प्रत्येक परियोजना में उद्देश्यों के अनुसार स्पष्ट वितरण की अनुपस्थिति।

इस प्रकार, XIIवीं योजना की अनुसंधान परियोजनाएं भी चाय उद्योग के उपयोग के लिए किसी भी वितरण योग्य को हस्तांतरित करने में विफल रहीं।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि XIवीं और XIIवीं योजना अवधि के दौरान, बड़ी संख्या में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गईं। जबकि कुछ

परियोजनाएं अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर रही थीं, अन्य अनुसंधान परियोजनाओं के संतोषजनक परिणाम थे। टीआरएलसी के विशेषज्ञ वैज्ञानिक समय-समय पर परियोजनाओं की कमियों को दूर करने के लिए मार्गदर्शन और उपचारात्मक उपाय सुझाते रहे हैं। चाय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) से प्राप्त कार्रवाई रिपोर्टों को टीआरएलसी के सदस्यों को सलाह/सुझावों आदि के अनुपालन के लिए बैठक में चर्चा/विचार-विमर्श करने के लिए परिचालित किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया है।

तथापि, तथ्य यह है कि कुछ मामलों में अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हो गई थीं, लेकिन इस तरह की शोध कार्यकलापों के परिणामस्वरूप चाय उद्योग के लाभ के लिए किसी भी प्रदेषों का हस्तांतरण नहीं हुआ।

सिफारिश संख्या. 15: टी बोर्ड को निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा नियमित आधार पर किए गए अनुसंधान गतिविधियों के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए ताकि व्यय की गई धनराशि की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड, चाय अनुसंधान के क्षेत्र में निधियों के संवितरण के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते, पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर नियमित अंतराल पर वैज्ञानिकों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहिए और अच्छा प्रदर्शन न करने वाले वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

5.3.2 दार्जिलिंग चाय पर अनुसंधान कार्यकलापों के लिए दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र को अपर्याप्त सहयोग

दार्जिलिंग चाय उद्योग के विकास और सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को पूरा करने के लिए 1977 में कर्सीयांग, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र (डीटीआर एंड डीसी) की स्थापना की गई थी। यह सीधे टी बोर्ड के अनुसंधान निदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा XIवीं योजना के दौरान इस केन्द्र के अवसंरचना को एक “उत्कृष्टता केन्द्र” के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए एक योजना स्वीकृत की गई थी जो देश में चाय अनुसंधान के लिए अपनी तरह का पहला केन्द्र है। केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों के साथ कई सहयोगी परियोजनाओं में भी लगा हुआ था। इसमें लगभग

21.6 हेक्टेयर का एक प्रायोगिक खेत है, जिसमें विभिन्न प्रयोगात्मक क्षेत्र परीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

केंद्र में एक प्रयोगशाला भवन है जिसमें चार डिवीजन, एक पुस्तकालय, एक लघु विनिर्माण इकाई और एक कृषि-मौसम विज्ञान वेधशाला है। तथापि, टी बोर्ड (अनुसंधान निदेशालय) द्वारा अपर्याप्त ध्यान और खराब रख-रखाव के कारण संपूर्ण अवसंरचना उचित रूप में नहीं पाई गई।

चित्र 5.2: दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र, कुर्सियांग



स्थापना के बाद से, डीटीआर एंड डीसी दार्जिलिंग चाय उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाय अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। डीटीआर एंड डीसी के काम के दायरे में मुख्य रूप से फार्म मैनेजमेंट (वनस्पति शास्त्र और शस्य विज्ञान), मृदा विज्ञान, जैव रसायन और पौध संरक्षण सम्मिलित हैं। दार्जिलिंग चाय बागानों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को दूर करने के लिए मृदा परीक्षण और चाय बागानों के सामयिक दौरों के रूप में कुछ सलाहकार सेवाएं भी डीटीआर और डीसी के कार्यकलापों में सम्मिलित थीं।

लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान डीटीआर एंड डीसी को प्रदान की गई जनशक्ति और वित्तीय सहायता की स्थिति की समीक्षा की और निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ की:

- (i) 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, डीटीआर एंड डीसी के लिए केवल ₹3.50 करोड़ का व्यय किया गया था, जो अनुसंधान और विकास कार्यकलापों

(₹79.83 करोड़) के लिए भारत सरकार से टी बोर्ड द्वारा प्राप्त धन का केवल 4.38 प्रतिशत है।

- (ii) 14 वैज्ञानिक कर्मचारियों के स्वीकृत पद की तुलना में, 2016-17 से 2019-20 के दौरान केवल पांच कर्मचारियों को तैनात किया गया था और 2020-21 में इसे घटाकर तीन कर दिया गया था। मई 2022 से, डीटीआर एंड डीसी में कोई वैज्ञानिक कर्मचारी तैनात नहीं किया गया था।
- (iii) पर्याप्त वैज्ञानिक जनशक्ति के अभाव में, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, डीटीआर एंड डीसी में कुल पांच परियोजनाएं / प्रयोग किए गए थे, जिनमें से केवल एक परियोजना पूरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान डीटीआर एंड डीसी द्वारा केवल 16 शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे, जबकि इसी अवधि के दौरान टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ ने क्रमशः 128 और 133 शोध पत्र प्रकाशित किए थे। इसके अतिरिक्त, यद्यपि डीटीआर एंड डीसी द्वारा तीन बाहरी वित्त पोषित परियोजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन आज तक केवल एक परियोजना पूरी हो सकी है।

इस प्रकार, पर्याप्त धन और वैज्ञानिक जनशक्ति की अनुपस्थिति ने डीटीआर एंड डीसी को दार्जिलिंग चाय उद्योग के लाभ के लिए अनुसंधान करने में अक्षम कर दिया।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि समय-समय पर बुनियादी ढांचे (प्रयोगशाला और आवासीय भवन दोनों) के विकास के लिए पहल की गई थी और अनुबंधित वैज्ञानिक जनशक्ति की भर्ती भी की गई थी। तथापि, अनुबंधित वैज्ञानिकों ने डीटीआर एंड डीसी, कुर्सियांग के स्थानीय नुकसान और कहीं और बेहतर अवसरों के कारण छोड़ दिया था। डीटीआर एंड डीसी, कुर्सियांग में भविष्य के अनुसंधान प्रयासों के लिए अच्छे अवसर और प्रचार के अवसरों के साथ बेहतर कार्य सुविधाएं बनाई जा सकती हैं। दार्जिलिंग चाय उद्योग को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए भविष्य में अभिनव अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए डीटीआर और डीसी की वर्तमान स्थापना को मजबूत करने के प्रयास/पहल भी किए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों (अक्टूबर 2022) को नोट किया और कहा कि डीटीआर एंड डीसी के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहल की जा रही है। एक मिनी प्रायोगिक

चाय कारखाना चालू किया जा रहा था और अनुसंधान अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जा रहा था।

सिफारिश संख्या. 16: टी बोर्ड को दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र को पर्याप्त निधि और वैज्ञानिक श्रमबल सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि दार्जिलिंग चाय उद्योग के लाभ के लिए इसके पुनरुद्धार और सुचारु कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके।

5.3.3 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना में पाई गई अनियमितताएं

टी बोर्ड ने 2016 में सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यूसीएल) और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, ताकि जैव-कीटनाशकों, जैव-उर्वरकों, कीटनाशक अवशेषों आदि के परीक्षण से संबंधित अनुसंधान कार्य और निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग चाय उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली बेहतर चाय की खेती के विकास के लिए गुणवत्ता संबंधी जैव रासायनिक मापदंडों का आकलन किया जा सके। टी बोर्ड को 2009-10 से 2012-13 के दौरान क्यूसीएल के निर्माण के लिए ए.एस.आई.डी.ई योजना के अंतर्गत ₹7.31 करोड़ प्राप्त हुए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (i) एएसआईडीई योजना के अंतर्गत मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, दार्जिलिंग चाय उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए दार्जिलिंग चाय बागानों के निकट निकटता के लिए डीटीआर एंड डीसी, कुर्सियांग में क्यूसीएल की स्थापना की जानी थी। तथापि, टी बोर्ड ने (फरवरी, 2010) कुर्सियांग के स्थान पर सिलीगुड़ी में क्यूसीएल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया और एमओसी एंड आई से इस पर विचार करने का अनुरोध किया। मंत्रालय से कोई अनुमोदन प्राप्त न होने के बावजूद, टी बोर्ड ने क्यूसीएल के निर्माण का स्थान डीटीआर एंड डीसी, कुर्सियांग के अनुमोदित स्थान की तुलना में सिलीगुड़ी (दार्जिलिंग चाय बागान क्षेत्र के दायरे से बाहर) में स्थानांतरित कर दिया, जिससे क्यूसीएल की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया।
- (ii) मूल प्रस्ताव के अनुसार, उपकरणों की खरीद के लिए निर्धारित ₹4.31 करोड़ में से ₹1.90 करोड़ कुर्सियांग में डीटीआर एंड डीसी की मौजूदा लघु विनिर्माण इकाई के

उन्नयन के लिए व्यय किए जाने थे। तथापि, लघु इकाई को लेखापरीक्षा की तारीख (फरवरी 2022) तक अपग्रेड नहीं किया गया था।

- (iii) एसआईडीई स्कीम के अंतर्गत प्राप्त कुल निधियों के उपयोग का ब्यौरा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि निधियों का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया था जिसके लिए इन्हें मंजूरी दी गई थी।

इस प्रकार, डीटीआर एंड डीसी, कुर्सियांग में क्यूसीएल की स्थापना न होने से दार्जिलिंग चाय उद्योग को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य विफल हो गया। तथापि, टी बोर्ड ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान क्यूसीएल के कामकाज के लिए पर्याप्त मात्रा में धन व्यय किया, लेकिन सामान्य रूप से भारतीय चाय और विशेष रूप से दार्जिलिंग चाय के गुणवत्ता परीक्षण का समग्र उद्देश्य अभी तक पूरी तरह से अर्जित नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने (जून 2022) कहा कि क्यूसीएल को शुरू में डीटीआरडीसी, कुर्सियांग में स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। तथापि, उपकरणों के रख-रखाव और अच्छे वैज्ञानिक की भर्ती आदि की पर्याप्त बुनियादी आवश्यकताओं और गुणवत्तापूर्ण सेवा की कमी के कारण इसे सिलीगुड़ी स्थानांतरित कर दिया गया और तदनुसार मंत्रालय को सूचित किया गया। प्रबंधन ने आगे कहा (जुलाई 2022) कि यद्यपि डीटीआर एंड डीसी की मौजूदा लघु विनिर्माण इकाई के उन्नयन के लिए ₹1.90 करोड़ का प्रस्ताव था, मंत्रालय ने एसआईडीई योजना के अंतर्गत केवल ₹7.31 करोड़ (भवन के लिए ₹3.00 करोड़ और उपकरणों की खरीद के लिए ₹4.31 करोड़) स्वीकृत किए थे। इसलिए निधियों के अभाव में मौजूदा लघु इकाई का प्रस्तावित उन्नयन नहीं किया जा सका। टी बोर्ड ने पहले ही मौजूदा लघु इकाई के उन्नयन पर काम करना शुरू कर दिया था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन (अक्टूबर 2022) किया और कहा कि क्यूसीएल को वाणिज्य विभाग को सूचित करने के अंतर्गत सिलीगुड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि टी बोर्ड ने स्वयं कुर्सियांग में क्यूसीएल की स्थापना का प्रस्ताव किया था। तथापि, कुर्सियांग में पर्याप्त बुनियादी आवश्यकताओं, गुणवत्ता सेवाओं, उपकरणों के रखरखाव आदि की कमी का हवाला

देते हुए इसे सिलीगुड़ी स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने से पहले टी बोर्ड द्वारा कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपकरणों की खरीद के लिए मंत्रालय द्वारा वितरित ₹4.31 करोड़ में लघु इकाई के उन्नयन के लिए ₹1.90 करोड़ सम्मिलित हैं। तथापि, अपेक्षित निधियां प्राप्त होने के बावजूद लघु इकाई का उन्नयन नहीं किया गया था।

5.3.4 जलवायु परिवर्तन पर चिंताओं पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का पालन न करना

समय बीतने के साथ, जलवायु परिवर्तन का चाय पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ पारंपरिक चाय उगाने वाले क्षेत्र चाय के विकास के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। तापमान में वृद्धि और वर्षा के घटते पैटर्न चाय उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करेंगे, जिससे विशेष रूप से कमजोर छोटे चाय किसानों के लिए खतरा पैदा होगा। चाय किसानों को अधिक बार बाढ़, सूखे और कीटों के संक्रमण का अनुभव हो सकता है जिससे उत्पादकता में कमी आ सकती है। आर्थिक और सामाजिक स्थितियां भी गंभीर रूप से बाधित हो सकती हैं।

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बागान क्षेत्र- चाय और कॉफी उद्योग के प्रदर्शन पर (अगस्त 2012 में संसद में रखी गई) अपनी 102 वीं रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण चाय उद्योग के समक्ष चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की है। समिति ने महसूस किया कि चाय उत्पादकता के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता में सुधार और निरंतरता के उद्देश्य से एक रणनीति विकसित करने और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न लंबे समय तक सूखे जैसी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनुसंधान कार्यकलापों को निर्देशित करने की तत्काल आवश्यकता है। समिति ने सुझाव दिया कि वाणिज्य विभाग (डीओसी) को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थानों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ सहयोग करना चाहिए।

उपर्युक्त संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (अगस्त, 2013) में, डीओसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि टी बोर्ड ने निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की है :

- (i) XII योजना अवधि के दौरान उद्योग के लिए एक समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करने के लिए नए संकल्पनात्मक अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
- (ii) XII योजना के अनुसंधान कार्यक्रम में उपज और गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ सूखे से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए बेहतर खेती के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी।

तथापि, अभिलेखों की जांच से पता चला है कि टी बोर्ड ने XII योजना (अर्थात् 2012-13 से 2016-17) अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन पर कोई अनुसंधान गतिविधि/परियोजना शुरू नहीं की, जैसा कि कार्रवाई प्रतिवेदन में डीओसी द्वारा सूचित किया गया है। इसके अलावा, मध्यावधि फ्रेमवर्क (अर्थात्, 2017-18 से 2020-21) के दौरान भी, जलवायु परिवर्तन पर कोई अनुसंधान प्रस्ताव नहीं लिया गया था। टी बोर्ड ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि टी बोर्ड के अपने अनुसंधान संस्थान अर्थात् डीटीआर एंड डीसी पर्याप्त वैज्ञानिक श्रमबल के अभाव में, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के संबंध में कोई अनुसंधान गतिविधियां करना कठिन था। इसके अलावा निधियों का बड़ा भाग निजी चाय अनुसंधान संस्थान अर्थात् टीआरए तथा यूपीएसआई-टीआरएफ को संवितरित किया गया जिसे किसी वैज्ञानिक अनुसंधान करने के सीमित दायरे को छोड़कर मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि XII योजना के अंतर्गत अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए अनुमोदित बजट का केवल 50 प्रतिशत प्राप्त होने के कारण जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान गतिविधियां शुरू नहीं की जा सकी। हालांकि, टी बोर्ड ने पांच राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश (अप्रैल 2020 और मार्च 2024 के बीच) में 'चाय के छोटे उत्पादकों के लिए चाय मूल्य श्रृंखला में जलवायु लचीलापन के निर्माण' पर अध्ययन करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में विचाराधीन था। मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट किया गया था।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि टी बोर्ड ने 2012 में संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार XII योजना और मध्यावधि फ्रेमवर्क के दौरान जलवायु परिवर्तन पर कोई अनुसंधान गतिविधि/परियोजना शुरू नहीं की थी।

सिफारिश संख्या 17: टी बोर्ड को जलवायु परिवर्तन के आधार पर चाय उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का पालन करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए।

5.4 सार

लेखापरीक्षा में टी बोर्ड के अनुसंधान और विकास गतिविधियों में कमियाँ अर्थात् अनुसंधान परियोजनाओं का असंतोषजनक निष्पादन और अपर्याप्त/अनुपलब्ध वैज्ञानिक कर्मचारियों की कमी पाई गई। इसके अलावा, दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केन्द्र (डीटीआर एंड डीसी), कर्सियांग को अपर्याप्त सहायता और अवसंरचना के नियमित अनुरक्षण का अभाव, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना और संचालन में अनियमितताएँ हैं। यह भी देखा गया कि टी बोर्ड जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का पालन करने में विफल रहा। दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केन्द्र में वैज्ञानिक कर्मचारियों के सभी 14 स्वीकृत पद मई 2022 से रिक्त हैं। इसके अलावा, चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) और यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया - टी रिसर्च फाउंडेशन (यूपीएसआई-टीआरएफ) को दिए गए ₹66.62 करोड़ में से 93 प्रतिशत मुख्य रूप से प्रशासनिक लागत के लिए खर्च किया गया था और केवल 7 प्रतिशत अनुसंधान उद्देश्य के लिए था। इसके अलावा, हालांकि टी बोर्ड के अनुसंधान निदेशालय ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की, लेकिन टी बोर्ड द्वारा इन चाय अनुसंधान संस्थानों की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

अध्याय-VI

बाजार संवर्धन गतिविधियाँ



अध्याय-VI

बाजार संवर्धन गतिविधियाँ

टी बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में से एक भारत को विश्व स्तर पर गुणवत्तापूर्ण चाय का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बनाने के उद्देश्य से संवर्धनात्मक गतिविधियाँ शुरू करना है। टी बोर्ड लक्षित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में भारतीय चाय की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय चाय की विस्तृत किस्मों और श्रेणियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक प्रयास करता है।

टी बोर्ड का संवर्धन निदेशालय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चाय की ब्रांड इक्विटी और मांग और घरेलू बाजार में चाय की खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रचार गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

6.1 अंतर्राष्ट्रीय बाजार परिदृश्य

विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक देशों की उत्पादन और निर्यात हिस्सेदारी नीचे दी गई है:

तालिका 6.1: प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक देशों की उत्पादन और निर्यात हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)

देश का नाम	2016		2017		2018		2019		2020	
	उत्पादन हिस्सेदारी	निर्यात हिस्सेदारी	उत्पादन हिस्सेदारी	निर्यात हिस्सेदारी	उत्पादन हिस्सेदारी	निर्यात हिस्सेदारी	उत्पादन हिस्सेदारी	निर्यात हिस्सेदारी	उत्पादन हिस्सेदारी	निर्यात हिस्सेदारी
चीन	43	18	45	20	45	20	45	20	48	19
भारत	23	12	23	14	23	14	23	13	20	11
केन्या	9	27	8	23	8	25	7	26	9	28
श्रीलंका	5	16	5	16	5	15	5	15	4	14
अन्य	20	27	19	27	19	26	20	26	19	28

(स्रोत: टी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट)

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि भारत के उत्पादन की हिस्सेदारी 2016 से 2019 तक स्थिर रही और उसके बाद 2020 में घटकर 20 प्रतिशत हो गई, जबकि चीन की हिस्सेदारी 2016 में 43 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 48 प्रतिशत हो गई है। इसके

अलावा, भारत की निर्यात हिस्सेदारी 2016 से 2019 तक स्थिर रही है और 2020 में घटकर 11 प्रतिशत रह गई है।

6.2 घरेलू बाजार परिदृश्य

2020-21 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में चाय का उत्पादन, आयात और निर्यात और घरेलू बाजार में चाय की खपत तालिका 6.2 में दी गई है:

तालिका 6.2: भारत में चाय का उत्पादन, आयात और निर्यात और घरेलू बाजार में खपत

(मिलियन किलोग्राम में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्पादन	1,250.49	1,325.05	1,350.04	1,360.81	1,283.03
आयात	21.60	20.59	24.22	15.54	27.75
निर्यात	227.63	256.57	254.50	241.34	203.79
कुल उपलब्धता (उत्पादन + आयात - निर्यात)	1,044.46	1,089.07	1,119.76	1,135.01	1,106.99
घरेलू खपत	973	1,066	1,090	1,116	1,145
उपलब्धता का अधिशेष (+)/घाटा (-)	71.46	23.07	29.76	19.01	-38.01
संचयी समग्र अधिशेष	71.46	94.53	124.29	143.30	105.29

(स्रोत: टी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि भारत में चाय का उत्पादन 2016-17 से 2019-20 के दौरान 1,250.49 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 1,360.81 मिलियन किलोग्राम हो गया और 2020-21 में घटकर 1,283.03 मिलियन किलोग्राम हो गया, जबकि 2016-17 से 2020-21 के दौरान भारत में चाय का आयात 21.60 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 27.75 मिलियन किलोग्राम हो गया। भारत से चाय का निर्यात 2016-17 से 2018-19 तक 227.63 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 254.50 मिलियन किलोग्राम हो गया और फिर धीरे-धीरे 2020-21 में घटकर 203.79 मिलियन किलोग्राम हो गया। इसी अवधि के दौरान घरेलू खपत भी 973 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 1,145 मिलियन किलोग्राम हो गई।

6.3 निर्यात, विपणन और संवर्धन के लिए योजनाएं

टी बोर्ड ने बाजार संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत कई योजनाएं कार्यान्वित की जिनका उद्देश्य भारत में प्रति व्यक्ति चाय की खपत में वृद्धि करना और चाय के निर्यात में वृद्धि करना, निर्यातकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, बाजार संवर्धन के लिए चाय संघों का समर्थन करना आदि है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान टी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:

- घरेलू संवर्धन,
- विदेशी संवर्धन,
- व्यापार संबंधी गतिविधियां,
- निर्यातकों/संघों को प्रोत्साहन राशि।

2016-17 से 2020-21 के दौरान, बाजार संवर्धन योजना के अंतर्गत टी बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियाँ और किए गए भुगतान निम्नानुसार हैं:

तालिका 6.3 - बाजार संवर्धन योजना के अंतर्गत निधियों की वर्षवार प्राप्तियाँ और भुगतान
(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक जमा	भारत सरकार से अनुदान	अन्य प्राप्तियाँ	भुगतान	जमा शेष
2016-17	76.53	1,257.25	136.66	1,439.94	30.50
2017-18	30.50	912.63	376.29	1,299.50	19.92
2018-19	19.92	1,370.00	270.08	1,656.29	3.71
2019-20	3.71	809.00	488.71	1,301.03	0.39
2020-21	0.39	666.21	98.70	764.78	0.52
कुल		5,015.09	1,370.44	6,461.54	

लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान बाजार संवर्धन गतिविधियों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की।

6.4 घरेलू संवर्धन

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार बाजार संवर्धन के उपर्युक्त उप-घटक के अंतर्गत किए जाने वाले मुख्य गतिविधि निम्नानुसार हैं:

- (i) ग्रामीण बाजारों पर विशेष ध्यान देने के साथ कल्याण लाभ और जीवन शैली पहलुओं पर आधारित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जेनेरिक अभियान।
- (ii) रोड शो, जेनेरिक और विशेष चाय अभियान, बोर्ड के विभिन्न बौद्धिक गुणों के संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से भारत में चाय संघों के साथ संयुक्त रूप से एकल मूल³⁹ की चाय को बढ़ावा देना।
- (iii) घरेलू संवर्धन के दौरान भारतीय चाय की विविधता और समृद्धि का प्रचार करने के लिए ट्विटर, फेसबुक जैसे स्थापित सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से वायरल विज्ञापन।
- (iv) एक ही स्थान पर एकल मूल चाय के विविध पोर्टफोलियो को प्रदर्शित करने और ग्राहकों को गुणात्मक बारीकियों और एक सौंदर्यपरक वातावरण में सही ब्रूइंग विधि के बारे में उत्साहित करने के लिए भारत में राज्यों की राजधानियों में शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट लाउंज, प्रमुख रेलवे स्टेशन, होटल-रेस्तरां-कैफेटेरिया जैसे अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर चाय बुटीक की स्थापना।

समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियों को पाया गया:

6.4.1 पर्याप्त घरेलू चाय बुटीक की स्थापना नहीं करना

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टी बोर्ड को उसके पास पंजीकृत किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा भारत में चाय बुटीक की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी थी ताकि एक शानदार और सौंदर्यपरक वातावरण में एक ही स्थान पर भारतीय चाय के विविध पोर्टफोलियो को प्रदर्शित किया जा सके। वित्तीय सहायता की सीमा निम्नानुसार थी:

³⁹ एकल मूल चाय वह चाय है जो एक ही क्षेत्र और फसल से आती है, जिसमें कोई अतिरिक्त स्वाद या मिश्रण नहीं होता है।

तालिका 6.4: घरेलू चाय बुटीक की स्थापना/संचालन के लिए टी बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता की प्रकृति

एक स्टैंड-अलोन बुटीक के लिए अधिग्रहण का प्रकार	वित्तीय सहायता की प्रकृति			टिप्पणियां
	एक वर्ष की समाप्ति पर	2 वर्ष की समाप्ति पर	3 वर्ष की समाप्ति पर	
स्वामित्व	25% (पूँजीगत व्यय + कार्यशील पूँजी)	कार्यशील पूँजी का 50%	कार्यशील पूँजी का 25%	पहले वर्ष में ₹20 लाख और दूसरे और तीसरे वर्ष में ₹12 लाख की ऊपरी सीमा के साथ
किराया	किराये का 50%	किराये का 40%	किराये का 30%	पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में ₹12 लाख की ऊपरी सीमा के साथ

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) जापन में टी बोर्ड द्वारा घरेलू चाय बुटीक की स्थापना और उसके प्रति उपलब्धि के लिए मध्यावधि फ्रेमवर्क जापन में निर्धारित वर्ष-वार लक्ष्य निम्नानुसार था:

तालिका 6.5: टी बोर्ड द्वारा घरेलू चाय बुटीक स्थापित करने के लिए निर्धारित वर्ष-वार लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

घरेलू चाय बुटीक की स्थापना के लिए लक्ष्य/उपलब्धि	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
लक्ष्य (संख्या में)	-	2	4	6	-	12
उपलब्धि (संख्या में)	-	-	3	2	1	6

* वर्ष 2016-17 और 2020-21 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

इस संबंध में अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- (i) यद्यपि टी बोर्ड ने घरेलू बाजार में भारतीय चाय की खपत के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चाय बुटीक की स्थापना के लिए योजना तैयार की थी और तदनुसार घरेलू चाय बुटीक की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे, परंतु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टी बोर्ड द्वारा की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों को न तो ईएफसी जापनों में और न ही योजना दिशानिर्देशों में परिभाषित किया

गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में टी बोर्ड की किसी पहल पर ध्यान नहीं दिया गया।

- (ii) 2017-18 से 2019-20 के दौरान 12 घरेलू चाय बुटीक स्थापित करने के लक्ष्य के प्रति, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान केवल छह घरेलू चाय बुटीक (नई दिल्ली, दार्जिलिंग, गोवा और गुवाहाटी) स्थापित किए गए थे और टी बोर्ड ने ₹77.42 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

इस प्रकार, उद्यमियों को घरेलू चाय बुटीक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टी बोर्ड की ओर से कोई पहल नहीं होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था और योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि आवेदकों द्वारा दस्तावेजों के अपर्याप्त प्रस्तुतिकरण के कारण इस संबंध में आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

हालांकि, तथ्य यह है कि टी बोर्ड उद्यमियों को घरेलू चाय बुटीक स्थापित करने के लिए आगे आने और भारतीय चाय की विस्तृत किस्मों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने की योजना के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित करने में विफल रहा।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को नोट किया गया था।

6.4.2 सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से असंगत प्रचार गतिविधियाँ

आज की प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में, सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने और दर्शकों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम के बीच सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बहुत कम समय में जनता तक पहुंचने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

योजना के दिशानिर्देशों ने घरेलू प्रचार के लिए की जाने वाली एक प्रमुख गतिविधि के रूप में भारतीय चाय की विविधता और समृद्धि का प्रचार करने के लिए ट्विटर, फेसबुक जैसे स्थापित सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से वर्चुअल विज्ञापन का समर्थन किया।

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बढ़ते प्रभाव के साथ, इन प्लेटफार्मों का उपयोग चाय की निरंतर खपत के स्वास्थ्य लाभों पर युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और भारतीय चाय

के लिए एक नवोदित और स्थिर बाजार को आकृष्ट करने और बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

इस संबंध में, यह पाया गया कि:

- टी बोर्ड द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार के लिए वर्ष-वार व्यय 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹0.25 लाख, ₹106.83 लाख, ₹2.61 लाख, ₹4.38 लाख और ₹11.32 लाख था। उपर्युक्त में से, 2016-17 में, विभिन्न कमोडिटी बोर्डों के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एक सोशल मीडिया अभियान आयोजित किया गया था, जिसमें टी बोर्ड के व्यय की हिस्सेदारी ₹106.83 लाख थी और इसका भुगतान 2017-18 में किया गया था।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से चाय के संवर्धन के लिए टी बोर्ड की पहल पूरी तरह से असंगत थी और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार के लिए कोई बड़ी पहल नहीं की गई थी।
- टी बोर्ड ने अभी तक अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को प्रभावी ढंग से अपडेट नहीं किया है, जिन्हें जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों तक पहुंचने के लिए प्रमुख सोशल प्लेटफॉर्मों में से एक माना जाता है।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 2016-17 में सोशल मीडिया के लिए एक अभियान चलाया गया था। हालांकि, अभियान से संबंधित लगभग ₹1.06 करोड़ का भुगतान बाद में किया गया था क्योंकि पहले पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था। अगले कुछ वर्षों तक, अधिकारियों द्वारा किसी भी बाहरी एजेंसी को शामिल किए बिना सोशल मीडिया पोस्ट किए गए।

प्रबंधन के जवाब को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि की वर्ष-वार मात्रा में कोई निरंतरता नहीं थी।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि बजटीय बाधाओं के संदर्भ में, टी बोर्ड द्वारा संस्थानिक संसाधनों के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा की सिफारिशों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया था।

6.5 व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ

उपर्युक्त उप-घटक का उद्देश्य एकीकृत चाय पार्क जैसी अवसंरचना के सृजन के माध्यम से विश्व स्तरीय पैकेजिंग में गुणवत्तापूर्ण चाय के निर्यात को सुगम बनाना था जिसमें प्रसंस्करण, सम्मिश्रण, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग और परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सामान्य सुविधाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य देश से निर्यात की जा रही चाय की गुणवत्ता में वृद्धि करना था - जिससे चाय की इकाई मूल्य प्राप्ति में वृद्धि हुई और विश्व बाजार में भारतीय ब्रांडों की स्थापना हुई।

लेखापरीक्षा ने उप-घटक के अंतर्गत गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की जांच की और निम्नलिखित को पाया:

6.5.1 एकीकृत चाय पार्क के निर्माण के संबंध में XII योजना के साथ-साथ मध्यावधि फ्रेमवर्क के तौर-तरीकों का कार्यान्वयन न होना

टी बोर्ड ने औद्योगिक क्लस्टर के गठन के माध्यम से चाय व्यापार के हितधारकों द्वारा निष्पादित प्रसंस्करण, भंडारण, सम्मिश्रण, पैकेजिंग, वितरण आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के समेकन के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने के लिए अच्छे पोर्ट संपर्क के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र के दायरे में उत्तर भारत में एक "एकीकृत चाय पार्क" विकसित करने की पहल की। तदनुसार, टी बोर्ड ने मई 2016 में और फिर जनवरी 2017 में टी पार्क के निर्माण के लिए धामरा पत्तन क्षेत्र में और उसके आसपास भूमि प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार (ओ.स.) से अनुरोध किया।

2018 में, ओडिशा सरकार ने धामरा पत्तन से 4 किमी दूर कुल 13.960 एकड़ क्षेत्र की पहचान की। इसके बाद, वाणिज्य विभाग (डीओसी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने टी बोर्ड को बाजार संवर्धन योजना के बजटीय प्रावधान के अंतर्गत चाय पार्क की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश (मई 2018) दिया। डीओसी के अनुमोदन के बाद डीपीआर को विचार के लिए ओडिशा सरकार को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।

तदनुसार, टी बोर्ड ने जुलाई 2018 और अक्टूबर 2018 में टी पार्क की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए एक परामर्श फर्म की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की। तथापि, एकमात्र बोलीदाता की भागीदारी के कारण दोनों निविदाओं को रद्द कर दिया गया।

इसके बाद, टी बोर्ड ने उड़ीसा के बजाय कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा प्रदान की गई भूमि पर कोलकाता में एक चाय पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया और चाय पार्क सह वेयरहाउस और सम्मिश्रण इकाई की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए निविदा जारी की (अप्रैल 2020), जिसमें तीन बोलीदाता थे।

हालांकि, डीपीआर तैयार करने के लिए उचित बजट आवंटन नहीं होने के कारण इस निविदा को भी रद्द (मार्च 2021) कर दिया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को पाया:

- (i) XII योजना और मध्यावधि फ्रेमवर्क में चाय पार्क स्थापित करने के प्रावधान और एकीकृत चाय पार्क की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, टी बोर्ड ने डीपीआर तैयार नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन किया गया।
- (ii) निधियों की उपलब्धता का आकलन किए बिना, डीपीआर तैयार करने के लिए निविदा जारी करने की टी बोर्ड की पहल में औचित्य का अभाव था।
- (iii) चाय पार्कों की स्थापना का उद्देश्य चाय की इकाई मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने और विश्व बाजार में भारतीय ब्रांडों की स्थापना के लिए देश से निर्यात की जा रही चाय की गुणवत्ता में वृद्धि करना था। हालांकि, टी बोर्ड द्वारा इसे निष्पादित करने में असमर्थता के कारण योजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुए प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (जून/अक्टूबर 2022) कि भविष्य में डीपीआर के लिए निविदा आरंभ करने से पहले धन के प्रावधान पर ध्यान दिया जाएगा।

हालांकि टी बोर्ड को एकीकृत टी पार्क के निर्माण तथा टी पार्क द्वारा किए जाने वाले अनुमानित आयात और निर्यात की मात्रा पर विचार करते हुए इसकी व्यवहार्यता के संबंध में पुनः विचार की आवश्यकता है।

6.6 निर्यातकों/संघों को प्रोत्साहन राशि

बाजार संवर्धन योजना के प्रमुख उप-घटकों में से एक असम के अमीनगांव में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात की जाने वाली चाय के लिए अतिरिक्त परिवहन और प्रहस्तन प्रभारों को पूरा करने के लिए चाय निर्यातकों को वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन देना था। XII योजना से जारी इस योजना को मध्यावधि फ्रेमवर्क के दौरान आगे बढ़ाया गया था और इसे 2020-21 तक एक और वर्ष तक बढ़ा दिया गया था।

चाय निर्यातकों को वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन के संवितरण से संबंधित अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

6.6.1 भारतीय चाय के समग्र निर्यात पर प्रभाव के आकलन के बिना सब्सिडी जारी करना

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), अमीनगांव के माध्यम से निर्यात की जाने वाली चाय के लिए किए गए अतिरिक्त परिवहन और प्रहस्तन प्रभारों को पूरा करने में चाय निर्यातकों की सहायता करने की योजना असम में आईसीडी, अमीनगांव से चाय को भेजने वाले निर्यातकों को मुआवजा देने के लिए कार्यान्वित की गई थी क्योंकि शिपिंग कंपनियों द्वारा शिपमेंट के पत्तन से अमीनगांव तक वापसी यात्रा के दौरान कंटेनरों की खाली ढुलाई से उत्पन्न परिवहन और टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों के लिए अतिरिक्त प्रभार उद्ग्रहीत किए गए थे, जिसके कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई।

टी बोर्ड के पास पंजीकृत और वैध निर्यातक लाइसेंस रखने वाले सभी चाय निर्यातक सहायता के लिए पात्र थे, बशर्ते कि जिस चाय के लिए प्रोत्साहन का दावा किया गया था, वह वास्तव में आईसीडी, अमीनगांव के माध्यम से भेजी गई थी और दावों को केवल आईसीडी, अमीनगांव के माध्यम से भेजी गई भारतीय मूल की चाय तक ही सीमित किया जाना था। उप-घटक पूरे पूर्वोत्तर भारत को प्रदान किया गया था और प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता ₹2 प्रति किलोग्राम चाय पर प्रदान की जानी थी।

चित्र 6.1: असम में आईसीडी, अमीनगांव के माध्यम से चाय का निर्यात



वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान निर्यातक चाय बागानों/कंपनियों द्वारा कोलकाता पत्तन और आईसीडी, अमीनगांव के माध्यम से निर्यात की गई चाय की मात्रा नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

तालिका 6.8: कोलकाता पत्तन और आईसीडी अमीनगांव के माध्यम से निर्यात की गई चाय

(मिलियन किलो में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कोलकाता पत्तन के माध्यम से निर्यात की गई कुल चाय (आईसीडी, अमीनगांव सहित)	132.64	155.13	147.10	135.71	109.30
आईसीडी अमीनगांव के माध्यम से निर्यात की गई चाय	19.06	22.03	17.24	10.46	8.71
कोलकाता पत्तन के माध्यम से कुल निर्यात की तुलना में आईसीडी अमीनगांव के माध्यम से निर्यात की गई चाय का प्रतिशत	14.37	14.20	11.72	7.71	7.97

उपरोक्त तालिका से, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- कोलकाता पत्तन (आईसीडी, अमीनगांव सहित) के माध्यम से कुल निर्यात की तुलना में आईसीडी, अमीनगांव के माध्यम से चाय का निर्यात 2016-17 में 14.37 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 7.97 प्रतिशत हो गया।
- निर्यातकों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए पात्र बनाने के लिए निर्यात की मात्रा के संदर्भ में XII योजना अथवा मध्यावधि फ्रेमवर्क में कोई निश्चित मानदंड नहीं था। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों की वृद्धिशील निर्यात मात्रा के आधार पर सब्सिडी के लिए पात्रता निर्धारित करने या किसी विशेष वर्ष के लिए सब्सिडी के संवितरण के

बाद निर्यात मात्रा के संदर्भ में निर्यातकों के निष्पादन की निगरानी करने के लिए कोई खंड नहीं था। इन शर्तों के अभाव में टी बोर्ड प्रबंधन आईसीडी अमीनगांव के माध्यम से भारतीय चाय के निर्यात परिदृश्य के वास्तविक सुधार में योजना के समग्र प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ था।

लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि पूर्वोक्त में चाय बागान रखने वाले उत्पादक-सह-निर्यातकों ने केवल योजना का लाभ उठाया क्योंकि व्यापारी-सह-निर्यातकों के लिए, जो भारत से कुल निर्यात की लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते थे और जिन्होंने अपनी चाय अधिकतर नीलामी से प्राप्त की थी, योजना के लाभ अप्रासंगिक थे। 2019-21 के दौरान आईसीडी, अमीनगांव से कंटेनर की आवाजाही की तुलना में कॉनकॉर (टर्मिनल प्रहस्तन प्रभार, माल-भाड़ा प्रभार और अन्य प्रभार) से प्रभावित विभिन्न प्रभारों में उच्च वृद्धि के कारण, इकाई द्वारा प्रबंधित की जा रही चाय की मात्रा 2016-17 से 2020-21 के दौरान कम हो गई थी।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया (अक्टूबर 2022)।

सिफारिश संख्या 18: टी बोर्ड को चाय संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्थानों पर घरेलू चाय बुटीक और एकीकृत चाय पार्क की स्थापना सहित घरेलू संवर्धन के लिए निरंतर निधियां आवंटित करनी चाहिए। इसके अलावा, संवर्धनात्मक गतिविधियों के लिए व्यय योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। टी बोर्ड को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बढ़ते प्रभाव के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय चाय के प्रचार के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए।

6.7 सार

लेखापरीक्षा में पाया गया टी बोर्ड द्वारा निर्यात की मात्रा पर प्रभाव का आकलन किए बिना निर्यातकों को सब्सिडी जारी और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से प्रचार के लिए अपर्याप्त गतिविधियों जैसी कमियां पाई गईं। इसके अलावा, उघामियों को घरेलू चाय बुटीक स्थापित करने के लिए, टी बोर्ड द्वारा कोई पहल नहीं की गई और इस तरह, चाय बुटीक स्थापित करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका।

अध्याय-VII

वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण



अध्याय-VII

वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

टी बोर्ड भारतीय चाय उद्योग के विकास के लिए चार प्रमुख कार्य अर्थात् विनियामक, विकासात्मक, बाजार संवर्धन और अनुसंधान और विकास करता है। उपर्युक्त गतिविधियों के निष्पादन के लिए, टी बोर्ड काफी हद तक संबंधित शीर्षों के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी निधियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय प्रशासनिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए निधियां अनुमोदित करता है। टी बोर्ड को उपलब्ध कराई गई सभी निधियां केन्द्रीय बजट के माध्यम से भेजी जाती हैं। टी बोर्ड द्वारा ऐसी निधियों का उपयोग चाय अधिनियम, 1953 की धारा 10 में निहित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाता है जो वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन होता है।

टी बोर्ड लाइसेंसों पर फीस के संग्रहण, ऋण और अग्रिमों पर ब्याज और विविध प्राप्तियों जैसे कि निर्मित चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, आवेदन पत्रों और अन्य प्रकाशनों की बिक्री आदि से आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) के रूप में आंतरिक राजस्व सृजित करता है।

लेखापरीक्षा ने टी बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा सहित वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की और निम्नलिखित को पाया:

7.1 आंतरिक संसाधनों का अपर्याप्त सृजन

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 229 (iv) आंतरिक संसाधनों के अधिकतम सृजन और अंततः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का समर्थन करता है।

2016-17 से 2020-21 के दौरान टी बोर्ड द्वारा प्राप्त कुल अनुदानों की तुलना में टी बोर्ड द्वारा सृजित आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन निम्नानुसार है:

तालिका 7.1: प्राप्त अनुदानों की तुलना में सृजित आईईबीआर

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रशासनिक गतिविधियों के लिए टी बोर्ड को प्राप्त अनुदान	आईईबीआर का सृजन	प्रशासनिक गतिविधियों के लिए प्राप्त कुल राजस्व	कुल राजस्व पर आईईबीआर का प्रतिशत (% में)
2016-17	5,274.00	591.25	5,865.25	10.08
2017-18	6,670.64	624.73	7,295.37	8.56
2018-19	6,805.50	940.05	7,745.55	12.14
2019-20	7,355.00	727.11	8,082.11	9.00
2020-21	6,550.00	706.11	7,256.11	9.73
कुल	32,655.14	3,589.25	36,244.39	9.90

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि टी बोर्ड 2016-17 से 2020-21 के दौरान आंतरिक संसाधनों से अपने कुल राजस्व का केवल 9.90 प्रतिशत सृजित करने में सक्षम था, जिससे पता चला कि बोर्ड अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए अधिकतर सरकारी अनुदान पर निर्भर है। इस प्रकार, वर्तमान परिदृश्य में, टी बोर्ड के लिए अपने प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पूरा करना मुश्किल है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (जून 2022) कर लिया और कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और चाय विनियमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आत्मनिर्भर हो गए थे।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि टी बोर्ड में राजस्व सृजन कुछ गतिविधियों जैसे लाइसेंसिंग/ पंजीकरण फीस, प्रमाणन, नीलामी और क्यूसीएल में परीक्षण प्रभार तक सीमित था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि टी बोर्ड किराये या सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी मोड के माध्यम से परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके अधिक आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन सृजित करने की योजना बना रहा था।

सिफारिश संख्या 19: टी बोर्ड को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में परिकल्पित आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए और अधिक क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए।

7.2 वित्तीय प्रबंधन में आंतरिक नियंत्रण की कमी

आंतरिक नियंत्रण वित्तीय और लेखा जानकारी की पूर्णता सुनिश्चित करने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक संगठन द्वारा तैयार किया गया तंत्र, नियम और प्रक्रियाएं हैं।

इस संबंध में अभिलेखों की संवीक्षा से अग्रिमों की वसूली में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में निम्नानुसार कमियों का पता चला:

- 31 मार्च 2021 तक "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत ₹18.62 लाख की राशि का प्रकटन किया गया था और ₹9.93 लाख की राशि को 'विविध अग्रिम' के अंतर्गत रखा गया था, जो पांच साल से वसूली के लिए लंबित था। टी बोर्ड के पास ऐसा कोई ब्यौरा नहीं था जिससे इस प्रकार की अग्रिम राशि वसूल की जा सके। ऐसी स्थिति में, बकाया अग्रिमों की वसूली/समायोजन की संभावना बहुत कम थी।
- बाजार संवर्धन योजना के अंतर्गत, ₹4.50 लाख की राशि के अग्रिम पांच साल से अधिक समय (2016-17 से) से वसूली के लिए लंबित थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि 2015-16 के बाद से उचंत अग्रिम में पड़े अग्रिम को कम किया जा रहा था। आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए बोर्ड के चिकित्सा व्यय को विनियमित करने, वालपराई भूमि का मुद्रीकरण, आंतरिक लेखापरीक्षा का आंतरिक संचालन आदि जैसे विभिन्न लागत कटौती के तरीके अपनाए गए थे।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया था।

7.3 आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र में अपर्याप्तता

टी बोर्ड के पास वित्त स्कंध के नियंत्रण के अधीन एक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभिन्न सब्सिडी योजनाओं अर्थात् पौधारोपण विकास योजना और गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना, मानव संसाधन विकास योजनाओं आदि से संबंधित सब्सिडी के संवितरण और लंबित देयता मामलों की जांच करती है। यह स्टॉक और स्टोर, बिल और अग्रिम, नकद और बैंक बुक, बैंक मिलान विवरण, कार को

किराए पर लेने और अन्य विविध अभिलेख जैसी विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों की जांच करता है।

लेखापरीक्षा ने टी बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित कमियों को पाया:

- (i) पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2016-17 से 2020-21 में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा 17 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में से 12 की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, जोरहाट और सिलचर में आरओ की पिछले पांच वर्षों में केवल एक बार लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अलावा, 2016-17 से 2020-21 के दौरान सभी 12 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा कभी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। **(अनुलग्नक -XIV)**।
- (ii) टी बोर्ड के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियम-पुस्तिका नहीं थी। टी बोर्ड ने टी बोर्ड के कार्यालयों की समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए न तो कोई लेखापरीक्षा योजना तैयार की और न ही कोई आवधिकता निर्धारित की।
- (iii) आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के लिए कोई स्वीकृत पद नहीं था और अक्टूबर 2020 तक कोई स्थायी कर्मचारी तैनात नहीं था। नवंबर 2020 में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध में एक स्थायी कर्मचारी तैनात किया गया था और आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध का कार्य टी बोर्ड के अन्य वर्गों के कर्मचारियों को नामित करके प्रबंधित किया गया था।

इसलिए, टी बोर्ड के पास अपने सभी कार्यालयों की नियमित रूप से लेखापरीक्षा करने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण का अभाव था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (जून 2022) कर लिया और भविष्य में एक आंतरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका/आंतरिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2022) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया था।

7.4 टी बोर्ड भारत द्वारा की गई कार्रवाई का फॉलोअप

वर्ष 2002-03 से 2008-09 की अवधि के लिए टी बोर्ड की गतिविधियों को शामिल करते हुए “भारत में चाय विकास में टी बोर्ड की भूमिका” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2011-12 की संख्या 10) में शामिल किया गया था। प्रतिवेदन में चाय की उत्पादकता और चाय निर्यात में गिरावट, टी बोर्ड की विनियामक भूमिका, निगरानी और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में चूक,

लागत में कमी, दीर्घकालिक स्थिरता और आंतरिक नियंत्रण आदि पर चिंता व्यक्त करते हुए कई सिफारिशों की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों पर टी बोर्ड भारत द्वारा की गई कार्रवाई की जांच की गई और यह पाया गया कि 10 वर्ष से अधिक की लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी टी बोर्ड भारत द्वारा लेखापरीक्षा की सिफारिशों पर सुधारात्मक कार्रवाई की जानी बाकी थी। सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति **अनुलग्नक-XV** में दी गई है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा 2011-12 के प्रतिवेदन संख्या 10 पर चर्चा की गई थी। लोक लेखा समिति द्वारा की गई अभ्युक्तियों/सिफारिशों को उनकी 65वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में प्रकाशित (फरवरी 2013) किया गया था। पीएसी ने 65वें प्रतिवेदन में निहित पीएसी की अभ्युक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपना 100वां प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा) भी प्रकाशित किया (फरवरी 2014)।

लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा का 65) में उल्लेख किया कि टी बोर्ड की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं की पूर्व पीएसी द्वारा जांच की गई थी और इसके निष्पादन में भारी कमियों को बार-बार इंगित किया गया था। समिति ने पाया कि ऐसी कमियों को दूर करने के लिए उनकी पूर्व सिफारिशों/अभ्युक्तियों के बावजूद सरकार बहुत आवश्यक सुधारात्मक तंत्र स्थापित नहीं कर पाई। पीएसी ने यह भी कहा कि यह टी बोर्ड की प्रणालीगत विफलता का लक्षण है और निस्संदेह इसकी कार्यप्रणाली में आत्मसंतोष की सीमा को उजागर करने के साथ-साथ चाय के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापार की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी तैयारी में अभाव को भी उजागर करता है, जो देश की रैंकिंग के दूसरे स्थान पर पहुँचने से परिलक्षित होता है, जिसमें भारत, जो लगभग एक सदी तक विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक था, उसको चीन ने पीछे छोड़ दिया।

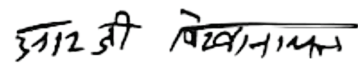
वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, पीएसी की अभ्युक्तियों/सिफारिशों पर टी बोर्ड और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई। यह पाया गया कि 1969-70 के बाद से पीएसी द्वारा पाए गए मामले जैसे सभी छोटे चाय उत्पादकों की गणना न करना, चाय की झाड़ियों का पुराना होना, उत्पादकता में गिरावट, अपर्याप्त पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण और वित्तपोषण, बंद चाय बागानों के पुनरुद्धार पर टी बोर्ड द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई, बाजार संवर्धन गतिविधियों के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण आदि अभी भी टी बोर्ड/मंत्रालय द्वारा प्रभावी समाधान के लिए प्रतीक्षारत थे। वर्तमान लेखापरीक्षा में पायी गई पीएसी की सिफारिशों/अभ्युक्तियों की स्थिति **अनुलग्नक-XVI** में दी गई है।

7.5 सार

लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण में कमियों को पाया। टी बोर्ड आंतरिक संसाधनों से पर्याप्त आय सृजित करने में विफल रहा और मुख्य रूप से सरकारी अनुदानों पर निर्भर था। लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन में अपर्याप्तता और टी बोर्ड में आंतरिक लेखापरीक्षा नियम-पुस्तिका की अनुपस्थिति देखी। लेखापरीक्षा ने पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2011-12 का प्रतिवेदन संख्या 10) में लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों पर, टी बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई की भी जांच की। इसके अतिरिक्त, उक्त प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई थी और लेखापरीक्षा द्वारा उनकी सिफारिशों की भी समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड भारत द्वारा लेखापरीक्षा और लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई की जानी शेष है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते समय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिकांश मामलों को स्वीकार कर लिया और आवश्यक अनुपालन का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली

दिनांक : 29 मार्च 2023



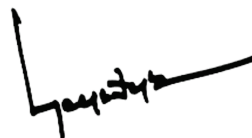
(आर जी विश्वनाथन)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 29 मार्च 2023



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक -I

(पैरा 1.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2021 को बोर्ड सदस्यों की सूची

क्रम सं	बोर्ड के सदस्यों का विवरण		
1.	श्री प्रभात कमल बेजबोरुआ	अध्यक्ष	चाय नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत नियुक्त
2.	उपाध्यक्ष, टी बोर्ड	पदेन सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ए) के तहत नियुक्त
प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व			
3.	सचिव, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता		सदस्य
4.	अपर निदेशक , उद्योग और वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला		सदस्य
5.	सरकार के सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई		सदस्य
6.	कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रधान सचिव, कृषि विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम		सदस्य
7.	सरकार के आयुक्त और सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, असम सरकार, गुवाहाटी		सदस्य
8.	प्रधान सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला		सदस्य
संसद का प्रतिनिधित्व			
9.	श्री राजू बिस्ता, संसद सदस्य, लोक सभा		सदस्य
10.	श्री होरेन सिंग बे, संसद सदस्य, लोक सभा		सदस्य
11.	श्रीमती शांता छेत्री, संसद सदस्य, राज्य सभा		सदस्य
चाय सम्पदा और बागानों के मालिकों तथा चाय के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करना			
12.	श्री बी कुमारन		सदस्य
13.	श्री बिपिन सिंगल, सचिव, लघु उद्योग भारती - उत्तर बंगाल इकाई, पश्चिम बंगाल		सदस्य

14.	श्रीमती डिकी ताशी वांगचुक	सदस्य
15.	श्री किशोरीलाल अग्रवाल	सदस्य
16.	अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ, कोलकाता	सदस्य
17.	अध्यक्ष, 'द यूनाइटेड प्लान्टर्स' दक्षिणी भारत संघ.	सदस्य
18.	रिक्त	सदस्य
19.	रिक्त	सदस्य
चाय सम्पदा और बागानों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना		
20.	महासचिव, असम चाह मजदूर संघ	सदस्य
21.	सुश्री वीणा श्रीवास्तव	सदस्य
22.	अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ, कोलकाता	सदस्य
23.	श्री जे रमन	सदस्य
24.	रिक्त	सदस्य
चाय के निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित डीलरों का प्रतिनिधित्व करना		
25.	श्री निधेश हसमुखलाल शाह	सदस्य
26.	रिक्त	सदस्य
चाय के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व		
27.	श्री भावेश रमेशभाई पटेल	सदस्य
28.	श्री पी मोहनन ताचुपुरमबिल	सदस्य
चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व		
29.	श्री रतन नंदलाल बिदादा	सदस्य
30.	संत श्री नानकदास महाराज	सदस्य
अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करना		
31.	डॉ. अशोक कुमार सक्सेना	सदस्य
32.	श्री सुनील किरवई भारतीय	सदस्य

अनुलग्नक -II

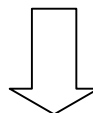
(पैरा 2.5 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा नमूना के रूप में टी बोर्ड भारत के कार्यालयों/ ईकाइयों का चयन:

I. प्रधान कार्यालय, कोलकाता

II. संवितरण प्राधिकरण के साथ आंचलिक कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय

क्रम सं.	इकाई का नाम
1	पूर्वोत्तर आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी
2	सिलीगुड़ी क्षेत्रीय कार्यालय
3	कुन्नूर आंचलिक कार्यालय
4	पालमपुर क्षेत्रीय कार्यालय



संवितरण प्राधिकारी वाले आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में किए गए अनुदान
संवितरण के अभिलेखों का चयन

क्रम सं.	सब्सिडी योजनाओं का नाम	सब्सिडी के मामलों की संख्या	लेखापरीक्षा किए गए सब्सिडी मामलों की संख्या	नमूनाकरण पद्धति
क.	मानव संसाधन विकास	18,380	368	सब्सिडी संवितरण के 2% मामलों का चयन किया जाता है।
ख.	पौधारोपण विकास योजना	8,896	178	सब्सिडी संवितरण के 2% मामलों का चयन किया जाता है।
ग.	गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना	2,038	102	सब्सिडी संवितरण के 5% मामलों का चयन किया जाता है।
घ.	जनजातीय क्षेत्र उप योजना	1,889	94	सब्सिडी संवितरण के 5% मामलों का चयन किया जाता है।
ड.	अनुसूचित जाति उप योजना	1,601	80	सब्सिडी संवितरण के 5% मामलों का चयन किया जाता है।
	कुल	32,804	822	

संवितरण प्राधिकारी रहित क्षेत्रीय कार्यालयों को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया:

क्रम सं	क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम	आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय को नियंत्रित करना	अभिलेख के चयन के लिए मानदंड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, तेजपुर	आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी	कार्यालयों की परिचालन गतिविधियों के संबंध में प्रासंगिक अभिलेख ।
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, जोरहाट		
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, डिब्रूगढ़		
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, गोलाघाट		
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, पीरमेड	आंचलिक कार्यालय, कुन्नूर	
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, गुडालुर		
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, जलपाईगुड़ी	क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी	
8.	क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	प्रधान कार्यालय, कोलकाता	

III. चाय अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयाँ

क्रम सं	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का नाम
1	अनुसंधान कार्यालय, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, सिलीगुड़ी
2	अनुसंधान कार्यालय, दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र, कुर्सियांग

अनुलग्नक -III

(पैरा 3.2.1 और 3.2.2 में संदर्भित)

31.03.2021 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान चिन्हित और पंजीकृत चाय उत्पादकों का विवरण

क. छोटे चाय उत्पादक:

राज्य	31.03.2017 को		31.03.2018 को		31.03.2019 को		31.03.2020 को		31.03.2021 को	
	चिन्हित	पंजीकृत	चिन्हित	पंजीकृत	चिन्हित	पंजीकृत	चिन्हित	पंजीकृत	चिन्हित	पंजीकृत
असम	84,577	67,825	87,675	68,143	1,07,371	84,327	1,01,085	75,785	1,18,754	76,024
मेघालय	644	570	749	609	749	609	644	240	777	240
त्रिपुरा	2,766	2,447	2,768	2,447	2,768	2,447	2,766	831	2,886	831
पश्चिम बंगाल और बिहार	7,121	6,802	16,675	7,259	21,701	7,259	40,865	22,605	34,808	29,061
हिमाचल प्रदेश	1,166	1,097	1,166	1,097	1,166	1,097	1,526	272	1,166	454
उत्तराखंड	284	282	1,012	310	1,012	310	3,150	210	1,448	332
मिजोरम	364	364	365	364	365	364	364	-	644	-
अरुणाचल प्रदेश	1,039	-	3,309	-	3,309	-	1,690	-	3,526	-
नागालैंड	3,352	-	3,352	-	3,352	-	3,354	1,721	3,335	1,721
मणिपुर	489	-	489	-	489	-	489	-	484	-
तमिलनाडू	44,181	25,029	45,516	28,982	46,614	30,679	45,765	22,943	46,997	25,516
केरल	7,335	3,215	7,552	3,635	8,458	3,898	8,497	3597	7,921	3,621
कुल योग	1,53,318	1,07,631	1,70,628	1,12,846	1,97,354	1,30,990	2,10,225	1,28,204	2,22,746	1,37,800

ख. बड़े उत्पादक:

राज्य	31.03.2017 को		31.03.2018 को		31.03.2019 को		31.03.2020 को		31.03.2021 को	
	चिन्हित	पंजीकृत	चिन्हित	पंजीकृत	चिन्हित	पंजीकृत	चिन्हित	पंजीकृत	चिन्हित	पंजीकृत
असम	767	752	767	752	765	753	765	754	758	750
पश्चिम बंगाल	359	338	446	338	451	347	451	348	457	352
त्रिपुरा	55	50	53	50	52	44	52	44	52	49
अरुणाचल प्रदेश	1	1	36	1	28	28	28	28	30	30
सिक्किम	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
मेघालय	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
बिहार	1	1	5	1	6	4	6	4	7	5
हिमांचल प्रदेश	27	26	16	16	15	15	15	15	15	15
मिजोरम	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
उत्तराखंड	11	8	8	8	4	3	4	3	6	6
मणिपुर	0	0	2	0	1	1	1	1	1	1
नागालैंड	0	0	2	0	1	0	1	0	1	1
तमिलनाडू	136	123	136	123	133	133	133	133	133	133
केरल	91	90	91	90	93	92	93	92	93	92
कर्नाटक	19	18	19	18	16	16	16	16	16	16
कुल योग	1,472	1,412	1,585	1,401	1,569	1,440	1,569	1,442	1,573	1,454

अनुलग्नक -IV
(पैरा 3.3.2 में संदर्भित)

संशोधित लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं होने से राजस्व में अंतर का नुकसान

क्रम सं	लाइसेंस विवरण	पुरानी दर (₹ में)	संशोधित दर (₹ में)	राशि में अंतर (₹ में)	जारी किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या	लाइसेंस शुल्क में अंतर से नुकसान (₹ में)
क	ख	ग	घ	ङ = (घ - ग)	च	ज = (ङ x च)
1.	चाय अपशिष्ट (ताजा)	100	3,300	3,200	376	12,03,200
2.	चाय अपशिष्ट (नवीकरण)	50	3,300	3,250	917	29,80,250
कुल						41,83,450

अनुलग्नक -V

(पैरा 3.4.2 में संदर्भित)

उत्पादित चाय की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए चाय अधिनियम, टीएमसीओ और अन्य नियंत्रण आदेशों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की जांच/सत्यापन के लिए 2016-17 से 2020-21 के दौरान चाय कारखानों के निरीक्षण के संबंध में विवरण

वर्ष	चाय कारखानों की कुल संख्या	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	एकत्र किए गए नमूने की कुल संख्या	नमूने के परीक्षण में कमी (%) में)	कारखानों के नमूने की संख्या कहाँ से एकत्र की गई	विफल नमूने की संख्या	नमूने का % विफल रहा
क	ख	ग=ख x 2	घ	ङ = (ग-घ)/ग X 100	च	ज	झ=ज/घ X 100
2016-17	1,216	2,432	117	95.19	28	68	58.12
2017-18	1,216	2,432	391	83.92	298	186	47.57
2018-19	1,216	2,432	329	86.47	232	88	26.75
2019-20	1,216	2,432	98	95.97	55	31	31.63
2020-21	1,216	2,432	72	97.04	70	10	13.89

अनुलग्नक -VI

(पैरा 4.3.1 में संदर्भित)

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान चाय की खेती के तहत राज्यवार क्षेत्रफल, चाय का उत्पादन और उत्पादकता

राज्य	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21		
	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)	उत्पादकता (मिलियन कि.ग्रा.)
असम	2,82,049	657.24	2,330	3,19,355	676.31	2,118	3,37,690	701.34	2,077	3,37,690	695.38	2,059	3,37,690	626.23	1,854
त्रिपुरा	8,360.44	9.46	1,132	8,453.2	8.72	1,032	8,311.33	8.62	1037	8,311.33	8.94	1,076	8,311.33	8.21	988
मेघालय	505.07	0.52	1,030	1,011.12	0.47	465	1,007.34	0.56	556	1,007.34	0.49	486	1,007.34	0.43	427
मिजोरम	482.78	-	-	482.78	-	0	197.8	0	0	197.8	-	0	197.8	-	0
नागालैंड	22,766.6	0.81	36	8125	1.24	153	22,972.3	1.68	73	22,972.3	1.8	78	22,972.3	1.52	66
मणिपुर	1,382.61	-	-	1,795.05	-	0	1,695.05	0	0	1,695.05	-	0	1,695.05	-	0
अरुणाचल प्रदेश	8,915.7	12.14	1,362	1,0623	11.16	1,051	7,223.73	11.67	1,616	7,223.73	11.9	1,647	7,223.73	10.81	1,496
सिक्किम	196	-	-	182.6	0.12	657	186.39	0.09	483	186.39	0.09	483	186.39	0.07	376
बिहार	4,424	4.78	1,080	4,502.53	4.65	1,033	4,007.37	5.04	1,258	4,007.37	5.25	1,310	4,007.37	6.33	1,580

हिमांचल प्रदेश	2,525.33	0.76	301	1,305.05	0.85	651	1,337.48	0.78	583	1,337.48	0.93	695	1,337.48	1.09	815
उत्तराखंड	2,958.18	0.01	3	2,634.18	0.02	8	2,878.19	0.02	7	2,878.19	0.02	7	2,878.19	0.06	21
पश्चिम बंगाल	1,42,092	357.39	2,515	1,39,594	387.86	2,778	1,48,122	394.23	2,662	1,48,122	415.89	2,808	1,48,122	396.05	2,674
तमिलनाडू	62,419	143.67	2,302	62,930.7	164.4	2,612	62,885.1	160.15	2,547	62,885.1	156	2,481	62,885.1	160.04	2,545
केरला	36,184.2	58.61	1,620	36,473.3	63.88	1,751	35,871.2	60.76	1,694	35,871.2	59.26	1,652	35,871.2	66.85	1,864
कर्नाटका	2,216.14	5.1	2,301	2,216.14	5.37	2,423	2,171.74	5.1	2,348	2,171.74	4.86	2,238	2,171.74	5.34	2,459
संपूर्ण भारत	5,77,477	1,250.49	2,165	5,99,684	1,325.05	2,210	6,36,557	1,350.04	2,121	6,36,557	1,360.81	2,138	6,36,557	1,283.03	2,016

अनुलग्नक -VII

(पैरा 4.4.2 में संदर्भित)

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बड़े उत्पादकों (बी जी) और छोटे चाय उत्पादकों (एस टी जी) को पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण के लिए दी गयी सब्सिडी का वर्षवार विवरण

वर्ष	बड़े उत्पादकों को दी गयी सब्सिडी			छोटे चाय उत्पादकों को दी गयी सब्सिडी			कुल दी गयी सब्सिडी		
	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	धनराशि (₹ लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	धनराशि (₹ लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	धनराशि (₹ लाख में)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii) = (ii) + (v)	(ix) = (iii) + (vi)	(x) = (iv) + (vii)
2016-17	250	2,424.62	3,168.04	26	2.50	47.25	276	2,427.12	3,215.29
2017-18	167	1,616.78	2,533.68	81	49.31	151.04	248	1,666.09	2,684.72
2018-19	95	1,193.09	2,087.77	24	14.67	30.75	119	1,207.76	2,118.52
2019-20	274	756.4	2,403.7	42	19.23	24.96	316	775.63	2,428.66
2020-21	427	3,294.38	6,109.02	130	41.86	168.40	557	3,336.24	6,277.42
कुल	1,213	9,285.27	16,302.21	303	127.57	422.40	1,516	9,412.84	16,724.61

अनुलग्नक -VIII

(पैरा 4.4.2.1 (क)(i) में संदर्भित)

उन संपदाओं के नाम जिनका निर्मूल होने की तिथि से 36 महीने के भीतर पुनर्रोपण पूरा नहीं किया गया

क्रम सं	संपदा का नाम	योजना	आवेदन का वर्ष	सब्सिडी राशि (₹ लाखों में)
1	मोकरंग टी एस्टेट	पीडीएस	2013-14	5.70
2	लेपेटकट्टा टी एस्टेट	पीडीएस	2010-11	5.38
3	सेवपुर टी एस्टेट	पीडीएस	2010-11	6.66
4	अभ्यजन टी एस्टेट	पीडीएस	2013-14	5.15
5	कसौजन टी एस्टेट	पीडीएस	2011-12	6.27
कुल				29.16

अनुलग्नक -IX

(पैरा 4.4.2.1 (ख) में संदर्भित)

उन संपदाओं के नाम जिन पर ₹10,000 से अधिक पीएफ बकाया था

क्रम सं	नाम	योजना	आवेदन का वर्ष	सब्सिडी राशि (₹ लाख में)	वितरण का वर्ष
आंचलिक कार्यालय, कुन्नूर					
1	दी बॉम्बे बर्मन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अनईमुदी टीई)	पीडीएस	2013-14	3.91	2019-20
2	दी बॉम्बे बर्मन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मुकोट्टुमुदी टीई)	पीडीएस	2013-14	4.35	2019-20
3	कटारी एस्टेट	पीडीएस	2014-15	6.22	2017-18
4	कटारी एस्टेट	पीडीएस	2015-16	30.40	2019-20
5	मेलूर एस्टेट	पीडीएस	2014-15	6.59	2017-18
6	पार्कसाइड एस्टेट	पीडीएस	2016-17	1.83	2020-21
7	ग्रैनबी एस्टेट	पीडीएस	2012-13	2.36	2018-19
क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी					
8	रिंगटनग टी एस्टेट	पीडीएस	2014-15	54.13	2020-21
9	दालसिंगपारा टी एस्टेट	पीडीएस	2011-12	49.36	2019-20
10	दालसिंगपारा टी एस्टेट	पीडीएस	2012-13	93.67	2020-21
11	कादंबिनी टी एस्टेट	पीडीएस	2011-12	29.98	2017-18
12	धोवलाझोरा टी एस्टेट	पीडीएस	2015-16	86.08	2020-21
13	मुजनई टी एस्टेट	पीडीएस	2011-12	47.73	2018-19
कुल				416.61	

अनुलग्नक -X
(पैरा 4.5.2 (ग) में संदर्भित)

क्यूयूपीडीएस सब्सिडी भुगतान मामलों में ₹10,000 से अधिक पीएफ बकाया है

क्रम सं.	नाम	आवेदन का वर्ष	सब्सिडी राशि (₹ लाख में)	संवितरण का वर्ष
1	देवशोला एस्टेट टी फैक्टरी	2015-16	13.75	2017-18
2	थेंगाकल एस्टेट टी फैक्टरी	2008-09	17.26	2016-17
3	थेंगाकल एस्टेट टी फैक्टरी	2009-10	10.06	2017-18
4	ग्रैनबी एस्टेट टी फैक्टरी	2009-10	50.00	2016-17
	कुल		91.07	

अनुलग्नक -XI

(पैरा 4.5.4 (घ) में संदर्भित)

उन कारखानों के नाम जिन्होंने परंपरागत चाय उत्पादन योजना के तहत सब्सिडी जारी करते समय नवीनतम पीएफ चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं की थी

क्रम सं...	कारखाने / एस्टेट का नाम	वर्ष	सब्सिडी राशि (₹ लाख में)
1	बर्नसाइड एस्टेट टी फैक्टरी	2017-18	6.90
2	सेंटिनल रॉक एस्टेट टी फैक्ट्री	2018-19	4.76
3	आईबेक्स लॉज टी फैक्ट्री	2018-19	2.71
4	तालापोया एस्टेट टी फैक्ट्री	2019-20	14.22
5	थेंगाकल एस्टेट टी फैक्टरी	2019-20	10.13
6	कटारी एस्टेट टी फैक्ट्री	2019-20	32.42
7	हाईफील्ड टी फैक्ट्री	2020-21	5.11
8	आरापेट्टा एस्टेट टी फैक्टरी	2020-21	29.76
9	अय्यरपडी एस्टेट टी फैक्ट्री	2020-21	7.63
10	लॉकहार्ट एस्टेट टी फैक्टरी	2020-21	16.92
11	ऊथू एस्टेट टी फैक्टरी	2020-21	4.21
12	येल्लापट्टी एस्टेट टी फैक्ट्री	2020-21	7.95
	कुल		142.72

अनुलग्नक -XII
(पैरा 4.5.4 (ड) में संदर्भित)

उन कारखानों के नाम जिनके पास परंपरागत चाय उत्पादन योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन के समय ₹10,000 से अधिक पीएफ बकाया था

क्रम सं..	नाम	सब्सिडी राशि (₹ लाख में)	संवितरण का वर्ष
1	अनाइमुडी एस्टेट टी फैक्ट्री	0.41	2017-18
2	अनाई मुडी एस्टेट टी फैक्ट्री	3.61	2018-19
3	अनाई मुडी एस्टेट टी फैक्ट्री	1.53	2019-20
4	बर्नसाइड एस्टेट टी फैक्टरी	6.90	2017-18
5	बर्नसाइड एस्टेट टी फैक्टरी	6.91	2018-19
6	बर्नसाइड एस्टेट टी फैक्टरी	11.92	2019-20
7	बर्नसाइड एस्टेट टी फैक्टरी	19.64	2020-21
8	कैरोलिन एस्टेट टी फैक्टरी	1.41	2020-21
9	कुन्नूर एस्टेट टी फैक्ट्री	26.52	2019-20
10	देवशोला एस्टेट टी फैक्ट्री	8.51	2018-19
11	देवशोला एस्टेट टी फैक्ट्री	15.71	2019-20
12	देवशोला एस्टेट टी फैक्ट्री	29.87	2020-21
13	डन्संडल टी फैक्ट्री	10.91	2018-19
14	डन्संडल टी फैक्ट्री	21.84	2019-20
15	डन्संडल टी फैक्ट्री	33.44	2020-21
16	ग्लेनडेल एस्टेट टी फैक्टरी	34.02	2018-19
17	ग्लेनडेल एस्टेट टी फैक्टरी	50.10	2019-20
18	अय्यरपडी एस्टेट टी फैक्ट्री	5.81	2019-20
19	कटारी एस्टेट टी फैक्ट्री	27.95	2018-19
20	कटारी एस्टेट टी फैक्ट्री	32.42	2019-20
21	कटारी एस्टेट टी फैक्ट्री	21.46	2020-21
22	कैरबेटा एस्टेट टी फैक्ट्री	32.85	2020-21
23	कोटड़ा एस्टेट टी फैक्ट्री	8.82	2018-19
24	कोटड़ा एस्टेट टी फैक्ट्री	23.73	2020-21
25	मेलूर एस्टेट टी फैक्ट्री	10.62	2019-20
26	मेलूर एस्टेट टी फैक्ट्री	15.89	2020-21
27	मेफील्ड एस्टेट चाय फैक्टरी	37.37	2020-21

28	नॉनसच एस्टेट टी फैक्ट्री	1.87	2019-20
29	नॉनसच एस्टेट टी फैक्ट्री	3.72	2020-21
30	पचाईमल्लई टी फैक्ट्री	3.12	2018-19
31	पचाईमल्लई टी फैक्ट्री	11.96	2019-20
32	पचाईमल्लई टी फैक्ट्री	22.49	2020-21
33	पार्कसाइड एस्टेट टी फैक्ट्री	41.85	2018-19
34	पार्कसाइड एस्टेट टी फैक्ट्री	20.36	2020-21
35	थाई मुड़ी टी फैक्ट्री	3.81	2018-19
36	थाई मुड़ी टी फैक्ट्री	4.55	2019-20
37	थाई मुड़ी टी फैक्ट्री	11.72	2020-21
38	वेल्बेक टी एस्टेट	3.48	2017-18
39	वेल्बेक टी एस्टेट	8.12	2019-20
40	वेल्बेक टी एस्टेट	5.46	2020-21
41	वेंटवर्थ एस्टेट टी फैक्ट्री	37.82	2017-18
42	वेंटवर्थ एस्टेट टी फैक्ट्री	50.06	2020-21
43	थेंगाकल एस्टेट टी फैक्ट्री	8.49	2016-17
44	थेंगाकल एस्टेट टी फैक्ट्री	1.01	2018-19
45	थेंगाकल एस्टेट टी फैक्ट्री	17.64	2019-20
46	थेंगाकल एस्टेट टी फैक्ट्री	20.92	2020-21
	कुल	778.62	

अनुलग्नक -XIII
(पैरा 4.6.2 में संदर्भित)
एचआरडी योजना के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं..	उप-घटक	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21
		लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	
1	स्वच्छ पेयजल (चाय बागान श्रमिकों के परिवारों की संख्या)	1,00,000	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	लागू नहीं
2	चिकित्सा उपकरण, सामान, एम्बुलेंस और पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक क्षेत्र में बिस्तरों का आरक्षण (संख्या)	20	4	20	24	34	142	25	0	0	27	25	93	लागू नहीं
3	चाय बागान श्रमिकों पर निर्भर दिव्यांगजन की सहायता / विशेष अस्पतालों में हृदय और कैंसर रोगियों के विशेष मामलों को प्रायोजित करना (संख्या)	500	3	1	40	5	13	50	1	2	60	0	0	लागू नहीं
4	शैक्षिक वजीफा/नेहरू पुरस्कार (संख्या)	1,500	5,748	383	7,800	4,612	59	9,000	3,012	33	10,200	3,826	38	लागू नहीं
5	श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल किट सहित पुस्तक और वर्दी अनुदान (संख्या)	9,000	541	6	1,800	419	23	2,000	369	18	2,200	559	25	लागू नहीं

क्रम सं..	उप-घटक	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21
		लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	
6	आईआईटी/आईआईएम/सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और छात्रावास शुल्क - श्रमिकों के बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक में सीटों का आरक्षण (संख्या)	10	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	लागू नहीं
7	स्काउट्स और गाइड तथा खेल गतिविधियों के लिए सहायता (संख्या)	30	7	23	400	230	58	400	5	1	400	83	21	लागू नहीं
8	स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी नए कौशल / सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु श्रमिकों के लिए अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण	5,000	186	4	4	7	175	4	1	25	4	2	50	लागू नहीं
9	चाय बागान श्रमिकों के साथ-साथ उनके बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी उपायों को उजागर करने के लिए जागरूकता अभियान (अभियानों की संख्या।)	30	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	लागू नहीं
10	आईआईपीएम के सहयोग से प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए	5	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	लागू नहीं

क्रम सं..	उप-घटक	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21
		लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (% में)	
	अल्पकालिक कार्यकारी कार्यक्रम (संख्या)													
11	आईआईपीएम/टीआरए/यूपीएसआई केवीके/प्रमुख उत्पादक संघों/कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से बैठकें/सेमिनार (संख्या)	5	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	लागू नहीं

अनुलग्नक -XIV
(पैरा 7.3 (i) में संदर्भित)
टी बोर्ड में किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण

कार्यालय/इकाई का नाम	लेखापरीक्षा के तहत कवर की गई अवधि	वह तारीख जिस पर आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई	क्या आंतरिक लेखापरीक्षा विंग / बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित किया गया हो	क्या आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा के साथ साझा की गई है
आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी	2016-17	-	बाहरी अभिकरण	नहीं
	2017-18	-	बाहरी एजेंसी	नहीं
	01.04.2018 to 30.09.2019 (एससीएसपी और टीएसपी)	14.10.2019 to 25.10.2019	आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध.	हाँ
	2018-19 (योजनाबद्ध और योजना रहित)	08.07.2019 to 25.07.2019	आंतरिक लेखापरीक्षा विंग.	हाँ
	2020-21 (योजना)	13.09.2021 to 28.09.2021	आंतरिक लेखापरीक्षा विंग.	हाँ
	2017-18 & 2018-19	-	आंतरिक लेखापरीक्षा विंग	हाँ
आंचलिक कार्यालय, कुन्नूर				

कार्यालय/इकाई का नाम	लेखापरीक्षा के तहत कवर की गई अवधि	वह तारीख जिस पर आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई	क्या आंतरिक लेखापरीक्षा विंग / बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित किया गया हो	क्या आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा के साथ साझा की गई है
	2020-21 (योजना)	13.09.2021 to 27.09.2021	आंतरिक लेखापरीक्षा विंग. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को एचओ द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।	हाँ
क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी	2016-17 (योजना और गैर-योजना)	06.06.2016 to 10.06.2016	बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा (आरपी बूबना एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म)	हाँ (केवल सारांश)
	2019-20 (योजना और गैर-योजना)	06.03.2020 to 13.03.2020	आंतरिक लेखापरीक्षा विंग	हाँ
	2020-21 (योजना)	13.09.2021 to 28.09.2021	आंतरिक लेखापरीक्षा विंग. लेखापरीक्षा रिपोर्ट को एचओ द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।	हाँ
क्षेत्रीय कार्यालय, पालमपुर	2014-15 to 2016-17	2016-17	आंतरिक लेखापरीक्षा विंग.	नहीं
	2017-18 to नवंबर 2019	2019-20		नहीं
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	2016-17	-	आंतरिक लेखापरीक्षा विंग.	नहीं
	2017-18	-	- वही -	नहीं
	2018-19	10.01.2019 to 17.01.2019	- वही -	हाँ
	2020-21	-	ऑनलाइन, आंतरिक लेखापरीक्षा विंग.	नहीं

कार्यालय/इकाई का नाम	लेखापरीक्षा के तहत कवर की गई अवधि	वह तारीख जिस पर आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई	क्या आंतरिक लेखापरीक्षा विंग / बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित किया गया हो	क्या आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा के साथ साझा की गई है
	(गैर-योजना)			
क्षेत्रीय कार्यालय, जोरहाट	2020-21	-	ऑनलाइन, आंतरिक लेखापरीक्षा विंग	नहीं
क्षेत्रीय कार्यालय, सिलचर	2020-21	-	ऑनलाइन, आंतरिक लेखापरीक्षा विंग.	नहीं

अनुलग्नक -XV
(पैरा 7.4 में संदर्भित)

"भारत में चाय विकास में टी बोर्ड की भूमिका" पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2011-12 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 10 में की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति

क्रम सं.	सिफारिशें	की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
1.	टी बोर्ड सभी छोटे चाय उत्पादकों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि चाय व्यवसाय में सभी हितधारक समय पर अपेक्षित और पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें जिसका उपयोग टी बोर्ड द्वारा चाय अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेहतर विनियमन के लिए किया जा सके।	कई वर्षों के अंतराल के बाद भी, 38 प्रतिशत छोटे चाय उत्पादक चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत टी बोर्ड की अपेक्षित अनुमति के बिना अभी भी चाय की खेती जारी रखे हुए थे, जैसा कि पैरा 3.2.1 में चर्चा की गई है। टी बोर्ड के पास चाय की गुणवत्ता की निगरानी करने और पौध संरक्षण संहिता के अनुसार कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए चाय बागानों/कारखानों का निरीक्षण करने के लिए कोई निर्धारित योजना नहीं थी, जैसा कि पैरा 3.4.1 और 3.4.2 में चर्चा की गई है।
2.	टी बोर्ड भारत में चाय की घटती उत्पादकता की गंभीर स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण अपना सकता है और कार्यक्रमों, योजनाओं, वितरण तंत्रों और बहुत अधिक	पिछले कुछ वर्षों में समग्र उत्पादकता में कमी आई है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि बड़े उत्पादकों की उत्पादकता, छोटे चाय उत्पादकों की तुलना में बहुत कम थी। बड़े उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों के बीच

क्रम सं.	सिफारिशें	की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
	वित्तीय परिव्यय के नये स्वरूप जैसे प्रमुख संरचनात्मक और कार्यनीतिक निर्णय ले सकता है। प्रलेखन को व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ समग्र योजना कार्यान्वयन दोनों के लिए मजबूत किया जा सकता है। समय पर निरीक्षण किया जा सकता है और संवितरित सब्सिडी के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है।	उत्पादकता में उल्लेखनीय अंतर को बड़े उत्पादकों की चाय के पौधों की पुरानी फसल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसा कि पैरा 4.3.1 और 4.3.2 में बताया गया है।
3.	परंपरागत सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी जारी करने की शर्तों में से एक के रूप में परंपरागत चाय के उत्पादन में स्पष्ट वृद्धि निर्धारित की जा सकती है। परंपरागत चाय की प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्यूयूपीडी योजना के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। उपचारात्मक उपायों के लिए सब्सिडी के भुगतान के बाद भी गुणवत्ता में गिरावट के कारणों का विश्लेषण करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सकता है।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्यम अवधि फ्रेमवर्क के दौरान, परंपरागत चाय उत्पादन के लिए प्रोत्साहन बंद कर दिया गया था। इसके अलावा, क्यूयूपीडीएस और परंपरागत चाय उत्पादन योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां पाई गईं, जो टी बोर्ड में कमजोर निगरानी तंत्र को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त, टी बोर्ड ने चाय उत्पादन की गुणवत्ता में गिरावट के कारण का विश्लेषण करने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया है। जैसा की पैरा 4.5 में चर्चा की गई है।
4.	टी बोर्ड को लागत में कमी के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए	टी बोर्ड ने लागत में कमी के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई कार्यनीति/लागत अध्ययन प्रणाली तैयार नहीं की है। आईआईपीएम,

क्रम सं.	सिफारिशें	की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
	उन क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए लागत अध्ययन की एक उपयुक्त प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है।	बैंगलुरु को उत्पादन लागत पर एक अध्ययन करने के लिए संलग्न किया गया था। अपनी रिपोर्ट (मार्च 2018) में, आईआईपीएम, बैंगलुरु ने चाय उत्पादक कंपनियों के लिए हरी पत्तियों और बनी चाय के उत्पादन की लागत का लेखापरीक्षित डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य करने की सिफारिश की, जो भविष्य में उत्पादन लागत पर वित्तीय प्रोत्साहन / सब्सिडी आदि के लिए निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, टी बोर्ड द्वारा ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया था। इस प्रकार, टी बोर्ड ने लागत में कमी के कारणों की पहचान करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कोई पहल नहीं की। जैसा की पैरा 4.9.1 और 4.9.2 में चर्चा की गई है।
5.	टी बोर्ड चाय अनुसंधान के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक जनशक्ति और अन्य संसाधन प्रदान कर सकता है, जबकि विकसित/ हस्तांतरित / व्यावसायीकृत और पेटेंट किए गए पत्रों और प्रौद्योगिकी के प्रभाव कारक के साथ प्रकाशित पत्रों के संदर्भ में प्रभावशीलता सुनिश्चित कर सकता है। टी बोर्ड यूपीएसआई और टीआरए जैसी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड के स्वामित्व वाले दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केन्द्र (डीटीआरडीसी) में अपर्याप्त वित्तीय सहायता और वैज्ञानिक जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण अनुसंधान गतिविधियों में कमी थी। यह भी देखा गया कि यद्यपि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान टीआरए और यूपीएसआई-टीआरएफ को ₹6,662.48 लाख जारी किए गए थे, लेकिन इन संस्थानों द्वारा किए

क्रम सं.	सिफारिशें	की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
	बाहरी अनुसंधान संस्थाओं द्वारा खर्च किए गए धन की जवाबदेही सुनिश्चित करने और आईटी-पोर्टल की ई-कॉमर्स पहल के उपयोगी/प्रभावी कार्यान्वयन और जारी रखने के लिए उद्योग की औपचारिक प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित कर सकता है।	गए अनुसंधान गतिविधियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए टी बोर्ड द्वारा न तो कोई तकनीकी लेखापरीक्षा और न ही कोई वित्तीय लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी, और इन संस्थानों द्वारा खर्च किए गए धन की जवाबदेही पैरा 5.2 और 5.3.2 में उल्लिखित है।
6.	टी बोर्ड निर्यातकों के लिए निर्यात में वृद्धि के लिए मात्रात्मक मानदंड निर्धारित कर सकता है ताकि वे किसी प्रोत्साहन/सहायता के लिए पात्र हो सकें और समर्थन गतिविधियों के प्रभाव/परिणाम का आकलन कर सकें। निर्यातकों की रेटिंग प्रणाली को लागू करने और लोगों नियमों को तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यातक गुणवत्ता में निर्धारित मानदंड का पालन करें। बोर्ड उपयुक्त मानदंड निर्धारित करके अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में चाय संवर्धन पर अपनी सभी विपणन और संवर्धन गतिविधियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकता है।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्यातकों द्वारा निर्यात की मात्रा के संदर्भ में कोई मानदंड निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं था जिससे उन्हें X। योजना अथवा मध्यम अवधि के ढांचे में सबसिडी प्रदान करने के लिए पात्र बनाया जा सके। जैसा की पैरा 6.6.1 में चर्चा की गई है।

क्रम सं.	सिफारिशें	की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
7.	संगठन की गतिविधियों के स्तर के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत किया जा सकता है। टी बोर्ड अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त और पेशेवर रूप से योग्य जनशक्ति प्रदान करने के मुद्दे का समाधान कर सकता है।	लेखापरीक्षा ने टी बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र में अपर्याप्तताओं को पाया जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली का अस्तित्व न होना, टी बोर्ड के अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन न करना, आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए जनशक्ति की अनुपस्थिति, जैसा कि पैरा 7.3 में बताया गया है।

अनुलग्नक -XVI
(पैरा 7.4 में संदर्भित)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 10 के आधार पर 'भारत में चाय विकास में टी बोर्ड की भूमिका' पर अपनी 65 वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
1	टी बोर्ड के कामकाज के विभिन्न पहलुओं की जांच पूर्व पीएसी द्वारा की गई थी और इसके प्रदर्शन में भारी कमियों को बार-बार इंगित किया गया था। समिति ने पाया कि ऐसी कमियों को दूर करने के लिए उनकी पूर्व की सिफारिशों/टिप्पणियों के बावजूद, सरकार अति आवश्यक सुधारात्मक तंत्र स्थापित करने में सक्षम नहीं रही है। पीएसी ने अपनी 65वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में पाया कि पीएसी (1969-70) और पीएसी (1987-88) ने विकासशील देशों के उभरते बाजारों में विस्तार के लिए वैकल्पिक बाजारों के विकास और अन्वेषण की सिफारिशें की थीं। निर्यात संवर्धन के लिए व्यापार, विदेशों में चाय केंद्रों के कामकाज की समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन विशेष रूप से दार्जिलिंग चाय के लिए प्रोत्साहन, चाय के लिए उत्पाद विविधीकरण और मूल्यवर्धन, चाय पर शोध कार्य में	लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि टी बोर्ड घरेलू चाय बूटीक स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में विफल रहा जिसकी चर्चा पैरा 6.4.1 में की गई है। इसके अलावा, बड़े उत्पादकों के कुल चाय खेती क्षेत्रों का 46 प्रतिशत आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था क्योंकि चाय के पौधे 40 वर्ष से अधिक पुराने और व्यावसायिक रूप से अनुत्पादक पाए गए, जैसा कि पैरा 4.3.4 में चर्चा किया गया है। इसके अलावा, चाय विशेष रूप से दार्जिलिंग चाय से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों पर टी बोर्ड द्वारा पर्याप्त ध्यान

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	वृद्धि और व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए बागानमालिकों को इसके परिणामों का प्रसार, चाय की समीक्षा चाय उद्योग की मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक सुधार की आवश्यकता जो चाय के बागान के लिए वास्तविक धनराशि की जरूरतों का वास्तविक आकलन करने में सरकार की विफलता और पुनर्रोपण सुनिश्चित करने में भी विफलता , सब्सिडी के पूरे प्रश्न की समीक्षा के प्रतिरूप उद्योग के आगे विकास के संबंध आदि के कारण प्रभावित हुई थी। समिति ने पाया कि इनमें से कई टिप्पणियां समान रूप से प्रासंगिक हैं और उनके वर्तमान निष्कर्षों के समान हैं। यह टी बोर्ड की प्रणालीगत विफलता का सूचक है और निस्संदेह इसके कामकाज में व्याप्त शिथिलता की सीमा को दर्शाता है, जबकि चाय के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापार की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी तैयारी भी उजागर करता है। भारत लगभग 100 वर्षों से चाय उत्पादन में अग्रणी रहने के बाद चीन द्वारा पीछे करने के कारण भारत अब दूसरे स्थान पर पहुँच गया है।	नहीं दिया गया था क्योंकि इसके लिए धन और जनशक्ति की कमी थी, जैसा कि पैरा 5.3.2 में वर्णित है।
2	समिति चाय की उत्पादकता में 1997 में 1865 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर 2008 में 1663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाने	लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि भारत में चाय की उत्पादकता चीन, श्रीलंका और जापान की तुलना में काफी

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएससी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	पर ध्यान देने के लिए चिंतित है, श्रीलंका और मॉरीशस जैसे देशों की तुलना में पिछले दशक में भारतीय चाय की कीमतों में लगातार गिरावट आई है, उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ भारत में विश्व के चाय उत्पादन देशों में उत्पादन की उच्चतम लागत है और एकमात्र देश है जहां बिक्री की लागत नीलामी की वसूली से अधिक थी। समिति ने आगे पाया कि जहां भारत का उत्पादन हिस्सा वर्ष 1950 में 41 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008 में 26 प्रतिशत हो गया, वहीं भारत का निर्यात हिस्सा भी वर्ष 1950 में 48 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008 में 12 प्रतिशत हो गया था, जो इसे चाय निर्यात की मात्रा के संदर्भ में समग्र विश्व रैंकिंग में औसतन चौथे स्थान पर रखता है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां चाय भारत के स्वदेशी होने और स्वाद के विरासत पर गौरवान्वित होना चाहिए है, दिलचस्प बात यह है कि चाय का आयात 1992-93 में 1.37 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 2009 में 25 मिलियन किलोग्राम हो गया था।	अधिक है, हालांकि यह वर्ष 2016 से 2019 के दौरान लगभग स्थिर रहा और यह 2,103 और 2,240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच रहा। इसके अलावा, 2020 में, भारत में चाय की उत्पादकता घटकर 1,976 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर (2016 की तुलना में 9.98 प्रतिशत की गिरावट) हो गई थी, जैसा कि पैरा 4.3.2 में चर्चा की गई है। चाय की बिक्री की लागत नीलामी प्राप्ति मूल्य से अधिक थी। दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में भारत की "उत्पादन की उच्चतम लागत" है जैसा कि पैरा 4.9 में चर्चा की गई है। इसके अलावा, 2016-18 के दौरान भारत का निर्यात हिस्सा 12 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया, उसके बाद 2019 में घटकर 13 प्रतिशत हो गया और 2020 में और घटकर 11 प्रतिशत हो गया जैसा कि पैरा 6.1 में चर्चा की गई है।
3	समिति इस बात से काफी चिंतित है कि टी बोर्ड के अस्तित्व में आने के 57 वर्षों के बाद भी, 2010 तक, 1,25,216 चाय उत्पादक, जो छोटे उत्पादकों के 80 प्रतिशत से अधिक हैं, टी बोर्ड के दायरे	लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2021 तक, 84,946 छोटे चाय उत्पादक, जो कुल छोटे चाय उत्पादकों के 38 प्रतिशत से अधिक थे, टी बोर्ड के दायरे से बाहर थे।

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	से बाहर बने हुए हैं और चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के संदर्भ में आवश्यक अनुमति के बिना चाय की खेती को जारी रखे हुए हैं। मंत्रालय ने स्वयं स्वीकृत किया, भले ही उपरोक्त समझौता 1956 में समाप्त हो गया हो, अधिनियम के ये पुराने और निरर्थक प्रावधान अभी भी टी बोर्ड द्वारा लागू किए जा रहे हैं। समिति संस्तुति करती है कि चाय अधिनियम की धारा 12 और 14 में उचित संशोधन किया जाये। समिति ने अपनी 100वीं रिपोर्ट में दोहराया कि संबंधित राज्य सरकारों को आकलन का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए और चाय अधिनियम की धारा 12 से 16 में संशोधन/हटाने के लिए ठोस प्रयास तेजी से किए जाने चाहिए।	चाय की खेती के विस्तार पर नियंत्रण से संबंधित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 12 से 16 को भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2021 की अधिसूचना के माध्यम से व्यापार करने में आसानी के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, पर्याप्त निगरानी और चाय उत्पादकों को लाभ देने और उनके विकास के लिए, टी बोर्ड को छोटे चाय उत्पादकों की पहचान और सूचीकरण की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए पैरा 3.2.1 में चर्चा के अनुसार।
4	समिति चाहती है कि मंत्रालय एक विशिष्ट समयसीमा के भीतर सभी मौजूदा गैर-सूचीबद्ध उत्पादकों को नियमित करने के लिए दो-आयामी कार्यनीति की दिशा में हर संभव प्रयास करे और साथ ही साथ किसी भी नए वृक्षारोपण के लिए पंजीकरण/सूचीबद्धता सुनिश्चित करे। इसके लिए समिति चाहती है कि मंत्रालय सूचीबद्धता के अन्य वैकल्पिक साधनों का भी पता लगाए जैसे कि	लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी बोर्ड ने वर्ष 2017-18 से छोटे चाय उत्पादकों को क्यूआर कोड वाला आईडी कार्ड जारी कर उनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू की थी। लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2021 तक छोटे चाय उत्पादकों को जारी किए गए क्यूआर कोड-आधारित कार्डों के राज्य-वार आंकड़ों की जांच की और पाया कि पहचान किए गए 2,22,746 छोटे चाय

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	योग्य चाय उत्पादकों को वैध पहचान पत्र जारी करना, जो आवश्यक रूप से खेती के तहत भूमि के स्वामित्व से जुड़ान होता कि वास्तविक चाय उत्पादक भूमि दस्तावेजों के अभाव में उन्हें देय लाभों से वंचित न हों। समिति यह भी सिफारिश संस्तुति करती है कि पंजीकरण/सूचीबद्धता के लाभों के बारे में एक आक्रामक संवेदीकरण अभियान के द्वारा ऐसे प्रयासों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए और इन निष्कासित छोटे चाय उत्पादकों को स्वयं को सूचीबद्ध करने के लिए स्वयं आगे आने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयुक्त प्लेटफार्मों और प्रोत्साहनों का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। समिति का मानना है कि राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षणों, उत्पादक संघों, स्वयं सहायता समूहों आदि से सूचीबद्धता के माध्यम से छोटे चाय उत्पादकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए मंत्रालय का निरंतर प्रयास, हालांकि लंबे समय से प्रतीक्षित और बहुत विलंब से किया गया है, फिर भी समय की मांग है और इच्छा है कि इसे शीघ्रता से किया जाना चाहिए। समिति को यह भी आशा है कि XII पंचवर्षीय योजनावधि तक चाय उत्पादकों पर पूर्ण कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों के लिए एक अलग लघु उत्पादक निदेशालय और प्रस्तावित	उत्पादकों में से केवल 1,37,800 उत्पादकों को ही कार्ड जारी किए गए थे, पहचाने गए छोटे चाय उत्पादकों का 62 प्रतिशत था जो पैरा 3.2.1 में चर्चा के अनुसार कुल। टी बोर्ड को चाय उद्योग के मजबूत और प्रभावी विनियमन के लिए राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम के तहत चाय उत्पादकों पर पूरा डेटा प्राप्त करना बाकी है, जैसा कि पैरा 4.3.3 में चर्चा की गई है। यह भी देखा गया कि लघु उत्पादक विकास निदेशालय जून 2019 से कार्य नहीं कर रहा था और छोटे चाय उत्पादकों को, उनके तीव्र विकास के लिए टी बोर्ड से समर्थन नहीं मिल रहा था, जिसकी सिफारिश वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति (अगस्त 2012) द्वारा की गई थी जैसा कि पैरा 4.12.2 में चर्चा की गई है।

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	सूचना प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम की स्थापना से चाय उद्योग के अधिक मजबूत और प्रभावी विनियमन का मार्ग प्रशस्त होगा। समिति ने अपनी 100वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उनकी सिफारिशों के अनुसरण में मंत्रालय ने छोटे चाय उत्पादकों के पंजीकरण के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं जिनमें टी बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उनकी वैध पहचान स्थापित करने के लिए छोटे चाय उत्पादकों को उच्च तकनीक वाले बायो-मीट्रिक कार्ड जारी करने की परियोजना भी शामिल है। समिति चाहती है कि उन्हें सूची में शामिल करने की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों के परिणामस्वरूप छोटे चाय उत्पादकों को प्राप्त ठोस लाभों से अवगत कराया जाए। XII योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम शुरू करने के टी बोर्ड के प्रस्ताव की सराहना करते हुए समिति ने आग्रह किया कि इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए।	
5	समिति इस विषय पर चिंतित है कि अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय, सुलभ और तेज लेनदेन के लिए टी बोर्ड अपनी ई-कॉमर्स पहल में बहुत पीछे है। कहने की जरूरत नहीं है, यह व्यापार की प्रभावी	लेखापरीक्षा ने देखा कि टी बोर्ड ने मई 2016 से अखिल भारतीय नीलामी प्रणाली (चरण-I) की शुरुआत की और लाइव नीलामी 23 जून 2016 को शुरू की गई। अखिल

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	निगरानी से समझौता करते हुए वैश्विक बाजार में एक तेज प्रतिस्पर्धी बढ़त की दौड़ में एक बड़ा अंतर छोड़ देता है। इसलिए, समिति संस्तुति करती है कि टी बोर्ड स्वचालित प्रलेखन और एक ऑनलाइन रीयल टाइम डेटाबेस के माध्यम से टी बोर्ड के व्यावसायिक लेनदेन और वाणिज्यिक संचालन को पंजीकृत करने के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा समर्थित ई-कॉमर्स शुरू करने के अपने प्रयासों को तेज करे।	भारतीय मोड के तहत ऑनलाइन पोस्ट सेटलमेंट मॉड्यूल (चरण-II) भी सितंबर 2016 में शुरू किया गया था। हालांकि, कुछ तकनीकी खामियों के कारण, सिस्टम को रोक कर रखा गया था और फरवरी 2018 से कुन्नूर केंद्र में फिर से शुरू किया गया था, इसके बाद फरवरी 2018 और मार्च 2018 में क्रमशः सिलीगुड़ी और कोयम्बटूर में जैसा कि पैरा 3.6.1 में बताया गया है। हालांकि, टी बोर्ड भारत में सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से एक कैलेंडर वर्ष में निर्मित कुल चाय के 50 प्रतिशत की अनिवार्य बिक्री को लागू करने में विफल रहा जैसा कि पैरा 3.6.2 में चर्चा की गई है।
6	मंत्रालय को सुधार के लिए अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने चाहिए और यह प्रयास होना चाहिए कि निजी क्षेत्र को निवेश करने वाले प्रस्ताव को आकर्षक बनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ एक अनुकूल पैकेज पर काम किया जाए ताकि कम से कम समय	लेखापरीक्षा ने पाया कि टी बोर्ड द्वारा बंद चाय बागानों के पुनरुद्धार की कार्रवाई अपर्याप्त थी जैसा कि पैरा 4.11.3 में चर्चा की गई है।

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	में उच्च उत्पादकता के लिए पुराने चाय बागानों का कार्याकल्प हो सके।	
7	सभी मौजूदा कानूनों/विनियमों की एक व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए जिसमें एक अच्छी तरह से तैयार की गई रूपरेखा, जो वर्तमान में वैश्विक चुनौतियों के लिए सक्रिय और जमीनी वास्तविकताओं के लिए अनुकूलित हो, जो मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधनों के माध्यम से या जहां भी आवश्यक हो, नए नियमों का निर्माण करके शीघ्रता से, समयबद्ध तरीके से और समिति को अवगत कराया जाए।	लेखापरीक्षा ने देखा कि चाय की खेती के विस्तार पर नियंत्रण से संबंधित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 12 से 16 को भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2021 की अधिसूचना के माध्यम से व्यवसाय करने में सुगमता के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, पर्याप्त निगरानी के लिए और चाय उत्पादकों को उनके विकास के लिए लाभ देने के लिए, टी बोर्ड को छोटे चाय उत्पादकों की पहचान और सूचीकरण की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। पैरा 3.2.1 में चर्चा के अनुसार।
8	सरकार वर्तमान वृक्षारोपण की आयु और अगले बीस वर्षों के लिए पुनरोपण की समय-सारणी का संकेत देते हुए एक दीर्घकालिक पुनरोपण योजना तैयार करेगी और फिर उन्हें सूचित करेगी।	लेखापरीक्षा ने पाया कि टी बोर्ड द्वारा कोई दीर्घकालिक पुनरोपण योजना तैयार नहीं की गई थी।
9	समिति कार्याकल्प छंटाई के दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन करने में टी बोर्ड की विफलता पर भी चिंतित थी, जिसमें कम गर्भधारण का समय होता है और चाय की पौधों की उत्पादकता का निर्धारण	लेखापरीक्षा ने देखा कि, बड़े उत्पादकों के कुल चाय उत्पादक क्षेत्र का 46 प्रतिशत क्षेत्र चाय पौध की 40 वर्ष से अधिक पुरानी पाई गई थी जिसके कारण वह आर्थिक

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	करने वाले वृक्षारोपण के बाद के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि कायाकल्प छंटाई को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए और टी बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच और प्रक्रियाएं करनी चाहिए कि यह अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि के दौरान किया जाए।	रुप से व्यवहार्य और व्यावसायिक रूप से अनुत्पादक नहीं था।
10	सतत और स्थिर पुनः वृक्षारोपण की अनिवार्य आवश्यकता के मुद्दे पर 1969 से समिति और पीएसी (1987-88) ने 8वीं लोकसभा के अपने 107वें प्रतिवेदन में ध्यान आकर्षित किया था, विशेष रूप से जिसमें यह पाया गया था कि पीएसी (1969-70) को सूचित योजना के अनुसार कुल वृक्षारोपित क्षेत्र का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पुनः वृक्षारोपण सुनिश्चित करने में टी बोर्ड भारत की विफलता ने उद्योग को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से प्रभावित किया और बागान मालिकों, अनुसंधान निकायों और वृक्षारोपण श्रमिकों के समन्वय में वृक्षारोपण की प्रगति की बारी की से निगरानी के लिए आग्रह किया था। यह स्वीकार करते हुए कि पुनरोपण के 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लक्ष्य की प्राप्ति काफी हद तक उद्योग की पहल और	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चाय बागानों ने पुनरोपण और प्रतिस्थापन रोपण गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया में चर्चा की गई है। .

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	निवेश के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, वाणिज्य मंत्रालय ने उपर्युक्त अवलोकन पर अपनी की गई कार्यवाई टिप्पणियों में कहा कि चाय उद्योग के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति और योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने कहा कि भारतीय चाय उद्योग के सामने मौजूदा संकट की गंभीरता को टाला जा सकता था यदि मंत्रालय ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूर्व की पीएसी की टिप्पणियों/सिफारिशों पर गंभीर कार्यवाई की होती। अपनी पूर्व सिफारिश संस्तुति को दोहराते हुए कि पुनर्रोपण के लिए यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को निधि की जरूरतों के वैज्ञानिक और सुसंगत मूल्यांकन और इस तरह से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी जानकारी सहित सभी संसाधनों को जुटाने के बाद तय किया जाए, समिति ने पाया कि समय की मांग है कि मंत्रालय और टी बोर्ड की ओर से गंभीर पुनरावलोकन किया जाए और हमारे चाय उद्योग, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि और इसकी गुणवत्ता और छवि को संरक्षित करने के कार्याकल्प के लिए एक व्यापक और ठोस कार्य योजना के साथ आगे आए।	

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	अपनी 100वीं रिपोर्ट में पीएसी ने पाया कि पुराने पड़ चुके चाय पौधों, जिन पर पीएसी (1969-70) और पीएसी (1987-88) का भी ध्यान गया था, को प्रतिस्थापित करने के लिए सतत और स्थिर पुनरोपण की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए समिति ने उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता और इसकी गुणवत्ता और छवि को संरक्षित करने के लिए हमारे चाय उद्योग के कायाकल्प हेतु एक व्यापक और ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए मंत्रालय और टी बोर्ड की ओर से गंभीर पुनरावलोकन की सिफारिश संस्तुति की थी। समिति ने पाया कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पण में यह आश्वासन दिया गया है कि XII योजना अवधि के लिए कार्ययोजना तैयार करते समय समिति की सिफारिशों को उचित महत्व दिया जाएगा लेकिन चाय बागानों के पुनरोपण के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं दिए गए हैं। इसलिए समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह चाय के पुनरोपण के लिए वर्ष-वार स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करे और उन्हें अवगत कराए।	
11	XII योजना अवधि के भीतर 50 वर्ष से अधिक की सभी चाय पौधों के पुनः रोपण के लिए चरणबद्ध/समयबद्ध तरीके से एक व्यापक	वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बड़े उत्पादकों के कुल चाय खेती क्षेत्रों का 46 प्रतिशत आर्थिक रूप से

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	परिप्रेक्ष्य योजना विकसित और कार्यान्वित की जानी चाहिए। समिति XII योजना के लिए वर्ष-वार और हेक्टेयर-वार पुनर्रोपण की समय-सीमा के साथ विस्तृत योजना से अवगत कराए।	व्यवहार्य और व्यावसायिक रूप से अनुत्पादक नहीं था, क्योंकि चाय के पौधे 40 वर्ष से अधिक पुरानी पाई गई थीं। यह उल्लेख करना जरूरी है कि 1997 और 2009 में क्रमशः 42 प्रतिशत और 57 प्रतिशत चाय के पौधे 40 वर्ष से अधिक आयु के थे। दो दशक से भी अधिक समय के बाद भी स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। जैसा कि पैरा 4.3.4 में चर्चा की गई है।
12	समिति ने कहा कि मंत्रालय प्लॉटेशन मैनेजमेंट संस्थान, बंगलोर द्वारा दिए गए सुझावों को उचित महत्व देगा कि एक अधिक मजबूत और आकर्षक योजना के चिन्हित लाभार्थियों को बैंकों के एक संघ से प्राधिकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाए ताकि आवश्यक वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। टी बोर्ड के साथ एसपीटीएफ जैसी महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेगा और इसे समिति को अवगत कराया जाएगा।	विशेष प्रयोजन चाय निधि (एसपीटीएफ) योजना का ऋण घटक 1 अप्रैल 2012 से बंद कर दिया गया। लेखापरीक्षा में टी बोर्ड की कमियों का पता चला जैसे पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण के लिए अपर्याप्त वित्तीय सहायता, चाय झाड़ियों की आयु के लिए वर्ष-वार डाटाबेस का रखरखाव न करना आदि, जिससे चाय बागानों की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि हुई जैसा कि पैरा 4.3.3 में चर्चा की गई है।
13	कम लागत पर अधिक दक्षता और उत्पादकता लाने के लिए अधिक अत्याधुनिक मशीनों और यांत्रिक सहाययंत्र के साथ पुरानी अक्षम	लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्र मशीनीकरण के लिए टी बोर्ड का समर्थन, उत्पादन लागत में कमी की दिशा में एक

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	प्रथाओं के प्रतिस्थापन के लिए एक आधुनिकीकरण अभियान चलाया जाए इसके लिए समिति पर्याप्त लोकप्रिय अभियान चलाये जो उत्पादकों को सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए सस्ती, आसान और सुलभ वित्त द्वारा समर्थित इन यांत्रिक सहायकों के लाभों की का जोरशोर से प्रचार करे।	महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते, अपर्याप्त प्रतीत हुआ जैसा कि पैरा 4.10 में चर्चा की गई है।
14	लागत वृद्धि में योगदान करने वाले तत्वों की पहचान करने के लिए अनिवार्य अनुवर्ती कार्रवाई के साथ एक प्रणालीगत, आवधिक और नियमित लागत अध्ययन ताकि उचित और त्वरित निवारण के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें। इसके अलावा, टी बोर्ड को इस महत्वपूर्ण पहलूओं पर पूरा और उचित ध्यान देना चाहिए और भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से चाय उद्योग में श्रमिकों के सभी स्तरों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना चाहिए।	लेखापरीक्षा ने देखा कि लागत में कमी के घटकों की पहचान करने के लिए उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिए कोई उचित उपाय नहीं किया गया था और न ही चाय उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए टी बोर्ड द्वारा प्रयास किया गया था। आगे, अकुशल चाय बागान श्रमिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करके उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई समर्पित योजना नहीं बनाई गई थी जैसा कि पैरा 4.9.1 और 4.9.2 में चर्चा की गई है।
15	समिति ने चिंता व्यक्त करे हुए कहा कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान चाय उद्योग के उपयोग के लिए न तो कोई योगदान दिया	लेखापरीक्षा ने टी बोर्ड की अनुसंधान और विकास गतिविधियों में कमियां देखीं जैसे अनुसंधान परियोजनाओं

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	और न ही कोई पेटेंट दायर किया गया जो सुदृढ़ अनुसंधान गतिविधियों की कमी को दर्शाता है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि अनुसंधान को उत्पादकता और गुणवत्ता वृद्धि में किए गए निवेश पर इनपुट आउटपुट सहसंबंध पर आवश्यक सांख्यिकीय डेटा द्वारा समर्थित मात्रात्मक और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने चाहिए। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि टी बोर्ड अनिवार्य मानकों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए कड़े नियम बनाए और अतिरिक्त मान्यता को भी प्रोत्साहित करे जो अनिवार्य न हो फिर भी वैश्विक चाय विपणन में और दक्षता और ब्रांड निर्माण हासिल करने के में सहायक हो। समिति ने अपनी 100वीं रिपोर्ट में पाया कि भारतीय चाय की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य मानकों को लागू करने के लिए कड़े नियमों को निर्धारित करने के लिए समिति की सिफारिश संस्तुति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मंत्रालय का कोई उत्तर है। अतिरिक्त मान्यता को प्रोत्साहित करके वैश्विक चाय विपणन में और अधिक दक्षता और ब्रांड निर्माण हासिल करने के लिए समिति द्वारा बार-बार व्यक्त की गई चिंता के बावजूद, मंत्रालय के एक्शन टेकन नोट्स में इसका कोई उल्लेख नहीं है। समिति चाहेगी कि सरकार	का असंतोषजनक प्रदर्शन, दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र (डीटीआर एंड डीसी), कर्सियांग को अपर्याप्त समर्थन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना और संचालन में अनियमितताएं पायी गयी। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, टीआरए ने फरवरी 2021 में केवल एक पेटेंट प्राप्त किया और उनके द्वारा दायर तीन अन्य पेटेंट अंतिम अनुमोदन के लिए लंबित थे। डीटीआर एंड डीसी और उपासी-टीआरएफ के मामले में कोई पेटेंट फाइल नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, डीटीआर एंड डीसी ने विभिन्न पत्रिकाओं में 16 शोध पत्र प्रकाशित किए, जबकि 2016 से 2021 के दौरान टीआरए और उपासी-टीआरएफ द्वारा क्रमशः 128 और 133 शोध पत्र प्रकाशित किए गए।

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से ले और इस संबंध में की गई कार्यवाही से उन्हें अवगत कराया जाए।	इसके अलावा, XI और XII योजना अवधि के दौरान की गई अनुसंधान गतिविधियों ने चाय उद्योग के लाभ के लिए किसी भी तरह का योगदान नहीं दिया जैसा कि अध्याय V में वर्णित है। भारतीय चाय की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य मानकों को बनाए रखने के लिए टी बोर्ड द्वारा नियमों का प्रवर्तन भी अपर्याप्त पाया गया। टी बोर्ड द्वारा चाय के परीक्षण के लिए अपर्याप्त नमूना संग्रहण किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूनों की विफलता दर 14 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि पैरा 3.4.2 में चर्चा की गई है।
16	मंत्रालय को भौगोलिक पहचान टैग के लिए पात्र स्वदेशी वेरिएंट की पहचान करने और उनके पेटेंट के लिए फाइल करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और समिति को अवगत कराया जाना चाहिए।	लेखापरीक्षा में देखा गया कि 31 मार्च 2021 तक टी बोर्ड ने दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि और कांगड़ा चाय के लिए भौगोलिक संकेतक टैग पंजीकृत किए हैं।
17	टी बोर्ड गहन बाजार अनुसंधान करने के बाद उपभोक्ताओं की मांगों के अनुसार मजबूत ब्रांड निर्माण और चाय उत्पादों के लिए अलग-अलग मूल्यवर्धन के लिए अधिक सक्रिय उपाय शुरू करता है।	लेखापरीक्षा के दौरान, चाय दुकानों की स्थापना और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से घरेलू प्रचार के लिए अपर्याप्त गतिविधियाँ जैसी कमियाँ देखी गईं। यद्यपि टी

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	इसके अलावा, बोर्ड को विशिष्ट विपणन, लागत नेतृत्व, व्यापक वितरण नेटवर्क, ग्राहक फोकस और उत्पादों की त्वरित डिलीवरी जैसी सफल विपणन कार्यनीतियों की निरंतर पहचान करने और आत्मसात करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए, साथ ही भारतीय चाय की क्षमता की विशाल बिक्री पर कब्जा करने के लिए कुशल ई-मार्केटिंग कार्यनीति की ओर बढ़ना चाहिए। समिति ने अपनी 100 वें प्रतिवेदन में सरकार के इस आश्वासन पर ध्यान दिया कि टी बोर्ड रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कार्यनीतिक रूप से संभावित बाजारों में बाजार सर्वेक्षण करेगा ताकि सफल प्रचार और विपणन कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए उपभोक्ता के पसंद और नापसंद को समझा जा सके और उसके बाद भारतीय चाय के लिए मजबूत ब्रांड निर्माण के लिए मापदंड तैयार किए जा सकें। टी बोर्ड ने भारतीय चाय निर्यातकों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए दो योजनाओं में विशेष रूप से संशोधन किया है। समिति को उचित समय पर इन उपायों के परिणाम से अवगत कराया जाना चाहिए।	बोर्ड ने 2016 में अच्छी सड़क और बंदरगाह कनेक्टिविटी के साथ उत्तर भारत में एक "एकीकृत चाय पार्क" विकसित करने की पहल की थी, लेकिन पैरा 6.4.1, 6.4.2, और 6.5.1 में चर्चा के अनुसार इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। हालांकि टी बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनों में भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मूल की पैकेज्ड चाय के ब्रांड समर्थन के माध्यम से भारतीय चाय के प्रचार के लिए समर्थन दिया, लेकिन यह भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा, जो धीरे-धीरे गिरावट के दौरान कम हो गया। लेखापरीक्षा के तहत अवधि जैसा कि पैरा 6.2 में चर्चा की गई है।

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
18	मंत्रालय को X।। योजना अवधि के दौरान की गई विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए, एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए और समय-समय पर समिति को अवगत कराना चाहिए।	टी बोर्ड के निगरानी तंत्र की समीक्षा करते समय, विभिन्न नियंत्रण आदेशों और पौध संरक्षण संहिता दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए लेखापरीक्षा ने चाय कारखानों के निरीक्षण में कमी देखी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में निर्दिष्ट चाय की गुणवत्ता की निगरानी के लिए चाय के नमूनों का परीक्षण अपर्याप्त पाया गया। X।। योजना अवधि और मध्यम अवधि ढांचे के दौरान टी बोर्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए की गई पहलों को भी अपर्याप्त पाया गया जैसा कि पैरा 3.4.1, 3.4.2, 4.4.2, 4.4.3.1, 4.4.4, 4.5, 4.6.1 और 4.6.2 में चर्चा की गई है।
19	चाय अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि उपकर की दर को आवश्यकताओं के अनुसार शोधित किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजस्व सृजन में वृद्धि किसी भी संगठन के वित्तीय विकास के सबसे महत्वपूर्ण चिह्नों में से एक है, समिति टी बोर्ड को बताना चाहती है कि राजस्व सृजन के महत्व को कम न करे और वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भरता के लिए स्थायी उपाय	लेखापरीक्षा ने पाया कि टी बोर्ड को प्रशासनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) से 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹32,655.14 लाख प्राप्त हुए। उस अवधि के दौरान, टी बोर्ड ने ₹3,589.25 लाख आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न किए। इस प्रकार, टी बोर्ड प्रशासनिक गतिविधियों के लिए कुल राजस्व का केवल 9.90 प्रतिशत

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	करे। पीएसी (1988-89) ने यह भी पाया था कि सब्सिडी का अनुदान चाय उद्योग की उद्यमशीलता क्षमता के बारे में कुछ नहीं बताता है। इस संदर्भ में, समिति सिफारिश संस्तुति करती है कि सब्सिडी और अन्य सरकारी सहायता पर निर्भरता को अस्थायी उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए, जिसे अंततः चरणबद्ध तरीके से एक अधिक लाभदायक व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए समाप्त किया जाना चाहिए। समिति ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित और पुनर्गठित करने की भी सिफारिश संस्तुति की है ताकि शुरू की गई गतिविधियों की सीमा के अनुरूप अधिक प्रभावी और कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हो सके, जो कि एक मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की अनिवार्य शर्त है।	ही सृजित कर सका। इससे पता चला कि बोर्ड अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए ज्यादातर भारत सरकार के अनुदान पर निर्भर है जैसा कि पैरा 7.1 में चर्चा की गई है। वित्तीय प्रबंधन में आंतरिक नियंत्रण की कमी और अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के उदाहरण भी लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए जैसा कि पैरा 7.2 और 7.3 में चर्चा की गई है।
20	समिति ने पाया कि कई प्रणालीगत और अन्य कमियां टी बोर्ड और चाय उद्योग को नुकसान पहुंचाती हैं। चाय में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापार की बढ़ती चुनौतियों, भारत के चाय निर्यात में 48 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की भारी गिरावट के समस्याओं का सामना करने के लिए, टी बोर्ड को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भारत उत्पादित चाय की गुणवत्ता और मात्रा के मामले में	वर्तमान लेखापरीक्षा में, चाय उद्योग में लगे श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करने और जलवायु परिवर्तन के कारण चाय उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का पालन न करने के उदाहरण देखे गए थे जैसा कि पैरा 4.6.3 और 5.3.4 में चर्चा की गई थी।

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	अपना पूर्व-प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सके। समिति आगे सिफारिश संस्तुति करती है कि छोटे उत्पादकों को भी चाय अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके टी बोर्ड के दायरे में लाया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि चाय बागान श्रमिकों को उनके परिवारों के स्वास्थ्य और शिक्षा सहित वैधानिक सुख-सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विभाग से संबंधित वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति की 15वीं लोकसभा की 102वीं रिपोर्ट में की गई संस्तुति को भी दोहराती है, जो पुनर्गठन की अवधि के दौरान काम से निकाले गए श्रमिकों के लिए मुआवजे के पैकेज पर विचार करने से संबंधित है। अतः समिति को पूरी उम्मीद है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय का रणनीतिक नजरिया न केवल वैश्विक चाय बाजार में देश को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने के उसके मिशन को पूरा करेगा बल्कि जो चाय उद्योग पर निर्भर है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करेगा। उन सभी का जीवन स्तर जो चाय उद्योग के भाग्य पर निर्भर हैं। इसलिए समिति भारतीय चाय के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने और चाय उद्योग में लगे श्रमिकों की जीवन स्थितियों	लेखापरीक्षा ने देखा कि भारत में चाय की उत्पादकता चीन, श्रीलंका और जापान की तुलना में काफी अधिक है, लेकिन वर्ष 2016 से 2019 के दौरान स्थिर रहते हुये और 2,103 और 2240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच रही। इसके अलावा, 2020 में भारत में चाय की उत्पादकता घटकर 1,976 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर (2016 की तुलना में 9.98 प्रतिशत की गिरावट) हो गई थी, जैसा कि पैरा 4.3.2 में चर्चा की गई है।

संस्तुति संख्या	65 वीं /100 वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में पीएसी की टिप्पणियां / सिफारिशें	वर्तमान स्थिति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या)
	में सुधार करने के लिए मौजूदा कानून और टी बोर्ड के कामकाज की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराती है। समिति ने अपनी 100वीं रिपोर्ट में मंत्रालय से को अधिक प्रयास करने के लिए कहा ताकि भारत विश्व चाय निर्यात में अपनी पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति को प्राप्त कर सके। इसके अलावा, समिति ने सरकार से चाय बागान श्रमिकों के रहने की स्थिति में सुधार करने का आग्रह किया और पुनर्रोपण की अवधि के दौरान निकाले गए श्रमिकों के मुआवजे के पैकेज के नियमों की भी समीक्षा करने के लिए कहा।	

संकेताक्षरों की सूची	
संकेताक्षर	पूर्ण रूप
एसआईडीई	निर्यात अवसंरचना और संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए राज्यों को सहायता
सीटीसी	क्रश, टीयर, कर्ल
जीएलपीएमसी	हरी पत्ती मूल्य निगरानी समिति
डी ओ सी	वाणिज्य विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डीटीआर और डीसी	दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
एफएसएसए	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
जी आई	भौगोलिक पहचान
एचए	हैक्टेयर
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईआईपीएम	भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान
एमओसी एंड आई	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
पीएएआर	गतिविधि पूर्व पावती रसीद
पीडीएस	वृक्षारोपण विकास योजना
क्यूसीएल	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला
क्यूयूपीडीएस	गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना
आरजी 1	एक रजिस्टर जिसमें तिथिवार मूल्य के साथ निर्माण, निकासी और भुगतान किए गए शुल्क का विवरण होता है
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप योजना
टीएसपी	जनजातीय क्षेत्र उप योजना
टीएमसीओ	चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश
टीआरए	चाय अनुसंधान संघ
टीआरएलसी	चाय अनुसंधान संपर्क समिति
टी डब्ल्यूसीओ	चाय अपशिष्ट नियंत्रण आदेश
यूपीएसआई-टीआरएफ	यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदरन इंडिया- टी रिसर्च फाउंडेशन

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in